राजस्थान विधान सभा

२०वीं बैठक, गुरुवार, दिनांक–४ नवम्बर, सन् १९५४ ई०

विधान सभा की बैठक सभा भवन, जयपुर, में प्रातः ८ बजे प्रारम्भ हुई

(श्री नरोत्तमलाल जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

प्रश्न संख्या २१०३

श्री अध्यक्ष—श्री भैरूं सिंह (१६)

(प्रश्न कर्ता अनुपस्थित—यह प्रश्नोत्तर बाद में लिये गये)

प्रश्न संख्या २१०४

श्री मोटाराम ।

(प्रश्न कर्ता अनुपस्थित)

श्री संतोषसिंह कछवाहा—बस अभी तक नहीं आई ।

श्री अध्यक्ष—श्री चांदमल मेहता ।

प्रश्न संख्या २१०५

किशनगढ़ तहसील में मवेशियों के चरने की भूमियों पर लगान

श्री चांदमल मेहता—क्या राजस्व मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उतर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या किशनगढ़ तहसील में उन जमीनों का जहां पर मवेशी चरते आये हैं और जो बिला नाम दर्ज हैं कोई लगान चराई के नाम से वसूल किया जाता है ?

(ख) यदि हां, तो उक्त लगान की वसूली कब से शुरू हुई है ?

[श्री चांदमल मेहता]

(ग) इस प्रकार की चराई की रकम इस वर्ष कब कब किस गांव में वसूल की गई ?

(घ) क्या यह सही है कि बादर सीधरी, नोदरिया, खातोलाई आदि ग्रामों की जनता के आवेदन पत्र पर इस प्रकार के लगान की वसूली स्थगित करने के बाबत राजस्व मंत्री की आज्ञा हो चुकी है ?

(ङ) यदि हां, तो उक्त आज्ञा के बावजूद भी लगान की रकम वसूली की गई है ?

(च) यदि हां, तो क्यों ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मंत्री)—(क) किशनगढ़ तहसील में बिला नाम भूमि में पशुओं के चरने पर कोई लगान चराई वसूल नहीं किया जाता है। अगर बिलानाम भूमि में नामजद कोई शख्स बीड़े रखते हैं और उनमें आम जनता के मवेशी चराने से रोक करते हैं उनसे रेट के अनुसार लगान वसूल किया जाता है।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) यह प्रश्न नहीं उटता।

(घ) बादर सिधर, नोहरिया, व खातोलाई में चराई आम जनता से वसूल नहीं की जा रही है। अलबत्ता बिलनाम भूमि में जिन २ काश्तकारों ने अपनी निजी नामजद अलग बीड़े रखते हैं और उसमें आम जनता को रोकते हैं ऐसे बीडों का लगान रेट के अनुसार लगाया गया है। इस प्रकार की रकम स्थगित रखने की कोई आज्ञा नहीं दी गई है।

(ङ) यह प्रश्न नहीं उठता।

(च) यह प्रश्न नहीं उठता।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि जिन जमीनों में आम तौर पर पशु चरते आये हैं उन जमीनों को सेटलमेंट में बिना नाम दर्ज कर दिया गया है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—हां, कुछ जगह ऐसा कर दिया गया है ऐसी इत्तिला मिली है और उसको करेक्ट करने के लिये इन्सट्रक्शन दे दिये गये हैं।

श्री चांदमल मेहता—क्या इस तरह से बिना नाम की जमीन पर जो चराई की रकम वसूल की गई है उसको वापिस देने का सरकार का विचार है ?

Page No.3

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—इस प्रकार की कोई सूचना नहीं है जहां पर जो लोग निजी तौर से बीड़ रखते हैं उनसे लेते हैं और आम जनता से चराई वसूल नहीं की जाती, इसलिये यह प्रश्न पैदा ही नहीं होता।

श्री चांदमल मेहता—क्या सरकार के पास इस प्रकार की शिकायत आई कि बिलना नाम की जमीन पर चराई...

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—ऐसी शिकायत आने पर ही तो ऐसा आदेश जारी किया गया था।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि इस आदेश की तामील अधिकारियों ने नहीं की है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—इसके लिये अगर आप कोई निश्चित गांव की हालत आप बतावेंगे तो मैं उसकी जानकारी हासिल करके बता सकता हूं।

प्रश्न संख्या २१०६

श्री अध्यक्ष—श्री सुगनचन्द।

(प्रश्नकर्ता अनुपस्थित, कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

प्रश्न संख्या २१०७, श्री जगतसिंह झाला।

प्रश्न संख्या २१०७

कपासन तहसील (जि० चित्तौड़) के धमाना ग्राम में डाका

श्री जगतसिंह झाला—क्या गृह मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उतर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि कपासन तहसील (जिला चितौड़गढ़) के धमाना ग्राम में २–१०–५४ को डाके की घटना हुई ?

(ख) यदि हां, तो कितना माल डाके में गया व कितने व्यक्ति मारे गये ?

(ग) क्या यह सच है कि इसी जिले की डूंगला तहसील के चिकारड़े ग्राम में भी डाके की घटना कुछ अरसे पहले हो चुकी है ?

Page No.4

[श्री जगतसिंह झाला]

(घ) क्या उस समय की घटना के वक्त सरकार से चितौड़ जिले में पुलिस का विशेष प्रबन्ध करने के लिये निवेदन किया गया था, व सरकार ने आश्वासन भी दिया था ?

(ङ) क्या चित्तौड़गढ़ जिले में लगातार दो घटनायें डाके की हो जाने से जनता में आतंक छाया हुआ है ?

(च) क्या अब भविष्य में सरकार इस जिले में विशेष पुलिस का प्रबन्ध कर इस प्रकार की घटना नहीं होने का पूरा प्रयत्न करेगी ?

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)—(क) यह सत्य है कि ता. २–१०–५४ को ग्राम धमाना में डाके की घटना हुई।

(ख) उस दिन शाम को लगभग ४ बजे ग्राम की उत्तरी दिशा से ८ डाकू जो तलवार बन्दूक तथा लाठियों से लैस थे, पैदल आये। उन्होंने लगभग १४ घर लूटे तथा ग्राम दिनधोली की ओर वापस लौटे। इन डाकुओं ने रु० २७८५६–८–० की लागत का माल जिसमें नकद, चांदी-सोने के जेवर तथा कपड़े थे लूटा।

(ग) इस डाके में कोई भी व्यक्ति नहीं मारा गया।

(घ) एक डाके की घटना ११ महीने पहिले ता०१–११–५३ को ग्राम चिरकाडे में भी हुई थी।

(ङ) इस घटना के बाद, चित्तौड़ जिले में ऐसी घटना की रोकथाम के लिये पर्याप्त प्रबन्ध कर दिया गया था।

(च) सरकार के ऐसी कोई लापरवाही की घटना सामने नहीं आई।

(छ) २ डाके की घटना होने के बाद वहां कि जनता में अब उतना आतंक नहीं है, क्योंकि उस जिले में एन्टी डकोयटी फोर्स तेनात है। इसके अतिरिक्त वहां के पुलिस अधिकारी इस विषय में काफी सतर्क हैं।

(ज) पुलिस का विशेष प्रबन्ध वहां पर हो चुका है तथा डाकुओं को पकड़ने के लिये उनके पीछे पुलिस लगी हुई है। आशा है कि ऐसी घटना फिर नहीं होगी।

श्री जगतसिंह झाला—क्या यह सही है कि वह स्थान कपासन से केवल एक मील दूर है ?

श्री जयनारायण व्यास—मुझे इसकी एग्जेक्ट लोकेशन का पता नहीं। वह एक मील दूरी पर हो सकता है।

श्री जगतसिंह झाला—क्या यह सही है कि वहां के पुलिस वाले सुप्रिन्टेन्डेन्ट पुलिस को बिदा करने के लिये गये हुए थे ?

श्री जयनारायण व्यास—अगर कोई सुप्रिन्टेन्डेन्ट पुलिस जाता है और उसको बिदा करने के लिये गये तो गये होंगे।

श्री जगतसिंह झाला—घटना हुई वहां पर भी जाना जरूरी था। वहां के लिये बुलाने के लिये थे ।

श्री जयनारायण व्यास—अगर सूचना मिल गई हो और फिर नहीं गये हों तब तो बात अलग है और सुप्रिन्टेन्डेन्ट को पहुंचाने के लिये चले जावे तो मैं इसमें इतना दोष नहीं समझता।

प्रश्न संख्या २१०८

तहसील रूपनगर व किशनगढ़ में नकदी लगान मुकर्रर करना

श्री चांदमल मेहता—क्या राजस्व मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) तहसील रूपनगर व किशनगढ़ में नकदी लगान कब मुकर्रर किया गया और उनकी रेट्स क्या क्या हैं ?

(ख) उक्त रेट्स में कितना फर्क है ?

(ग) क्या यह सही है कि रूपनगर तहसील में अधिकतर कूओं पर एक फसल काश्त होती है ?

(घ) यदि हां, तो रूपनगर में इतना ज्यादा लगान मुकर्रर करने के क्या कारण हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मन्त्री)—रूपनगर तहसील में नकदी लगान सम्वत् २०१० से लागू किया गया। रेट सूची में दी गई है।

Page No.6

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

(ख) किशनगढ़ तहसील में भी लगान सम्वत् २०१० से लागू किया गया, रेट सूची में दी गई है।

(ग) रूपनगर और किशनगढ़ की तहसीलों की रेट्स में कोई अन्तर नहीं है। सिवाय इसके कि रूपनगर तहसील में भूड़ की रेट्स १३ प्रतिशत अधिक है।

(घ) जी हां।

(ङ) रूपनगर तहसील की रेट्स आसपास के इलाके से अधिक नहीं है।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि रूपनगर में एक फसली जमीन का लगान वही है जो कि किशनगढ़ तहसील में दो फसली जमीन का है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—जी मैंने जवाब दिया उससे ऐसा साबित नहीं होता।

श्री चांदमल मेहता—क्या जो रेट माननीय मन्त्री महोदय ने बतायी हैं कि वे फलां परिशिष्ट में दर्ज हैं उसे बताने की कृपा करेंगे ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—आप बारानी जमीन के बारे में पूछना चाहते हैं।

श्री चांदमल मेहता—जी नहीं, सब जमीनों के बारे में जिनके बारे में फर्क नहीं बताया गया है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—रूपनगर तहसील में भूड सरकल को छोड़ कर धामनी में इस प्रकार है :

	रु०	आ०	पा०
चाही ए	५	१५	
चाही १	४	११	
चाही २	३	७	
चाही ३	२	३	
काबिल चाही	१	४	
नहरी ए	३	१२	
नहरी १	३	२	
नहरी २	२	५	६

Page No.7

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

		रु०	आ०	पा०
नहरी	३	१	११	६
नहरी	४	०	०	० कोई रेटस नहीं हैं।
तालाबी	ए	०	०	
तालाबी	१	३	७	
तालाबी	२	२	३	
नाडा	१	१	१	६
बारानी	ए	१	१	६
बारानी	१	०	१०	०
बारानी	२	०	७	६
बारानी	३	०	५	०
बीड़	१	०	७	६
बीड़	२	०	५	०
बन्जर	१	०	५	०
बन्जर	२	०	५	०
बन्जर	३	०	२	६

इसके मुकाबले में किशनगढ़ तहसील में इस प्रकार है :

		रु०	आ०	पा०
चाही बड़ी		७	३	०
चाही	ए	५	१५	०
चाही	१	४	११	०
चाही	२	३	७	०
चाही	३	२	३	०
नहरी	ए	३	१२	०
नहरी	१	३	२	०
नहरी	२	२	५	६
	३	१	११	६
नहरी	४	१	१	६
तालाबी	ए	४	११	०
,,	१	३	७	०
,,	२	२	३	०
,,	३	१	१	६

Page No.8

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

		रु०	आ०	पा०
नाड़ा	१	१	११	६
,,	१	१	१	६
बारानी	ए	१	१	६
,,	१	०	१०	०
,,	२	०	७	६
,,	३	०	५	०
बीड़	१	०	७	६
बीड़	२	०	५	०
बंजर	१	०	५	०
,,	२	०	५	०
,,	३	०	२	६

श्री चांदमल मेहता—बंजर जमीन की रेट किशनगढ़ के मुकाबले में रूपनगर में इतनी अधिक क्यों हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—कहां है अधिक ? बिल्कुल समान है । पांच आना, पांच आना और ढ़ाई आना ।

श्री चांदमल मेहता—रूपनगर के लिये १ रुपया बताया ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मैंने अर्ज किया कि रूपनगर में बंजर १ पांच आना, बंजर २ पांच आना और बंजर ३ ढ़ाई आना और किशनगढ़ के लिए बताया कि बंजर १ पांच आना, बंजर २ पांच आना और बंजर ३ ढ़ाई आना ।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—बंजर रेट मुकर्रर करते समय अनुमान किस हिसाब से किया जाता है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—उस जमीन की सारी चीजों को देखकर और नेचरल प्रोड्यूस को ध्यान में रखकर ही रेट मुकर्रर किया जाता है ।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—असेस्मेंट की रेट्स मुकर्रर करते समय जो मुनाफा लिया जाता है उस हिसाब से बंजर पर क्या मुनाफा होता है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मैं ने कहा कि उसमें जो नेचरल प्रोड्यूस होता है उसको ध्यान में रखा जाता है।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट क्वेश्चन।

प्रश्न संख्या २१०६

जूरीसडिक्शनल ठिकानेजात का पुनग्रहण व उनके कर्मचारियों का विलीनीकरण

रावराजा श्री सरदारसिंह—क्या राजस्व मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) जुरिसडिक्शनल ठिकानेजात का पुनर्ग्रहण हुए कितना अर्सा हुआ है ?

(ख) क्या उन ठिकानेजात के कर्मचारियों का विलीनीकरण (इन्टीग्रेशन) होगया है ? यदि हां, तो कब ?

(ग) क्या कोई कर्मचारी सरप्लस भी रखे गये हैं, यदि हां, तो कितने और क्यों ?

(घ) जो उपरोक्त कर्मचारियों का विलीनीकरण अन्य ठिकानेदार के कर्मचारियों के माफिक किया गया है अथवा किसी स्पेशल तरीके से ?

(ङ) जो सरप्लस में रखे गये हैं उनके पालन पोषण का सरकार क्या प्रबन्ध कर रही है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मन्त्री)—(क) चार माह।

(ख) जी हां। उनका अस्थायी तौर पर चुनाव कर लिया गया है।

(ग) इन ठिकानों के पुनःग्रहण से ही ये कर्मचारी कर रहे हैं। सरप्लस कर्मचारियों की सूची जिलाधीशों से प्राप्त की जा रही है।

(घ) सरप्लस कर्मचारियों की सूची प्राप्त नहीं हुई है। इनकी संख्या नवीन स्थानों से अधिक होने के कारण कुछ कर्मचारियों को सरप्लस में रखा गया है।

(ङ) अन्य ठिकानों के कर्मचारियों की भांति ही।

(च) जो अन्तिम चुनाव में नहीं आवेंगे उनको नोटिस तनख्वाह के अतिरिक्त पेन्शन या ग्रेचुइटी उन ठिकानों के नियमों के अनुसार ही दी जायगी।

श्री सरदारसिंह—क्या यह सही है कि उन जुरिसडिक्शनल ठिकानों के कर्मचारियों की सर्विस की केटेगरी कवेनेन्टींग स्टेट्स के कर्मचारियों की कैटेगरी के अनुसार ही रखी गई है जैसा कि गजट में शाया हुआ है या नहीं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—यदि आपका मतलब आर. ऐ एस. से है तो उन कर्मचारियों की तीन केटेगरीज़ हैं और उनको छोटी केटेगरी में रखा गया है ?

श्री सरदारसिंह—आर. ए. एस. के हैं या नायब तहसीलदार हैं और जैसे जुरिस्डिक्शनल ठिकानाजात खेतड़ी, उनियारा, वगैरा उनकी केटेनेगरीज़ क्वेनेन्टिग स्टेट्स के अनुसार रखी गई है या नहीं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—सभी क्वेनेन्टिग स्टेट्स के अनुसार नहीं हैं।

श्री सरदारसिंह—यह तो गजट में प्रकाशित हो चुका है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मैं उसी आधार पर अर्ज करूंगा कि क्वेनेन्टिग स्टेट्स अनुसार जैसे जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उसके अनुसार नहीं माना गया है। इसमें तीन केटेगरीज़ हैं, ए. बी. सी.। सी केटेगरी में उनको माना गया है।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट क्वेश्चन।

प्रश्न संख्या, २११०

बडी सादड़ी तहसील में छोटे २ तालाब फूटी हुई दशा में

श्री जगतसिंह झाला—क्या निर्माण मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) बडी सादड़ी तहसील में छोटे छोटे कुल कितने तालाब हैं ?

(ख) इन तालाबों में से कितने फूटे हुए हैं ?

(ग) क्या सरकार भविष्य में जल्दी ही इन्हें दुरुस्त कराने की सोच रही है ?

(घ) क्या तहसील बड़ी सादड़ी में नये तालाब बनाने की भी आवश्यकता के लिए जांच की गई है ?

(ङ) यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

श्री टीकाराम पालीवाल (निर्माण मन्त्री)—(क) बडी सादड़ी में सिंचाई विभाग के अधीन अभी कोई काम नहीं है। जागीर के तालाब अभी इस विभाग में नहीं आये हैं।

(ख) यह सवाल अभी नहीं उठता।

(ग) जब यह इस विभाग में आजावेंगे तब इनकी जांच की जायगी।

Page No.11

[श्री टीकाराम पालीवाल]

(घ) इस तहसील में नये तालाब बनाने की अभी कोई योजना नहीं रखी गई है ।

(ङ) अभी तक जांच इसलिए नहीं की गई थी कि यह तहसील जागीर की थी ।

श्री जगतसिंह झाला—कब तक इस विभाग में आ जावेंगे ?

श्री टीकाराम पालीवाल--जवाब दे चुका हूं ।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट ।

प्रश्न संख्या २१११

सन् ५३-५४ में विदेशों में होने वाली प्रदर्शिनियों में राजस्थान की वस्तुएं

श्री चांदमल मेहता—क्या उद्योग मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) ५३-५४ के वर्ष में विदेशों में होने वाली प्रदर्शिनियों में राजस्थान की क्या २ खनिज व अन्य औद्योगिक वस्तुएं भेजी गईं ?

(ख) हिन्दुस्तान में होने वाली किस २ राज्य की प्रदर्शनी में राजस्थान की तरफ से क्या २ वस्तुएं भेजी गईं ?

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)–(क) १९५३-५४ में राजस्थान सरकार द्वारा विदेशों में आयोजित प्रदर्शनियों में किसी भी खनिज पदार्थ के नमूने नहीं भेजे गये । सन् १९५३-५४ में कारोनेशन एक्जीबिशन लंदन में राजकीय क्रय विक्रय विभाग ने भाग लिया था, उसमें जार्जेट की बंदेज की साड़ियां, स्कार्ड, हाथी दांत से बना सामान, पीतल की मीनाकारी का सामान, चमड़े की जूतियां, सांगानेर की छपाई का सामान, चमड़े के बटवे और लाख की चूड़ियां और सामान भेजा गया था । भेड़ व ऊन विभाग द्वारा यू.के. (हालेन्ड) की प्रदर्शनी में भाग लिया गया, जिसमें ऊन के नमूने भेजे गये थे ।

(ख) राजस्थान सरकार ने अखिल भारतीय कांग्रेस के सन् १९५४ में होने वाले वार्षिक अधिवेशन के अवसर पर कल्याणी (पश्चिम बंगाल) में आयोजित प्रदर्शिनी में खनिजों के नमूने भेजे थे ।

Page No.12

[श्री जयनारायण व्यास]

सन् १९५३-५४ में हिन्दुस्तान में होने वाली निम्नलिखित स्थानों की प्रदर्शिनियों में भाग लिया गया :

१. देहली, २. काश्मीर, ३. हैदराबाद दक्षिण, ४. सांची, ५. कल्याणी, ६. लखनऊ, ७. जामनगर, ८. पटना, ९. अजमेर।

इन प्रदर्शिनियों में निम्नलिखित सामान भेजा गया :

पीतल की मीनाकारी का काम, हाथी दांत की मूर्तियां व खुदाई का काम, चन्दन की लकड़ी पर किया हुआ खुदाई का काम, चमड़े की कामदार जूतियां, पानी के बादले, चमड़े के बटुए, लाख की चूड़ियां, हाथ करघे के बने हुए सूती व ऊनी कपड़े, रेशमी और सूती रंगी हुई और छपी हुई साडियां और स्कार्फस, कुट्टी और कागज की मूर्तियां और खिलौने, ताड़ गुड़ और ताड़ गुड़ से बनी शक्कर और ऊन व ऊन से बना सामान जैसे कालीन, कम्बल, ऊनी कपड़ा आदि।

श्री चांदमल मेहता—क्या सरकार विदेशों में होने वाली एक्जीबिशन में यहां के खनिज पदार्थों को भेजना आवश्यक नहीं मानती ?

श्री जयनारायण व्यास—खनिज पदार्थ ही भेजना आवश्यक नहीं मानती बल्कि व्यक्तियों को भेजने की मांग हो तो उन्हें भी भेजा जा सकता है।

श्री चांदमल मेहता—अगर मांग नहीं है तो भी क्या राजस्थान के खनिज पदार्थों के उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिये सरकार यह आवश्यक नहीं मानती कि यहां के खनिजों को प्रदर्शिनी में भेजा जाय ?

श्री जयनारायण व्यास—बिना मांग के वस्तुयें भेजना, वस्तुओं की कीमत को कम करना है। मांग और जरूरत हो तभी भेजना बुद्धिमानी है।

श्री चांदमल मेहता—जो जो भी औद्योगिक चीजें विदेशों को भेजी गई क्या उसकी मांग थी, तभी भेजा गया ?

श्री जयनारायण व्यास—मांग थी तभी भेजा गया, चाहे वह मांग विदेशों से आई हो या हमारी एजेन्सीज़ के मारफत आई हो। लेकिन खनिजों के लिये इस प्रकार की कोई मांग नहीं आयी।

श्री चांदमल मेहता—क्या माननीय मुख्य मन्त्री के यह जानकारी में है कि मांग चीजों के देखने के बाद पैदा होती है, इस दृष्टि से यदि एक्जीबिशन में चीजें भेजी जांय तभी मांग पैदा हो

[श्री चांदमल मेहता]

सकती है। जैसे सरवाड़ का तामड़ा आदि है, यदि इनको बाहर भेजा जायगा तभी मांग पैदा हो सकती है।

श्री **जयनारायण व्यास**—अवश्य प्रोत्साहित करना चाहती है, किन्तु मांग जरूर होनी चाहिये, बिना जरूरत के किसी चीज को प्रदर्शित करना उस चीज के प्रति स्नेह पैदा नहीं करता है।

श्री **चांदमल मेहता**—प्रदर्शिनी का एम क्या होता, है क्या जिस चीज की मांग होती है उन्हीं का प्रदर्शन कराया या नयी चीजों को प्रदर्शित करके उनके प्रति लोगों को आकर्षित कर मांग पैदा कराना ?

श्री **जयनारायण व्यास**—मांग पैदा करने के लिये कौनसी चीजों को प्राथमिकता देनी चाहिये यह विभाग अच्छी तरह से जानता है, और खूब बुद्धिमानी से काम करता है।

श्री **चांदमल मेहता**—क्या राजस्थान में जितनी भी प्रदर्शिनी हुई उनमें खनिज पदार्थों को दिखाया गया है, क्या उनकी मांग होने पर ही प्रदर्शित किया गया था ?

श्री **जयनारायण व्यास**—राजस्थान में क्या क्या वस्तुयें हैं और किन किन चीजों का व्यापार व उद्योग किस किस प्रकार चलाया जा सकता है, इस ख्याल से दिखाई जाती है ताकि मांग पैदा की जा सके। इस प्रकार चीजों की मांग बढ़ाने की तीन स्टेजेज़ हो सकती हैं, एक स्टेज होती है वस्तुओं का प्रदर्शन करना, दूसरी स्टेज उसकी मांग होती है और तीसरी स्टेज़ में वह सप्लाई की जाती है।

श्री **चांदमल मेहता**—राजस्थान सरकार राजस्थान में पैदा होने वाले खनिजों की मांग पैदा करने के लिए हिन्दुस्तान के बाहर एक्जीबिशन में यहां की चीजों को भेजना क्यों आवश्यक नहीं समझती ?

श्री **जयनारायण व्यास**—राजस्थान सरकार उन्हीं चीजों को बाहर प्रदर्शित करना ज्यादा आवश्यक मानती है जिनकी मांग पैदा हो सके।

श्री **चांदमल मेहता**—इसमें राजस्थान सरकार को क्या नुकसान है, यहां के खनिज पदार्थों को बाहर प्रदर्शित करने को भेजने में ?

श्री **अध्यक्ष**—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या २११२

नव निर्मित दूनी तहसील के निर्माण के आधार

श्री सरदारसिंह—क्या राजस्व मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) नव निर्मित दुनी तहसील का निर्माण सरकार ने किस आधार पर किया है ?

(ख) क्या दूनी को तहसील बनाये जाने से पहले जो जो हल्के उसमें मिलाये गये हैं उनके बारे में वहां की पब्लिक से परामर्श किया गया था ?

(ग) क्या इस विषय में सरकार के पास कोई दरख्वास्तें आई हैं ?

(घ) अगर हां, तो अब सरकार उन पर क्या विचार कर रही है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मन्त्री)—(क) जागीर पुनः ग्रहण के परिणाम स्वरूप दूनी तहसील कायम करते समय जन संख्या, आमदनी तथा शासनीय सुविधा को ध्यान में रखा गया था।

(ख) जी नहीं।

(ग) जी हां।

(घ) उन पर विचार किया जा रहा है।

प्रश्न संख्या २११३

टोंक जिले की कुछ तहसीलों में टिड्डियों के आक्रमण तथा इनसे प्रभावित कृषकों को आर्थिक सहायता

श्री सरदारसिंह—क्या राजस्व मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) टोंक डिस्ट्रिक्ट की किस तहसील में इस साल टिड्डियों द्वारा फसल को नुकसान पहुँचा ?

(ख) टिड्डियों के आक्रमण की सूचना संबन्धित तहसील को दे देने पर तहसीलदार ने क्या एक्शन लिया ?

[श्री सरदारसिंह]

(ग) क्या डिस्ट्रिक्ट हैड क्वाटर टोंक में कोई एन्टी लोकस्ट (कोर) है ? अगर है, तो उसने कहां कहां मदद की ?

(घ) जिन किसानों का टिड्डियों द्वारा नुकसान हुआ है उनको राहत देने के लिए सरकार क्या सोच रही है ?

श्री **मोहनलाल सुखाड़िया** (राजस्व मन्त्री)—(क) तहसील मालपुरा, नीवाई, वा उनियारा ।

(ख) सूचना मिलते ही डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चरल ऑफिसर वा तहसीलदारान को मौके पर भेजा गया और उन्होंने टिड्डियों को बी. एच. सी. पाउडर छिड़क कर, जला व मारकर ट्रेन्चेज़ में डालकर खत्म किया ।

(ग) नहीं ।

(घ) नुकसान के नक्शे तैयार होकर आने पर कार्यवाही की जावेगी ।

श्री **सरदारसिंह**—क्या वह नकशा नवम्बर में रिएलाइजेशन की तारीख निकलने के बाद या पहले ही आ जायगा ?

श्री **मोहनलाल सुखाड़िया**—पहले ही आया करता है ।

प्रश्न संख्या २११४

श्री **भोगीलाल पंड्या**—अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न का उत्तर पृथक राजस्व मन्त्री अपनी आने वाली दूसरी पारी में देंगे । इसका जवाब अभी तक नहीं आया है ।

श्री **अध्यक्ष**—नेक्स्ट पारी तो आने वाली नहीं इस सत्र में, हमने पारी का कोई ख्याल नहीं रखा था । This is only for 3 or 4 days.

श्री **भोगीलाल पंड्या**—क्योंकि इसका जवाब अभी तक नहीं आया अगर कल तक आ जायगा तो इसका जवाब दे दिया जायगा ।

प्रश्न संख्या २११५

पुलिस विभाग में डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट के पद पर व्यक्तियों के प्रोमोशन के आधार

श्री **चांदमल मेहता**—क्या गृहमन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देनें की कृपा करेंगे :

Page No.16

[श्री चांदमल मेहता]

(क) इस वर्ष कितने पुलिस कर्मचारियों को प्रमोशन देकर डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस के स्थान पर नियुक्त किया गया है ?

(ख) उनके नाम व उनकी योग्यतायें क्या क्या हैं और उनकी सर्विस कितने कितने साल की हैं ?

(घ) उक्त व्यक्तियों का सिलेक्शन किस आधार किया गया है ?

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मन्त्री)—(क) १४ ।

(ख) स्टेटमेंट टेबल पर रख दिया गया है ।

(ग) चुनाव का मुख्य आधार उस कर्मचारी की योग्यता और इन्सपेक्टर के पद पर उसकी सिनियोरिटी तथा अन्य प्रकार से उसकी उपयुक्तता जैसे व्यक्तित्व और चरित्र, दक्षता, कार्य क्षमता, हिन्दी और अंग्रेज़ी में अपने को व्यक्त करने का चातुर्य एवं योग्यता, टेक्निकल जानकारी और पिछली सर्विस का रेकार्ड आदि है । उक्त स्टेटमेंट में वर्णित व्यक्तियों का चुनाव इन्हीं आधार पर किया गया है ।

श्री चांदमल मेहता—अध्यक्ष महोदय, जो सूची सदन की मेज पर रखी जाय उसके बारे में आपके यह आदेश हैं कि या तो उसकी एक प्रति प्रश्नकर्त्ता को दी जाय और एक प्रति इन्क्वायरी ऑफिस में रखी जाय, ताकि सदस्यगण देखकर सप्लीमेन्टरी सवाल कर सकें । लेकिन अफसोस है कि इस तरफ ख्याल नहीं रखा जाता । क्या आप इस बारे में आदेश देने की कृपा करेंगे कि उस सूची को पढ़ दिया जाय ?

श्री अध्यक्ष—आप फिर बाद में भी प्रश्न कर सकते हैं । The Hon'ble Member can table any other question.

श्री चांदमल मेहता—सप्लीमेन्टरी बाद में कैसे हो सकते हैं ?

श्री जयनारायण व्यास—मैं उस सूची को पढ़ देता हूं ।

श्री अध्यक्ष—I have no objection.

श्री जयनारायण व्यास—वह सूची इस प्रकार है :

नाम	योग्यतायें	विभागीय	सेवाकाल वर्ष
१. श्री मानसिंह	नोर्न मैट्रिक	सैनिक शिक्षा प्राप्त	२१
२. श्री मोतीलाल	इन्टरमिडियेट	पुलिस ट्रेनिंग स्कूल, सागर से सब इन्स्पेक्टर कोर्स पास	१२
३. श्री मानसिंह	हिन्दी और अंग्रेजी की जानकारी प्राप्त	मेवाड़ पुलिस ट्रेनिंग स्कूल, उदयपुर से सब इन्स्पेक्टर की परीक्षा पास	१६
४. श्री हरिकिशन	बी. ए.	इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पुलिस इन्स्पेक्टर की परीक्षा पास	१७
५. श्री गोपालचन्द्र	बी. ए. एल-एल बी.	सेटलमेन्ट डिपार्टमेन्ट की सभी ब्रान्चों की ट्रेनिंग ली पुलिस ट्रेनिंग स्कूल, जयपुर की परीक्षा पास	२४
६. श्री मोहम्मद इब्राहीम	मैट्रिक	पुलिस ट्रेनिंग स्कूल मुरादाबाद से सब इन्स्पेक्टर ट्रेनिंग पास	२०
७. श्री दुर्गपालसिंह	मैट्रिक	इण्डियन स्टेट फोर्सेज़ ट्रेनिंग स्कूल इन्दौर में शिक्षा ली	१२
८. श्री अवतारसिंह	बी. ए.	पुलिस ट्रेनिंग स्कूल, फिल्लौर से सब इन्स्पेक्टर कोर्स पास शिमला, अमृतसर, फिल्लौर और जालन्धर में सी. आई. डी. की ट्रेनिंग ली	१८

Page No.18

[श्री जयनारायण व्यास]

९. श्री शिवसिंह	मैट्रिक	पुलिस ट्रेनिंग स्कूल, मुरादाबाद से सब इन्स्पेक्टर का कोर्स पास, पुलिस ट्रेनिंग स्कूल, किशनगढ़ में रिफ्रेसर कोर्स की शिक्षा ली	२०
१०. श्री कृष्ण बलदेव	बी. ए., एल.एल. बी.	पुलिस ट्रेनिंग स्कूल, किशनगढ़ में रेफ्रेसर कोर्स की शिक्षा ली	१४
११. श्री अर्जुनसिंह	मैट्रिक	पुलिस ट्रेनिंग स्कूल, मुरादाबाद से सब इन्स्पेक्टर का कोर्स पास	२०
१२. श्री रामेश्वरलाल	मैट्रिक	पुलिस ट्रेनिंग स्कूल, सागोर से सब इन्स्पेक्टर का कोर्स पास	१२
१३. श्री लक्ष्मीकान्त	बी. ए. एल.,एल. बी.	जयपुर में ड्रिल की लोकल ट्रेनिंग पास और मस्केटरी का कोर्स पास	७
१४. श्री रासबिहारी लाल	एस. एल. सी.	जयपुर से लोकल पुलिस ट्रेनिंग पास	२५

श्री चांदमल मेहता—यह जो सिलेक्शन किया था किस अधिकारी ने किया था ?

श्री जयनारायण व्यास—अमूमन सिलेक्शन करने के लिए कुछ कमेटियां बनाई जाती हैं, लेकिन इसमें कौन सी कमेटी बनी थी मैं नहीं कह सकता, लेकिन आई. जी. पी. जरूर सिलेक्शन में थे।

श्री चांदमल मेहता—कमेटी बनी भी थी या नहीं।

श्री जयनारायण व्यास—इस सम्बन्धी सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि इस सिलेक्शन के लिये कोई आवेदन पत्र आमन्त्रित नहीं किये गये थे ?

श्री जयनारायण व्यास—सिलेक्शन के लिए आवेदन-पत्र आमन्त्रित नहीं होते, नियुक्ति के लिए होते हैं।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि कुछ व्यक्ति जिन्होंने डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट की ट्रेनिंग की परीक्षा पास की है और उनको इसमें मौका नहीं दिया गया ?

श्री जयनारायण व्यास—मुझे ऐसे पर्टीकुलर नाम बताये जायं तो मैं जांच कर सकता हूं कि किनको मौका नहीं दिया गया। हाइपोथिटिकल क्वेश्चन का जवाब मैं नहीं दे सकता।

श्री चांदमल मेहता—क्या राजस्थान सरकार द्वारा डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट की ट्रेनिंग इस अर्से में दी गई या नहीं ?

श्री जयनारायण व्यास—राजस्थान सरकार डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट की ट्रेनिंग नहीं देती रिफ्रेशर कोर्स की ट्रेनिंग दी जाती है जिसके लिए किशनगढ़ में स्कूल हैं, वहां पर राजस्थान सरकार की ओर से सब इन्स्पेक्टर की ट्रेनिंग दी जाती है।

श्री चांदमल मेहता—जो लिस्ट अभी आपने बताई, क्या यह सही है कि उनसे भी ज्यादा योग्यता वाले व्यक्ति मौजूद हैं और उनको मौका नहीं दिया गया ?

श्री जयनारायण व्यास—ऐसे काल्पनिक प्रश्नों का उत्तर शब्दों में नहीं, बल्कि हवा ही दिया जा सकता है।

श्री भैरोंसिंह—क्या ऐसे प्रोमोशन में पब्लिक सर्विस कमीशन की राय जानी जाती है ?

श्री जयनारायण व्यास—नहीं।

श्री भैरोंसिंह (१६)—क्या सरकार यह आवश्यक नहीं समझती कि इस प्रकार के प्रोमोशन्स में पी. एस. सी. की राय जानी जावे ?

श्री जयनारायण व्यास—नहीं।

श्री चांदमल मेहता—पर सिलेक्शन करते वक्त आवेदन-पत्र जो आते हैं तो उसके बारे में आधार क्या है ?

श्री जयनारायण व्यास—सिलेक्शन करते वक्त जितने भी हमारे नियुक्त व्यक्ति हैं उनकी योग्यता, रुचि, पर्सनल फाइल्स, उनका काम, सभी अधिकारियों के सामने आते हैं।

श्री चांदमल मेहता—ऐसे कितने आवेदन-पत्र सरकार के सामने हैं जिनमें यह रिप्रेजेन्टेशन किया गया है कि हमारा अधिकार होते हुए भी हमें मौका नहीं दिया गया ?

श्री जयनारायण व्यास—मैं नहीं समझता कि कितने हैं। पर होंगे अगर तो उन पर सिलसिलेवार विचार किया जावेगा।

श्री चांदमल मेहता—प्रोमोशन के बारे में जिस कमेटी का जिक्र किया गया उसके अधिकारी नियुक्त करने का अधिकार मुख्य मन्त्री को है कि आई. जी. पी. को है।

श्री जयनारायण व्यास—सारे अधिकार मुख्य मन्त्री को हैं, पर वह अपने अधिकारों को आई. जी. पी. को भी दे सकता है।

श्री चांदमल मेहता—अब तक ये अधिकार मुख्य मन्त्री के पास ही हैं या आई. जी. पी. को दे दिये गये हैं ?

श्री जयनारायण व्यास—मुझे मालूम नहीं कि ऐसी कोई कमेटी भी बनी हैं या नहीं। फिर यह मामला उससे कोई ताल्लुक भी नहीं रखता।

श्री भैरूं सिंह—अगर ऐसी कोई कमेटी नहीं बनी है तो अब बना कर इन सारे मामलों पर सही रूप से विचार करने का कोई आश्वासन सरकार देने को तैयार है ?

श्री जयनारायण व्यास—आश्वासन की कोई आवश्यकता नहीं है। मुख्य मन्त्री अपने अधिकारियों में विश्वास रखते है और जब तक विश्वास रखते हैं और तबतक अधिकारी हैं।

श्री भैरोंसिंह—क्या विश्वास रखने के बावजूद भी यह आवश्यक नहीं समझते कि ऐसी कमेटी का निर्माण होना आवश्यक है ?

श्री जयनारायण व्यास—जिन कामों में आवश्यकता होगी, कमेटियां बनेंगी और जिनमें नहीं होगी, नहीं बनेंगी।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या २११६

उदयपुर डिविज़न के ठिकानों के कुछ कर्मचारियों को राज्य सेवा में लेना

श्री जगतसिंह झाला—क्या राजस्व मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

(क) उदयपुर डिविज़न के किन किन जागीरदारों के ठिकानों में कार्य करने वाले कर्मचारियों के कितने २ आवेदन-पत्र सरकार द्वारा राज्य पत्र में प्रकाशित आज्ञा के बाद आये हैं ?

(ख) उनमें से किन २ को सरकारी राज्य सेवा में स्थान दिये गये हैं ?

श्री भोगीलाल पंड्या(रसद मंत्री, राजस्व मंत्री की अनुपस्थित में)—(क)निम्नलिखित ठिकानों के कर्मचारियों के आवेदन-पत्र नियत तिथि के पश्चात् पेश किये गये—

जिला	ठिकाना	संख्या
डूंगरपुर	पुंज़पुर	२
चित्तौड़गढ़	इस प्रकार की सूचना प्राप्त नहीं है।	
बांसवाड़ा	कोई प्रार्थना-पत्र पेश नहीं हुए।	
उदयपुर	इस प्रकार की सूचना नहीं है।	
भीलवाड़ा	सूचना प्राप्त नहीं हुई।	

और अगर आपका मतलब यह है कि अब तक कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुए, तो उदयपुर में ४१ और चित्तौड़गढ़ में १५।

श्री जगतसिंह झाला—(ख) का जवाब आपने नहीं दिया।

श्री भोगीलाल पंड्या—इनमें से किन किन को सरकारी राज्य सेवा में स्थान दिये ...चना अभी नहीं मिली।

श्री जगतसिंह झाला—यह सूचना कब तक प्राप्त हो जावेगी ?

श्री भोगीलाल पंड्या—सूचना जल्दी ही मिल जावेगी, पर उनमें से अधिकांशों ने नियत तिथि के बाद में आवेदन-पत्र दिये हैं, इसलिये उन पर विचार नहीं किया जा सकता।

श्री भैरोंसिंह—गजट में प्रकाशित होने की सूचना ऐसे कर्मचारियों को न मिलने के कारण जिनको सूचना समय पर न मिल सकी और इस कारण देर हुई तो इस पर क्या सरकार गौर नहीं करेगी ?

श्री भोगीलाल पंड्या—नहीं, इसके बाद तो और सूचना अवधि बढ़ाने की दे दी गई।

श्री भैंरूसिंह—इसकी भी सूचना उन तक नहीं पहुँच सकी और वह अवधि वृद्धि की तिथि समाप्त हो गई। यह अवधि फिर बढ़ाई जाकर दरख्वास्त दिये जाने का अवसर और उनको दिया जावे ।

श्री भोगीलाल पंड्या—मैं समझता हूँ कि सूचना प्राप्त नहीं होती तो हजारों की संख्या में आवेदनपत्र नहीं आते, अलग अलग जिलों से ।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट ।

प्रश्न संख्या २११७

सेटिलमेन्ट से पूर्व नये खोदे गये कूओं पर टैक्स

श्री जयचन्द्र मोहिल—क्या राजस्व मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

(क) सेटिलमेन्ट के पूर्व जिन जिन काश्तकारों ने नये कूए खोदे, क्या उनसे कूए खोदने के नाम से कोई टैक्स लिया गया है ?

(ख) यदि हां, तो किसी डिविज़न में यह टैक्स वसूल होता है और किस डिविज़न में नहीं ?

(ग) क्या यह सही है कि एक डिविज़न के काश्तकारों से नया कूआ खोदने पर-६)रु० फी कूआ टैक्स लिया जाता है और दूसरे डिविज़न में काश्तकारों को नया कूआ खोदने पर लगान तक बंद कर दिया जाता है ? अगर हां, तो ऐसा क्यों ?

(घ) यह वसूली टैक्स के रूप में होती है या लगान के रूप में ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मंत्री)—(क) जी नहीं।

(ख) उदयपुर डिविज़न में उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में खालसे के सेटलमेन्ट शुदा मवाजियात में जदीद चाह १ बीघा से अधिक पीवल करने की सरत में ६ रुपया फी पक्का कूआ लेने का

[श्री मोहनलाल सुखड़िया]

अमल है और जागीर के सेटलमेन्ट शुदा मवाजियात में नये चाह से पीवल करने पर दो रुपये फी बीघा पिलाई वसूल होती है।

(ग) जी हां, वहां का यह पुराना अमल है।

(घ) यह वसूली लगान के रूप में होती है।

प्रश्न संख्या २११८

किशनगढ़ के मदनमोहन लालजी के मन्दिर की सन् १९५३ टी. ए. तथा डी. ए में व्यय की गई रकम

श्री चांदमल मेहता—क्या देवस्थान मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) किशनगढ़ के मदनमोहनलालजी के मन्दिर की ५३-५४ में और चालू वर्ष में टी. ए. और डी. ए. पर कितनी रकम खर्च की गई ?

(ख) उक्त टी. ए. व डी. ए. की रकम में से देवस्थान के अधिकारियों द्वारा कितनी रकम खर्च की गयी ?

(ग) क्या यह सही हैं कि देवस्थान के अधिकारी मनमाना भत्ता उक्त मन्दिर से वसूल करते हैं और उस का हिसाब नहीं देते हैं ?

श्री भोगीलाल पंड्या—(देवस्थान मन्त्री)

(क) ३८४।२।६ पाई।

(ख) कुछ नहीं।

(ग) नहीं।

श्री चांदमल मेहता—क्या कोई रकम देवस्थान के अधिकारियों ने मन्दिर से ले ली है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—इसका उत्तर मैं अपने जवाब में दे चुका हूं कि नहीं।

श्री चांदमल मेहता—यदि इस तरह की रकम ली हुई साबित हो तो माननीय मन्त्री महोदय क्या एक्शन लेने को तैयार हैं ?

Page No.24

श्री भोगीलाल पंड्या—असम्भव बात सम्भव नहीं हो सकती।

श्री चांदमल मेहता—और यदि सम्भव हो जाय तो ?

श्री भोगीलाल पंड्या—माननीय सदस्य इसकी जानकारी पहले प्राप्त करें। सुपरवाइजिंग चार्जेज़ का कुछ हिस्सा हरेक मन्दिर से लिया जाता है और उस में से खर्च किया जाता है, न कि मन्दिर की रकम में से ?

श्री चांदमल मेहता—क्या मदनमोहनजी के मन्दिर की रकम में से टी. ए., डी. ए. रकम इस वर्ष ली है या नहीं ?

श्री भोगीलाल पंड्या—नहीं, १२५१) सुपरविज़न चार्जेज़ के हैं, जिसके पांच प्रतिशत का जो चार्जेज़ होता है, उसमें से खर्च होता है, और इसी में से टी. ए., डी. ए. का खर्चा किया जाता है न कि मन्दिर की रकम में से खर्च किया गया है।

श्री चांदमल मेहता—जो रकम खर्च की गई वह रकम देवस्थान विभाग में आने के बाद देवस्थान विभाग से की गई है या कि मन्दिर में रही हुई रकम में से किया गया है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—देवस्थान विभाग के पास पांच प्रतिशत रकम आ उसमें से।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि मन्दिर ने अबतक कोई रकम दी नहीं है, देवस्थान विभाग को ?

श्री भोगीलाल पंड्या—मन्दिर का और देवस्थान का हिसाब-किताब हमेशा चलता रहता है, जैसा कि आप स्वयं जानते हैं कि मन्दिर से रकम वसूल नहीं हुई थी तब भी वहां के कर्मचारियों को वेतन सरकार ने अपने पास से दिया था, तो यह तो हिसाब की बात है। पर खर्च उस पांच प्रतिशत रकम में से किया गया है।

श्री चांदमल मेहता—जो रुपया खर्च किया गया टी. ए., डी. ए. का बिल भी बना है कि नहीं ?

श्री भोगीलाल पंड्या—जो कोई इस तरह से देवस्थान विभाग से जाता है, उसे विभाग की मन्जूरी लेनी पडती है और उसका टी. ए., डी. ए. दिया जाता है। इसलिये अलग से बिल देने की जरूरत नहीं होती।

श्री चांदमल मेहता—तो इससे क्या यह समझा जावे कि देवस्थान विभाग में बिना टी. ए. डी. ए. के बिल बने ही पेमेन्ट हो जाता है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—जो उसके अपने नियम हैं उसके माफिक पेमेन्ट होता है।

श्री चांदमल मेहता—इन नियमों में बिना टी. ए., डी. ए. के ही पेमेन्ट कर देने का कोई प्रोविज़न है क्या ?

श्री भोगीलाल पंड्या—नहीं, इसमें तो नहीं है। आप नई जानकारी दे रहे हैं। होगा तो तो देखा जावेगा।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि बिना टी. ए., डी. ए. के बिल दिये ही पेमेन्ट लिया है, वह अनुचित है ?

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

श्री भोगीलाल पंड्या—लिया है उसको तो अनुचित उचित कैसे कहें ?

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट, २११६।

प्रश्न संख्या २११६

मदन मोहनलाल जी के मन्दिर के कर्मचारियों को वेतन न मिलना

श्री चांदमल मेहता—क्या देवस्थान मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सही है कि किशनगढ में मदनमोहनलालजी के मन्दिर के कर्मचारियों के बिल कई महीनों से देवस्थान विभाग द्वारा पास नहीं किये गये हैं ?

(ख) यदि हां, तो कितने महीनों से पास नहीं हुये हैं और उसके क्या कारण है ?

(ग) क्या यह सही है कि ऐसे कर्मचारियों को भी तनख्वाह दिलाई गई हैं जिनकी हाजिरी मन्दिर में दर्ज नहीं है ?

(घ) यदि हां, तो ऐसे व्यक्ति कौन कौन हैं ?

(ङ) ऐसे कितने व्यक्ति हैं जिनको ६ महीने से अधिक से तनख्वाह नहीं मिली है ?

श्री भोगीलाल पंड्या (देवस्थान मंत्री)—(क) सही है ।

(ख) कुछ कर्मचारियों के देवस्थान विभाग की भूल से पे बिल समय पर पास नहीं किये गये ।

(ग) जी हां ।

(घ) सब ही कर्मचारी हैं ।

(ङ) कोई नहीं है ।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि मन्दिर के अधिकारियों ने बार बार यह लिखा है कि हमने पे शीट भेजी है और उनमें से एक भी मन्जूर नहीं हुई है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—मेरा उत्तर आपने सुना होता तो आपको विदित हो जाता कि मैंने यह नहीं कहा । मैं अपना उत्तर आपको फिर पढ़ देता हूं ।

मेरा मतलब यह है कि मन्दिर के जो कर्मचारी हैं उनकी पे शीट वहां से आने के बाद में देवस्थान विभाग के कर्मचारियों की भूल से वे पे बिल समय पास नहीं किये जा सके ।

श्री चांदमल मेहता—मेरा कहने का तात्पर्य यह हैं कि मन्दिर के जो कर्मचारी हैं उनकी पे शीट वहां से यहां देवस्थान विभाग में आने के बाद में, यहां के देवस्थान विभाग के अधिकारियों ने उस पे शीट को स्वीकृत नहीं किया ?

श्री भोगीलाल पंड्या—मेरे उत्तर को आप पहले पूरा सुन लें । मैं फिर पढ़े देता हूं ।

श्री अध्यक्ष—No repitition please. The Hon' ble Member can refer to the reply which has already been made.

श्री चांदमल मेहता— पर रिप्लाई साफ नहीं है ।

श्री अध्यक्ष—Try to understand it.

श्री भोगीलाल पंड्या—मैं अपना जवाब दे चुका हूं कि वहां से तो ठीक समय पर पे शीट आ गई थी, पर देवस्थान विभाग के कर्मचारियों की भूल से पास नहीं हुई, समय के अन्दर ।

श्री चांदमल मेहता— जिन्होंने भूल की उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया गया ?

श्री भोगीलाल पंड्या—उनका ऐन्युल इन्क्रीमेन्ट रोक दिया गया है।

श्री धर्मचन्द—क्या इस मन्दिर में हरिजन प्रवेश की अनुमति है।

(हंसी)

श्री भोगीलाल पंड्या—नहीं है।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि हाल के देवस्थान विभाग के अधिकारियों द्वारा मन्दिर से ऐसी रकम काटी गई...

श्री अध्यक्ष—Order please; order.

श्री भोगीलाल पंड्या—मैं अपने जवाब में वह कह चुका हूं।

श्री चांदमल मेहता—अगर इस तरह की रकम के बारे में माननीय मन्त्रीजी को ध्यान में बात लाई जावे जो कि हाल ही के दौरों में वहां से ड्रा किया गया था, तो क्या मन्त्रीजी इस बारे में कोई ऐक्शन लेने को तैयार हैं ?

श्री भोगीलाल पंड्या—मैं स्वयं वहां के दौरे पर जब गया था, तब उनकी दी हुई जानकारी के आधार पर कह रहा हूं कि ऐसी कोई बात नहीं है। पर फिर भी यदि माननीय सदस्य जो सूचना मुझे दे रहे हैं वह अगर सही हुई तो उस पर-विचार करूंगा।

श्री धर्मपाल—ऐसे मन्दिर को सहायता क्यों दी जाती है जिसमें हरिजन प्रवेश न करें ?

श्री अध्यक्ष—अल्पकालीन सूचना प्रश्न।

श्री भैरोंसिंह—एक मेरा भी प्रश्न रह गया साहब।

श्री अध्यक्ष—आप समय पर आये नहीं, अल्पकालीन सूचना प्रश्न।

श्री भैरोंसिंह—पहला प्रश्न ही है।

श्री अध्यक्ष—नो, अल्पकालीन सूचना प्रश्न।

अल्पकालीन सूचना प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष—अल्पकालीन सूचना प्रश्न, श्री हरीराम।

श्री हरिराम— क्या सिंचाई मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) बांसवाडा जिले की घाटोल तहसील में भाटिया नामी तालाब का कार्य कब संपूर्ण हुआ ?

(ख) इस तालाब का ठेका कितने रुपयों में दिया गया था ?

(ग) ठेकेदार को कुल कितनी रकम चुकायी गयी है ?

(घ) क्या यह तालाब वापस फूट गया है ?

(ङ) क्या इस तालाब के फटने का मुख्य कारण ठेकेदार द्वारा खराब मिट्टी व चूने का उपयोग करना व ठीक तरह की चुनाई नहीं करवाना है ?

(च) क्या इस बारे में जनता ने कई बार शिकायतें कीं, परन्तु सिंचाई विभाग ने कोई ध्यान नहीं दिया ?

(छ) इस तालाब के फूट जाने से कितने कुटुम्बों की फसलें व मकान बह गये हैं ?

(ज) सरकार इन कुटुम्बियों की किस प्रकार सहायता कर रही है ?

(झ) इस तालाब के फूटने के लिये कौन जिम्मेदार है ?

(ट) इस तालाब के फूटने से सरकार को कितना नुकसान हुआ है ?

श्री टीकाराम पालीवाल (सिंचाई मन्त्री)— इस विषय में जांच कराई जा रही है।

श्री भैरोंसिंह (वि० सं० १६)—उन्होंने पढ़ने की इतनी कोशिश की और आपने जवाब देने में कुछ कोशिश नहीं की।

श्री अध्यक्ष—उन्होंने आधा ही पढ़ा उसका आधा ही जवाब है।

श्री रोशनलाल—जांच कब तक हो जायगी।

श्री टीकाराम पालीवाल—जल्दी से जल्दी कराई जायगी।

श्री सोहनलाल भटनागर—आपके पास प्रश्न की सूचना कब पहुँची थी ?

श्री टीकाराम पालीवाल—अल्पकालीन सूचना प्रश्न है, इसलिए बहुत थोड़ा समय मिला है।

श्री सोहनलाल भटनागर—माननीय मंत्री को विदित होना चाहिए कि दिवाली की पहले ही सूचना भेज दी गई थी।

श्री टीकाराम पालीवाल—मंत्रीजी के पास वह नहीं पहुँची थी।

श्री भैरोंसिंह (वि० स० १६)—क्या यह सही है कि जांच कराने के आदेश जारी नहीं हुए हैं।

श्री टीकाराम पालीवाल—यह सही नहीं है।

श्री रोशनलाल—क्या आदेश जयपुर से रवाना हो गये हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—इस प्रश्न के दो हिस्से हैं। एक हिस्सा यह है कि जिनके मकान गिर पड़े हैं उनकी जांच की जा चुकी है और कलेक्टर की रिपोर्ट भी आ चुकी है।

श्री भैरोंसिंह—जब रिपोर्ट आ चुकी है और जांच हो गई है तो उसका जवाब देना आवश्यक है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—तालाब वगैरा है उनके बारे में जांच नहीं की गई है।

श्री हरीराम—यह तालाब कब बना था और इसके टूटने की जिम्मेदारी किसकी है ?

(हंसी)

श्री टीकाराम पालीवाल—इस क्वेश्चन की जांच की जा रही है कि किसकी जिम्मेदारी है।

श्री सोहनलाल भटनागर—प्रश्न की इनफर्मेशन पहले से ही आपके ऑफिस में मौजूद है और आप उसको देख सकते थे कि कितने रुपये खर्च हुए हैं, किसको दिये गये हैं। प्रश्न का जवाब पहले से ही मौजूद है तो उत्तर दे सकते थे।

श्री टीकाराम पालीवाल—यह वाजिब नहीं था कि एक जुज का जवाब दे दिया जाय, और दूसरे जुज का उत्तर बाद में दिया जाय। जब तक पूरे प्रश्न का जवाब नहीं हो तो क्या जवाब दिया जाय?

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट, श्री भैरोंसिंह। प्रश्न संख्या २१०३।

प्रश्न संख्या २१०३

सन् १९५२ से अब तक डाकुओं द्वारा आत्म समर्पण

श्री भैरोंसिंह (वि० सं० १६)—क्या गृह मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) जनवरी, सन् १९५२ से अब तक किस किस जिले में किन किन डाकुओं ने आत्म-समर्पण किया?

(ख) इन डाकुओं में से कितने रिहा या बरी हो गये, कितनों के खिलाफ मुकद्मे चल रहे हैं, उनमें कितने जमानत पर हैं और कितने जेल में है?

(ग) कितने डाकुओं को सजा हुई है?

(घ) इन डाकुओं के विरुद्ध क्या क्या अभियोग हैं, कृपया इसकी सूची सदन की मेज पर रखदें?

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मन्त्री)—(क) जनवरी, सन् १९५२ से अब तक ७१ डाकुओं ने आत्म समर्पण किया। इस विषय की सूची सदन की मेज पर रखी गई है।

(ख) इन डाकुओं में से १५ बरी हुए, चालीस जमानत पर हैं।

(ग) १५ जेल में हैं तो ५६ अन्डर ट्रायल हैं।

(घ) उत्तर स्टेटमेंट में दिया गया है।

श्री भैरों सिंह—जिन ७१ डाकुओं के आत्म समर्पण का आपने जिक्र किया है, उनमें से १५ बरी हो गये, १५ को सजा हुई और ४० को जमानत पर छोड़ा है और बाकी २० रहे तो क्या इस प्रकार की कार्रवाई को आप सन्तोषजनक समझते हैं?

श्री अध्यक्ष—इनफार्मेशन दे रहे हैं, संतोषजनक की कोई बात नहीं है।

Page No.31

श्री वेदपाल त्यागी—क्या माननीय मंत्रीजी बतलायेंगे कि जिन लोगों को जमानत पर छोड़ा है उन पर मर्डर के चार्जेज़ भी थे या नहीं ?

श्री जयनारायण व्यास—मैं समझता हूँ कि जो लिस्ट है उसको पढ़ा जा सकता था। उसमें सारी सूचना मिल सकती है।

श्री भैरोंसिंह—क्या यह सही है कि जिन डाकुओं ने आत्म समर्पण किया है, ऐसे डाकुओं के साथ सरकार ने यह शर्त की थी कि उन पर मुकद्दमें नहीं चालाये जायेंगे, उनको जमानत पर छोड़ दिया जायगा।

श्री जयनारायण व्यास—यह बिल्कुल असत्य है।

श्री भैरोंसिंह—क्या यह सही है कि इन डाकुओं में ऐसे आदमी भी थे जिनके खिलाफ मर्डर के केसेज़ लागू थे, लेकिन उनको जिस रोज उन्होंने आत्मसमर्पण किया उसी रोज जमानत पर छोड़ दिया गया ?

श्री जयनारायण व्यास—यह बिल्कुल असत्य है।

श्री भैरोंसिंह—क्या यह सही है कि नागोर के बलवन्तसिंह ने आत्मसमर्पण किया, उसके एक महीने के बाद ही उसको छोड़ दिया गया है ?

श्री जयनारायण व्यास—एक महीने बाद इसलिए छोड़ दिया गया, क्योंकि जो चार्जेज़ थे वह साबित नहीं हुए।

श्री भैरोंसिंह—मैं समझता हूँ कि उस डाकू पर भयंकर आरोप थे उनकी पूर्ण जांच नहीं हुई और महज सरकारी हस्तक्षेप के कारण उसको जमानत पर छोड़ दिया गया।

श्री जयनारायण व्यास—यह बिल्कुल गलत है।

श्री अध्यक्ष—If the case is sub-judice, suc-hquestions should no asked.

श्री भैरोंसिंह—यह माननीय मंत्री जी पर अंकुश है।

श्री अध्यक्ष—If any case is sub-Judice, it is not a sudject of discussion in the House.

श्री सन्तोषसिंह कछवाहा—क्या यह सही है कि जिन डाकूओं ने सरेन्डर किया

[श्री सन्तोषसिंह कछवाहा]

उन्हें सरकार ने नौकरी में रखा है।

श्री जयनारायण व्यास—गवर्नमेंट ने तो नहीं रखे हैं, मगर वह निर्दिष्ट होंगे तो आपकी सिफारिश पर विचार किया जायगा।

श्री सन्तोषसिंह—क्या यह सही है कि बलवन्तसिंह को आपने नौकरी पर रखा है ?

श्री जयनारायण व्यास—यह गलत है। मेरा ख्याल है कि यह किसी खास नियत से ऐसा प्रश्न किया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट, श्री मोटाराम चौधरी।

(अनुपस्थित)

लेजिस्लेटिव बिजनेस

श्री सुगनचन्द—मेरा रह गया।

श्री अध्यक्ष—क्या और प्रश्न रह गये ?

श्री तेजमल बापना—२१०६ नम्बर का प्रश्न रह गया।

श्री अध्यक्ष—These late comers! Yes, Shri Sugan Chand.

प्रश्न संख्या २१०६।

चितौड़ में नल (पाइप) लगाने की योजना

श्री सुगनचन्द जैन—क्या निर्माण मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपया करेंगे:—

(क) चित्तोड़ में नल (पाइप) लगाने की कोई योजना है ? यदि हां, तो अब तक उसमें कितना कार्य हुआ है, कौनसी तारीख को शुरू हुआ था ?

(ख) अब कितना काम होना बाकी है ?

(ग) अब तक काम पूरा नहीं होने का क्या कारण है ?

(घ) अब कब तक काम परा होजाने की

Page No.33

श्री टीकाराम पालीवाल—(निर्माण मंत्री) (क) हां। सन् १९५१ में राजस्थान सरकार से ४१२५० रु० स्केलेटन वाटर सप्लाई के लिये मन्जूर हुए थे, उसमें से २७८२२ रु० खर्च हुए हैं और शहर में पाइप लाइन व स्टेन्ड पोस्ट लगाये गये हैं। यह कार्य १९५१ के आखिर में शुरू किया गया था।

(ख) शहर के कुओं में काफी पानी न होने की वजह से शहर से डेढ़ मील दूरी पर गंभीरी नदी में देह से पानी लेना निश्चित किया है। पाइप वगैरह सामान आ गया है उपरोक्त बनाये हुए देह के पास पम्प हाउस फिल्टर बेड बनवाने हैं और यहां से पाइप लाइन शहर तक लगानी है। शहर में टंकियां लगानी हैं। जिनसे शहर के नलों में पानी दिया जावेगा।

(ग) (१) जिस बावड़ी में से पानी लेना पहिले निश्चित किया गया था वह बावडी सन् १९५२ में सूख गई व (२) दूसरा कार्य पूर्ण करने के लिये आवश्यक धन उपलब्ध न होने की वजह से इतने दिन लग गये हैं और समय पर कार्य पूर्ण न हो सका।

(घ) इस साल के बजट में ७०००० रु० मन्जूर हुआ है। कुल एस्टीमेट ११२००० रु० का है इस कार्य की सन् १९५५–५६ में सम्पूर्ण होने की आशा है।

स्थगन प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष—लेजिस्लेटिव बिजनेन्स।

श्री संतोषसिंह कछवाहा—मैंने जो काम-रोको प्रस्ताव रखा था उसका क्या हुआ ?

श्री अध्यक्ष—मैंने आपको बतला दिया है कि वह रिजेक्ट हो गया है।

(विराम)

Shri Tikaram paliwal

राजस्थान लोकल फन्ड ऑडिट विधेयक, १९५४

श्री टीकाराम पालीवाल—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि राजस्थान लोकल फंड ऑडिट बिल को विचारार्थ लिया जाय।

श्री अध्यक्ष—स्पष्टीकरण।

श्री टीकाराम पालीवाल—लोकल बोडीज़ बहुत सी ऐसी हैं जिनके फन्ड्स को ऑडिट करने का इन्तजाम किया जाना जरूरी है, जो कि अब तक सेटिसफेक्टरी बहुत स्थिति में नहीं रहे। यही इस बिल का उद्देश्य है।

श्री अध्यक्ष— प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री भैंरूसिंह (वि० सं० १६)—मैं इस बारे में थोड़ा स्पष्टीकरण चाहता हूं। ऑडीटर जनरल से यह रेस्पोन्सिबिलिटी स्टेट गवर्नमेंट ने कैसे ली ? अब तक ऑडिटर जनरल ही इसका

[श्री भैरोंसिंह]

प्रबन्ध किया करता था, अब स्टेट गवर्नमेंट ने यह अधिकार अपने हाथ में क्यों लिया है, इस बारे में थोड़ा प्रकाश डाला जाय।

श्री टीकाराम पालीवाल—असल में यह ऑडिटर जनरल के अधिकार क्षेत्र की बात है नहीं और वे इसे अपने अधिकार में रखने के लिये उत्सुक भी नहीं हैं।

श्री चांदमल मेहता—मैं इस पर कुछ निवेदन करना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, जो बिल हमारे सामने आया है और इसके संबन्ध में जो कारण माननीय अर्थ मन्त्री ने बताये हैं कि लोकल बोडीज़ के ऑडिट के संबन्ध में अब तक कोई व्यवस्था नहीं थी, इसलिये यह बिल हाउस के सामने आया है। मैंने इस संबन्ध में समय २ पर कुछ प्रश्न किये थे धर्मार्थ विभाग के संबन्ध में और उनके बारे में यह जवाब दिया गया था कि लोकल ऑडिटर्स हैं उनके जरिये इसकी जांच करने की व्यवस्था की जायगी। इस संबन्ध में पहली बात तो यह है कि जहां इस तरह का बिल लाया जाता है जिसके अंतर्गत लोकल बोडीज़ का हिसाब जांच करने की व्यवस्था है, वहां यह भी चाहिये था कि उन मन्दिरों के हिसाब की जांच करने की भी व्यवस्था की जाती, जिनके एकाउन्ट में आम तौर से गड़बड़ है और जिन देवस्थानों के पैसे को अधिकारी लोग अपना पैसा मानकर उसका दुरुपयोग करते हैं उसकी भी व्यवस्था करना आवश्यक है।

दूसरी बात यह निवेदन करनी है इसकी धारा ६ में इस तरह की व्यवस्था की गई है कि किसी भी क्लिर्क को या किसी भी अधिकारी को स्टेटमेंट देने के लिये बिल बाउचर्स आदि लेकर बुलाया जा सकता है और उसके लिये वख्त दिया जाता है कम से कम ३ दिन का। इस तरह से तीन दिन का वख्त देकर उनको बुलाया जा सकता है। मेरे ख्याल से उनको इससे बड़ी असुविधा होगी और यह भी स्थिति हो सकती है कि ३ दिन में वें नहीं आ सकें और जो काम कराया जाना है उसमें देरी हो सकती है। इस बारे में क्लॉज़ ७ जो रखा है वह बड़ा विचित्र है। जिस किसी भी क्लिर्क या अधिकारी को बुलाया जाय और नहीं आवे तो उसका प्रोसिक्यूशन किया जा सकता है और उस पर जुर्माना किया जा सकता है, महज इसी बात पर कि किसी क्लिर्क को बुलाया गया और वह नहीं आ सका तो उस पर केस चलाया जा सकता है। मैं कहूंगा कि ऐसा नियम कहीं नहीं है कि किसी अधिकारी को बुलाया गया और वह नहीं आ सका तो उसका चालान कर दिया जाय। इस तरह का प्रोविज़न रखना लोकल बोडीज़ के साथ बहुत बड़ा अन्याय होगा। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इन चीजों का स्पष्टीकरण करने की कृपा करें।

श्री भैरोंसिंह (वि. सं. १६) —अध्यक्ष महोदय, इस विधेयक के संबंध में आवश्यकता तो इस बात की थी कि आज हम इस प्रकार का एक कानून बनावे जो लोकल बोडिज़ के हिसाब को चेक करने के साथ साथ यदि हिसाब में गड़बड़ करने के सिलसिले में किसी का कसूर साबित हो तो उसको सख्त से सख्त सजा दें। लेकिन परबतसर से आने वाले माननीय सदस्य के विचार सुने तो

[श्री भैरोंसिंह]

हमें इस बात का ताज्जुब हुआ कि हम एक तरफ तो सदन में और उसके बाहर भी शिकायत करते हैं कि जितनी लोकल बोडीज़ हैं और जो आज फंक्शन कर रही हैं, उनमें से कुछएक को छोड़ कर बाकी के हिसाब में काफी गड़बड़ घोटाला होता है और उस घोटाले की शिकायत लेकर राजस्थान के मंत्रियों के पास, जिम्मेदार अधिकारियों के पास और जिला अधिकारियों के पास हमें कई बार एप्रोच करना पड़ता है और एप्रोच करने के बावजूद भी हमें कई बार संतोष नहीं होता। यहा तक देखा गया है कि लोकल बोडिज़ का ऑडिट तीन चार साल तक नहीं होता है। सीकर जिला बोर्ड के हिसाब की जांच तो ५ साल से नहीं हुई है। जो हिसाब की जांच की गई है उसमें मिस एप्रोप्रियेशन का कुछ पता नहीं लगता है। ५ साल के एकाउन्ट की रिपोर्ट ३ पेज में लिखी गई है। उससे पता नहीं चलता कि कितनी आमदनी किस किस मद में हुई है और कितना खर्चा किस किस पर हुआ है और कितना बेलेन्स रहा है। रकम का सदुपयोग हुआ है या दुरुपयोग हुआ है इस बात का कोई पता नहीं चलता। इसलिये में इस बिल का स्वागत करता हूआ कहूंगा कि जल्दी से जल्दी इस पारित किया जाय और पारित करते हुए इसमें कडाई का प्रोविज़न रखा जाय।

जहां सजा का प्रोविज़न रखा है कि यदि ३ दिन के अंदर लोकल ओडिटर, या कंट्रोलर गवर्नमेन्ट के सामने हिसाब लेकर नहीं आवे तो उसके खिलाफ सख्ती से कार्यवाही करनी चाहिये और कोई भी मेम्बर, अधिकारी या चेयरमेन ऐसी कार्यवाही करता है तो कोर्ट में जाकर उसको सजा का मुस्तहक करना चाहिये केवल यही काफी नहीं है। उसमें यह भी प्रोविज़न करना होगा कि दफा ७ के माफक अपनी जवाबदेही को टालने के लिये अनुपस्थित रहना उचित समझे और ओडिट रिपोर्ट के अनुसार लोकल ओथेरिटीज़ या कंट्रोलिंग ऑथेरिटीज रिपोर्ट के अनुसार यह समझे कि किसी प्रकार से रकम को गडबड की गई है या रकम का दुरुपयोग किया गया है तो वह रकम उससे वसुल को जानी चाहिये। रकम तो वसूल होगी ही लेकिन उसके साथ ही वैसे आदमी को हमें सजा भी देनी चाहिये। यदि सजा का प्रश्न बडा ओफेन्स हैं तो वह पुलिस में चला जायगा और यदि किसी गवर्नमेन्ट सर्वेन्ट के पार्ट में ऐसी गैर जिम्मेदारी पाई जाती है तो जितने भी सर्विस रूल्स हैं उनके माफक उसको सजा दी जानी चाहिये। इस तरह से सजा का प्रोविज़न रखा जाना चाहिये। इसके मेम्बर या चेयरमेन इलक्टेड या नोमिनेटेड हों और उनके द्वारा गड़बड़ी होना पाया जाय तो उनको पदच्युत करना चाहिये और आगे चुनाव के लिये खड़े होने का मौका नहीं देना चाहिये। यदि लोकल बोडीज़ को इस तरह की गड़बड़ी से बचाना है तो यह कानून जरूर होना चाहिये। यदि इसमें सख्ती के साथ काम लिया जायगा तो मैं कह सकता हूं कि आज जो घोटाला होता है वह नहीं होगा और जनता पर जो टेक्स लगाये जाते हैं और उनका जनता विरोध करती है वह जनता आयन्दा उसका विरोध नहीं करेगी क्यों कि जनता को मालूम होगा कि पैसे का सदुपयोग होता है और दुरुपयोग नहीं होगा और यदि दुरुपयोग हुआ तो ओडिट की जब रिपोर्ट आयेगी तो उसको पब्लिक एक महीने के अन्दर अन्दर देख सकेगी। इससे उनको संतोष होगा। जो पैसा दिया गया है उसका दुरुपयोग नहीं होगा और यदि दुरुपयोग होगा तो जिसने जितनी रकम का दुरुपयोग किया है तो दुरूपयोग करनेवाले को

[श्री भैरोंसिंह]

सजा मिलेगी और उससे रकम भी वसूल करली जायगी। किसी व्यक्ति ने ५०० रु० खर्च कर दिये तो उसको ५०० रु० वापिस करने में किसी भी तरह की ताकत नहीं लगानी पड़ेगी, लेकिन जब उसके साथ ही सजा का प्रोविज़न रखा जायगा तो उसको डरना पड़ेगा। ज्यादा से ज्यादा यह सजा हो सकती है कि उसको मेम्बरशिप से हटाया जाय और क्रिमिनल केस है तो उसका पुलिस में चालान किया जाय। इससे लोगों में विश्वास पैदा होगा और गलत धारणाएं दूर होंगी। इसलिये मैं इस बिल का स्वागत करता हुआ मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इस में सजा देने का प्रोविज़न रखना चाहिये। यदि कोई गवर्नमेन्ट सर्वेन्ट है तो सर्विस रूल्स के माफिक उनको सजा देनी चाहिये और यदि चुने हुए मेम्बर गड़बड़ करते हैं तो उनको पदच्युत करना चाहिये। इस तरह का प्रोविज़न रखना जरूरी है।

श्री **टीकाराम पालीवाल** (वित्त मंत्री)—अध्यक्ष महोदय, मुझे सचमुच खेद हुआ, जो माननीय सदस्य परबतसर से आये हुए हैं उन्होंने जो बातें कहीं हैं उनको सुन कर। जो कुछ बिल में प्रोवाइड किया है उनको शायद उन्होंने देखा नहीं है, इसलिये उनको आपत्ति हुई। इसमें साफ है कि जिस किसी को नोटिस दिया जायगा उसको समय दिया जायगा। उस समय में उपस्थित नहीं होगा तब फिर उनके खिलाफ कार्यवाही की जा सकती है, क्रिमिनल प्रोसिडिंग्स की जा सकती हैं, और वह गवर्नमेंट की प्रीवियस सेंक्शन से हो सकेगी। गवर्नमेंट की प्रीवियस सेंक्शन के पहले उसको मौका होगा कि उसके उपस्थित नहीं होने की वजह थी, अगर वह संतोषजनक कारण बता सकेगा कि वह इन कारणों से नहीं आ सका तो उसके खिलाफ कार्यवाही नहीं कि जायगी। कार्यवाही करने का प्रोपोज़ल भी तभी हो सकता है कि जब विलफूली डिसओबे कर रहा हो और, उपस्थित होने कि आज्ञा की अवहेलना कर रहा हो। जो उनको शंकाऐं हैं कि बहुत ज्यादा हेरेसमेंट हो जावेगा वे निराधार हैं।

इसके अलावा देवस्थानों को और मन्दिरों को भी उन्होंने साथ में ला दिखाया जिनका इस बिल से कोई सम्बन्ध नहीं है।

इसके अतिरिक्त माननीय सदस्य जो दांता रामगढ़ से आये हैं उनकी भावनाओं की मैं कद्र करता हूं, कि सही व्यू दिये हैं, किसी हद तक कि यह बिल आवश्यक है लोकल बोडीज़ के एकाउन्ट को चैक करने के लिये, ठीक तरह से रखने के लिये पर वे अपने उत्साह में थोडा आगे बढ़ गये। उनकी मंशा यह है कि एम्बेज़लमेंट के लिये सजा इस बिल में प्रोवाइड कर दें। पर इस बिल का उद्देश्य यह नहीं, इसका उद्देश्य यह है कि लोकल बोडीज़ के एकाउन्ट की जांच हो सके, जैसा चित्र है वह सामने आ जाय, छुपाया नहीं जा सके। इसके बाद किसने खराबी की है, एम्बेज़लमेंट या गलती की है यह सिद्ध होता है, तो इसके लिए क्रिमिनल कोर्ट्स मौजूद हैं। अगर किसी पदाधिकारी को रिमूव करने आदि की बात है तो वह इन सम्बन्धित एक्ट्स में मौजूद है। लेकिन लोकल ऑडिट बिल का यह सम्बन्ध नहीं हो सकता कि नेग्लीजेंस के लिए सजा भी प्रोवाइड करे।

[श्री टीकाराम पालीवाल]

इसका उद्देश्य यह है कि ऐसी व्यवस्था कर दे कि जांच हो सके। जांच करने में अगर कोई रुकावट पैदा करता है, डिसओबे करके डोक्यूमेंट्स को विथ होल्ड करके तो उसको कम्पेल किया जायगा, सजा भी दी जायगी। पर जांच करने के काम में बाधा नहीं डालता, जांच ठीक ढंग से हो जाती है और उससे कोई गलती, खराबी या एम्बेज़लमेंट पाया गया तो अगर क्रिमिनल लाईबिलिटी है तो खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स की जायंगी और अगर नेग्लीजेंस है तो इसके लिए लोकल एक्ट्स में जो सजा प्रोवाइड की गई है वो लोकल ओथेरिटीज़ द्वारा दी जायंगी, उन एक्ट्स के मातेहत लोकल ओथेरिटीज़ उसको रिमूव कर सकते हैं। इस बिल में इस तरह की सजा प्रोवाइड नहीं की जा सकती। इन सब बातों को देखते हुए यह बिल जिस उद्देश्य से बनाया गया है, साफ है और इफेक्टिव भी है। जैसा कि इसमें लिखा भी है मध्य प्रदेश और बोम्बे के आधार पर यह बिल बनाया गया है, इसमें ज्यादा सोच विचार करने की जरूरत नहीं पड़ती। इससे किसी को हेरेसमेंट नहीं होने वाला है। इसमें किसी तरह की खामी मालूम नहीं होती। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि यह बिल पास किया जावे

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि राजस्थान लोकल फन्ड ओडिट बिल, १९५४ विचारार्थ लिया जाय।

(स्वीकृत

प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

श्री भैरोंसिंह—इसको क्लॉज बाई क्लॉज़ लिया जाय, चूंकि अमेंडमेंट्स नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष—अमेंडमेंट्स नहीं हैं, इसीलिये इसको एक साथ लिया जाय, ऐसे रूल्स हैं।

श्री टीकाराम पालीवाल—मैं प्रस्ताव करता हूं कि इसको पास किया जाय।

श्री भैरोंसिंह—इसकी थर्ड रीडिंग तो हुई ही नहीं।

श्री अध्यक्ष—The rules are there. What is there in the third reading?

श्री भैरोंसिंह (दांता रामगढ़)— इसमें जो खामियां हैं उनको दूर कराने के लिये मैं इसके विरोध में बोलूंगा।

श्री अध्यक्ष—The Member cannot blow hot and cold in the same breath. The member has just supported the Bill.

श्री भैरोंसिंह—मैं इसमें सुधार करने के लिये अमेंडमेंट पेश करना चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष—I will always welcome if the Hon' ble Members want to put in any amendment, but then there must be some limit to it. We had circulated the Bill long ago and the amendments ought to have come. This sort of dilatory tactics that it should be proceeded clause by clause; all this is to obstruct the proceedings of the House.

श्री भैरोंसिंह—इन सब ओब्स्ट्रक्शन्स का तो सवाल नहीं। हम यह समझे हुए थे कि ३ दिन तक तो टिनेन्सी बिल चलेगा, इसलिये बाद में अमेंडमेंट्स इस पर दे देंगे।

श्री अध्यक्ष—कभी ऐसे धोखे में नहीं रहना चाहिये कि ३ दिन तक टिनेन्सी बिल चलेगा। टिनेन्सी बिल का अब कभी भी कोई क्लॉज़ आया तो अमेंडमेंट्स पोकेट्स में तैयार रहे। All this should be stopped and the Member should co-operate with me in establishing a good practice.

श्री भैरोंसिंह (दांता रामगढ़)— भविष्य में ऐसा नहीं होगा, पर इसमें ऐसा रिलेक्स कर दें तो ठीक होगा।

श्री अध्यक्ष—No, No, प्रश्न यह है कि राजस्थान लोकल फन्ड ओडिट बिल, १९५४ के पारित किया जाय।

(स्वीकृत)

बिल पास किया गया।

श्री टीकाराम पालीवाल—धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष—(श्री भैरोंसिंह की ओर लक्ष्य करते हुए) आपको बोलना है तो आगे बिल आने वाले हैं उन पर बोलिये।

श्री भैरोंसिंह—(दांता रामगढ़) मुझे बोलने का शौक नहीं है। मैं तो इसमें जो खामियां थीं उनको रिमूव कराने के लिये बोलना चाहता था।

श्री अध्यक्ष—आपने अपने आप पहले तो कह दिया था कि मैं इस बिल का स्वागत करता हूँ और बाद में आप कहते हैं कि इसके विरोध में बोलेंगे।

Why should the time of the House be wasted?

Page No.39

राजस्थान औपनिवेशिक विधेयक, १६५४

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मन्त्री)— Sir I, beg to move that the Bill to make better provision for the colonisation and administration of lands in Rajasthan, as reported by the Select Committee, be taken into consideration.

श्री अध्यक्ष—प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ। Should I put the question?

प्रश्न यह है कि राजस्थान कोलोनाइज़ेशन बिल, १६५४, जो प्रवर समिति से प्रस्तुत हुआ है, विचारार्थ लिया जाये।

(स्वीकृत)

प्रस्ताव पास हुआ।

अब हम क्लॉज़ बाई क्लॉज़ इसको कन्सीडर करते हैं। क्लॉज़ २ पर श्री चांदमल मेहता का संशोधन है। श्री चांदमल मेहता।

श्री चांदमल मेहता—Mr. Speaker, Sir, I beg to move the following amendment to clause 2:

"Delete sub-clause (vi)."

माननीय अध्यक्ष, सब क्लॉज़ (६) में लैंड कल्टीवेड परसनली की डेफिनिशन दी हुई है और मूल बिल में जो लैंड कल्टीवेटेड पर्सनली की डेनिशन थी उसको सिलेक्ट कमेटी ने कुछ अमेंड भी किया है। इस बिल को आद्योपान्त पढ़ने के बाद में पता चलेगा कि कहीं भी इसमें लैंड कल्टीवेटेड पर्सनली का इस्तेमाल नहीं हुआ है और जब कि सारे बिल में लैंड कल्टीवेटेड पर्सनली की कहीं चर्चा ही नहीं है तो उस हालत में इस तरह की डेफिनेशन देना आवश्यक है और मैं आशा करता हूँ कि माननीय मन्त्री महोदय मेरे इस अमेंडमेंट को स्वीकार कर लेंगे

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—माननीय अध्यक्ष, इसमें जो लैंड कल्टीवेटेड पर्सनली की डेफिनेशन दी गई है वह वही है जो टिनेन्सी बिल में स्वीकार की गई है और मैं समझता हूं कि इसको हटाने की जरूरत नहीं और इस को रखना चाहिये क्योंकि आगे चल कर ऐसे प्रोविज़न हैं जहां टिनेन्सी बिल से कोलोनाइज़ेशन बिल का रेफरेन्स आता है। इसलिये मैं समझता हूं कि इसको रखना चाहिये।

श्री चांदमल मेहता—अध्यक्ष महोदय, इसमें ऐसी क्लॉज़ मौजूद है जिसमें यह लिखा है कि जिस के संबन्ध में कोई प्रोविज़न नहीं है उन केसेज़ में टिनेन्सी बिल के प्रोविजन्स यहां लागू

[श्रीचांदमल मेहता]

होंगे। इसलिये मैं एक बार माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इस पर सोचें। मैं तो कम से कम इसको आवश्यक मानता हूं।

श्री अध्यक्ष—आप इसको वापिस लेना चाहते हैं या वोट लिये जावें।

श्री चांदमल मेहता—अगर माननीय मन्त्री महोदय इसको उचित नहीं समझते तो मैं अपना संशोधन वापिस लेना चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष—क्या सदन की यह अनुमति है।

(स्वीकृत)

अमेंडमेंट वापिस लेने की अनुमति दी गई।

श्री चांदमल मेहता—मैं अपना अमेंडमेंट वापिस लेता हूँ।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि क्लॉज़ २ विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ २ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉज़ेज़ ३ व ४

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ेज़ ३ और ४ विधेयक के अंग बनें।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ेज़ ३ और ४ विधेयक में अंग रूप से जोड़े गये।

(विराम)

क्लॉज़ ५, श्री जवानसिंह।

श्री जवानसिंह—माननीय अध्यक्ष, क्लॉज़ ५ में उपधारा १ के अन्दर मेरा संशोधन इस प्रकार से है कि जहां पर शब्द 'in a colony' जो इस वक्त में हैं वहां पर नहीं रह कर इसकी अगली लाइन में "held" और "and to the proceedings" के बीच में रख दिये जावे तो बहतर होगा। इस संशोधन से मेरा आशय यह है कि जैसे यह बिल सिलेक्ट कमेटी में गया और वहां पर कंसीडर होने के बाद रिपोर्ट आई है उसको अगर हम देखते हैं तो ऐसा मालूम होता है कि दूसरे कानून टिनेन्सी और लैंड रेवेन्यू के लागू होंगे। इसका मतलब यह है कि साधारणतः टिनेन्सी और लैंड रेवेन्यू के कानूनों को कोलोनी में लागू करने की इच्छा रखते हैं और इसकी मंशा को पूरी करने के लिये इसमें धाराएं ५ और ६ रखी गई हैं और इन दोनों धाराओं को कार्यान्वित किया गया है। अगर यहां पर जिस जगह "in a colony" रखा गया है इसका अर्थ यह होगा कि जो कानून लैंड रेवेन्यू का लागू है वे भी उन जगहों पर लागू होंगे और यहां से उठा कर लैंड के बाद रख दिया जावे तो इसका अर्थ यह होगा कि जो कानून और जगहों पर लागू होगा यहां पर भी लागू हो जाना चाहिये। ऐसी रिपोर्ट है। इससे जैसा होना चाहिये वैसा हो जावेगा। मगर इसमें फर्क इतना ही है कि "in a colony" में यह लागू किया जाता है। साधारण कानून है वहां लागू होना चाहिये और इस आशय से- कोलोनाइज़ेशन उधर से उठाकर बाद में लगा दिया जावे तो इस मंशा की पूर्ति हो जावेगी। इसलिये मैंने यह संशोधन प्रस्तुत किया है।

(६.४५ पर श्री हिम्मतसिंह अटरू, सभापति, पदासीन)

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—इसकी लैंग्वेज़ फिर कैसे बनेगी ?

श्री जवानसिंह—Sub-clause (1), last line...

श्री सभापति—(श्री जवानसिंह को संबोधित करते हुए) आपको पूरा पढ़ कर सुना दें।

श्री जवानसिंह—यह क्लॉज़ बाद में इस प्रकार रन करेगा :

"Except as otherwise provided in this Act, the laws relating to agricultural tenancies, land, the powers, duties, jurisdiction, and procedure of revenue courts, the survey and record operations, the settlement and collection of revenue, rent and other demands and the partition of estates and tenancies, for the time being in force, shall, in so far as may be applicable, apply to tenancies held in a colony, and to proceedings conducted under this Act."

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मैं इन शब्दों को चेलेन्ज करना आवश्यक तो नहीं समझता लेकिन आपका जो मतलब है वह पूरा, हो जाता है :

"shall in so far as may be applicable, apply to tenancies held."

Page No.42

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

I am not opposed to your amendment, but अभी मौजूदा लेंग्वेज से पर्पज़ सर्व नहीं होता है, लेंग्वेज के अन्दर यह जो है "rent and other demands and the partition of estates and tenancies, for the time being in force in a colony, shall so far as may be applicable, apply to tenancies held and to proceedings..."

इसकी जगह यह रहेगा

"for the time being in force, shall, in so far as may be applicable, apply to tenancies held in a colony and to proceedings..."

यह लेंग्वेज आप समझते हैं कि that would be an improvement ?

श्री जवानसिंह—That will clear the meaning.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—I have no objection to agreeing to that proposal, but my own feeling is that perhaps this is already there.

श्री जवानसिंह—लॉ डिपार्टमेंट से पूछ लीजियेगा।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—लॉ डिपार्टमेंट ने तो तैयार ही किया है। मैं यह कहूँगा कि जो है वही रहना चाहिये इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है।

श्री चांदमल मेहता—चूंकि इसमें कोई कानूनी रुकावट नहीं पड़ती और मतलब पूरा हो जाता है, इसलिये यही रहे तो क्या एतराज है ?

श्री जवानसिंह—अगर आप यह समझते हैं कि मतलब पूरा हो जाता है तो मुझे इसे वापिस लेने में कोई एतराज नहीं।

श्री सभापति—क्या सदन की यह अनुमति है कि श्री जवानसिंहजी ने जो संशोधन पेश किया है वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

संशोधन वापिस लेने की अनुमति दी गई।

श्री जवानसिंह—मैं अपना संशोधन वापिस लेता हूँ।

Page No.43

श्री सभापति—क्लॉज़ ५ पर कोई अमेंडमेंट नहीं है इसलिये इस पर मत ले लिये जाते हैं।

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ५ विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ५ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉज़ ६ डिलीट हो चुका है और क्लॉज़ ७ पर कोई अमेंडमेंट नहीं है। इसलिये क्लॉज़ ७ को पास करने के बाबत मत लिये जाते हैं। प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ७ विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ७ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉज़ ८, श्री जवानसिंह।

श्री जवानसिंह—माननीय चेयरमेन, क्लॉज़ ८ में मेरे दो संशोधन हैं और दोनों को ऑल्टर्नेटिव माना जावें। एक संशोधन तो यह है कि सब क्लॉज़ (२) को डिलीट किया जावे और दूसरा यह है कि सब क्लॉज़ (२) में फिलहाल संशोधन ना मंजूर हो जावे तो इस सूरत में मैं दूसरा संशोधन प्रस्तुत करूंगा ऐसा मेरा निवेदन है।

माननीय चेयरमेन महोदय, इस बिल को जहां तक मैं देख पाया हूं इसके क्लॉज़ेज़ के अन्दर केवल सरकार को अधिकार लेते ही हुए पाया है। जिनकी तहत में वे कॉलोनी में कुछ कार्यवाही करेगी और इस प्रकार से व्यवस्था को चलाने के लिए सरकार अधिकार लेना पसन्द करेगी। मुझे आशा थी इस बिल के आने से पहले कि जब इस प्रकार का बिल आयेगा सदन के सामने तो उस बिल में कोई निश्चित रूपरेखा हमारे सामने आयगी और फिर हम इस स्थिति में होंगे कि हम अपना एक निश्चित मत प्रगट कर सकें, हम किसी चीज को महसूस अपने सामने कर सकें, देख सकें कि हम अपनी कोलोनीज़ में प्रोजेक्ट एरिया बनाना चाहते हैं, किसी व्यवस्था को सुधारना चाहते हैं, काश्तकारों की हालत को सुधारना चाहते हैं, वहां रहने वालों की हालत को सुधारना चाहते हैं, वहां की व्यवस्था को अच्छी करना चाहते हैं, आर्थिक तौर से और से भी। सदन का ख्याल था इस बिल के बारे में कि सदन के सामने कोई निश्चित चित्र आयगा और सदन इस स्थिति होगा और समझ सकेगा कि कौनसी वह व्यवस्था है जो सरकार उन कोलोनीज़ में रखना चाहती

Page No.44

[श्री जवानसिंह]

है, वहां के रहने वालों के लिए, वहां के काश्तकारों के लिए क्या साधन हैं? वह कौनसी ऐसी व्यवस्था कायम करना चाहती है? इस प्रकार की आशा थी हमारी इस बिल को यहां सदन में लाने से पहले।

जब हम इस बिल को देखते हैं तो हमें कुछ भी नहीं मालूम पड़ता है। कौनसी व्यवस्था सरकार उन कॉलोनीज़ के लिए करने जा रही है और सरकार अधिकार प्राप्त करने के पश्चात् कौनसा तरीका अपनायगी जिसके लिए सरकार इस कानून के जरिये अधिकार लेना चाहती है। बहुत बहतर होता कि कुछ प्रोविज़न्स इस बिल में होते जिससे जनता को मालूम हो सकता था, सदन को मालूम हो सकता था, कि सरकार इस प्रकार की व्यवस्था कायम रखना चाहती है। जब वह चीज़ ही हमारे सामने नहीं है तो मैं इतना ही निवेदन कर सकता हूं कि जब उपधारा २ को लेते हैं जो इस आशय को प्रकट करती है कि सरकार ने कुछ कन्डीशन्स और कुछ स्टेटमेंट्स उन काश्तकारों के लिए निश्चित किये हैं जिसकी तहत सरकार जमीनें अलाट करेगी।। जब उन शर्तों को सरकार ले लेती है और जो केवल सुरक्षित हैं, जब वे चाहे वे निश्चित करेंगी। तो इस प्रकार का अधिकार लेने का तरीका सरकार ने अपने पास रखा है। मैं भी नहीं चाहता और कोई भी प्रजातन्त्र का नागरिक नहीं चाहेगा कि इस प्रकार की बातें, इस प्रकार के अधिकार, सरकार अपने हाथ मे ले ले और उसके लिए जनता को नहीं मालूम हो सके और वह सदन को भी न मालूम हो सके कि कौन से अधिकार सरकार लेना चाहती है और क्या व्यवस्था करना चाहती है?

इन सारी चीजों को जब हम देखते हैं तो हमें मालूम होता है कि सरकार इस सदन के भी अधिकार लेना चाहती है और फिर वह शर्तें मुकर्रर करेगी। इस तरह की चीज तो सदन के अधिकार में ही रखने की होती हैं और सदन यह कभी मंजूर नहीं करेगा। इसीलिए मैंने उपधारा २ के सम्बन्ध में संशोधन रखा है कि इस उपधारा २ को डिलीट कर दिया जाय। सरकार दोनों हाथों में यह चीज नहीं रख सकती कि वह जब चाहे जब शर्त कायम करे और व्यवस्था करे। जो चीजें इनको करनी हैं वे यहां तय होना चाहिये, यहां पास होना चाहिये और वे कानून का अंग बनाना चाहिए और फिर हम सोच सकते हैं कि आया वे किन्हीं स्वार्थों के लिये तो नहीं हैं, केवल उन्हीं के आदमियों के लिए तो नहीं है किन्हीं संस्थाओं के लिए तो नहीं है और किन्हीं विशेष व्यक्तियों के लिए तो नहीं है। और यह पब्लिक के लिए, आम साधारण जनता के लिए एक व्यवस्था है। मैं समझता हूं कि फिर सदन उन शर्तों को पास करेगा और फिर कोई रुकावट भी नहीं आयेगी कि जिससे इस बिल का विरोध हो सके। ऐसी चीज़ नहीं होने से यह निवेदन करता हूँ कि यह सब क्लॉज़ डिलीट कर दिया जाय।

श्री सभापति—श्री चांदमल मेहता।

पहले सब क्लॉज़ ८ के सब क्लॉज़ (२) को ले लेते हैं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—सब क्लॉज़ (३) भी ले लें।

श्री जवानसिंह—अगर मेरा यह अमेंडमेंट ना मंजूर हो जाय तो फिर दूसरा मूव करूंगा।

श्री सभापति—सहूलियत इसमें होगी कि पहले सब क्लॉज़ (२) ले लिया जाय। श्री चांदमलजी का इस पर अमेंडमेंट है। उस पर वे बोलना चाहेंगे।

श्री चांदमल मेहता—Mr. Chairman, Sir, I beg to move the following amendment to clause 8:—

"Delete the words 'to tenants' occurring at the end of sub-clause 2."

चेयरमेन महोदय, सब क्लॉज़ (२) इस प्रकार है :

"The State Government may issue a statement or statements of the conditions on which it is willing to grant land in a colony to tenants."

इस सब क्लॉज़ में इस तरह की व्यवस्था की गई है कि सरकार स्टेटमेंट इश्यू कर सकती है उन शर्तों का जिनके आधार पर वह कोलोनी में टिनेन्ट्स को जमीन अलाट करना चाहती है। अब इसको पढ़ने के साथ हमें सबसे पहले टिनेन्ट की डेफिनेशन को देखना होगा कि टिनेन्ट कौन और किनके लिए सरकार स्टेटमेंट इश्यू करने जा रही है ? यदि हम टिनेंट की डेफिनेशन को देखें तो वह इस प्रकार है : "Tenant" means any person holding land in a colony and includes his predecessors and successors in interest and transferees."

इसका मतलब यह हुआ कि सरकार जो स्टेटमेंट इश्यू करेगी वह उन व्यक्तियों के लिए करेगी जो कॉलोनी में लैंड होल्ड करते हैं। यानी जिनके पहले कॉलोनी में लैन्ड है उनके लिए वह स्टेटमेंट इश्यू करेगी। यदि हम इस क्लॉज़ की सब क्लॉज़ ३ को देखें तो उसके देखने से यह पता चलता है कि यह मंशा सरकार की कभी नहीं है। सरकार की मंशा जो कुछ है वह यह है कि किसी भी व्यक्ति को लैन्ड अलाट की जा सकती है, जिसके लिए कन्डीशन इश्यू होगी और सब क्लॉज़ ३ में उसके बारे में जहां 'अनी बॉडी' लिखा गया है उससे साफ हो जाता है।

तो मैं यह निवेदन करूंगा कि जो 'टिनेन्ट्स' शब्द है वे इसमें से निकाल दिया जाना चाहिये। यदि 'टिनेन्ट्स' शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो सिर्फ वे ही व्यक्ति उन कंडीशन्स के अन्तर्गत जमीन लेने के अधिकारी हो जाते हैं जो कॉलोनी में जमीन रखते हैं और उन आदमियों के लिए कोई मौका नहीं रहता है जो नये जाकर वहां रहते हैं। इसी दृष्टि से मैंने 'टिनेन्ट्स' शब्द को डिलीट करने के लिए यह संशोधन रखा है और मैं मानता हूँ कि यह बहुत ही आवश्यक

Page No.46

[श्री चांदमल मेहता]

है कि यदि यह डिलीट नहीं किया गया तो उसके परिणाम स्वरूप जिन लोगों के पास कॉलोनी में जमीन है वे ही वहां पाने के मुस्तहक होंगे और नये आदमियों को जमीन पाने का मौका नहीं रहेगा ।

श्री नाथूराम मिर्धा—माननीय चेयरमेन साहब, क्लॉज़ ८ के सब क्लॉज़ (२) के बारे में जो दो संशोधन, एक तो माननीय सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य ने और दूसरा परबतसर से आने वाले मानीनय सदस्य ने रखे हैं। जो पहला संशोधन है वह इस सब क्लॉज़ को डिलीट करने के बारे में है । माननीय चेयरमेन, मेरे खयाल से यदि हम इस क्लॉज़ को सब क्लॉज़ १ को देखें और इसका जो हेडिंग "Issue of statement of conditions of tenancy." है उसको देखें और जब हम उस सब क्लॉज़ को पहले स्वीकार कर लेते हैं तो उसके बाद में सब क्लॉज़ (२) बिल्कुल उसका सीक्वेन्स बन जाती है । सब क्लॉज़ १ में यह व्यवस्था की गई है कि राज्य सरकार उस कॉलोनी में जमीनें देने के बारे में कुछ तरीका प्रेसक्राइब करेगी और वह तरीका किस तरह से प्रेसक्राइब करेगी उसका जिक्र सब क्लॉज़ (२) में है । सब क्लॉज़ (२) में यह बात कही गई है कि राज्य सरकार जमीन किन शर्तों पर किसानों को देगी ?

राजस्थान सरकार जमीन किस शर्त पर किसानों को देगी ? उसके लिये जो कन्डीशन्स आवश्यक होंगी उनको शाया किया जायगा और लोगों को बताया जायगा । इसलिये जमीन देने का कोई न कोई तरीका हमें मुकर्रर करना पडेगा, उसमें यह एप्रीहेन्शन इस स्टेज पर करना कि इन शर्तों को सदन में पहले नहीं बताया जाता, इस तरह से एक आर्बिट्रेरी तरीका सरकार अपने हाथ में लेती है । क्या कन्डीशन्स रखी जायगी, किन किन शर्तों पर जमीन अलॉट होगी, वे शर्तें इस सदन को पहले बतानी चाहिये और बाद में कानून को पास किया जाना चाहिये । ऊपर जैसा साफ बता दिया गया है ये कन्डीशन्स जो प्रेसक्राइब की जायगी, उसके बाद में स्टेटमेन्ट ऑफ कन्डीशन्स प्रेस्क्राइब करना लाजमी हो जाता है । ये जो क्लॉज़ेज़ रखी गई हैं इस कानून में वे इस रूप में नहीं होनी चाहिये, वे कन्डीशन्स प्रेसक्राइब की जायं, उनको गजट में शाया किया जाय उनके ऊपर ओब्जेक्शन्स आदि हो तो उनको लिये जांय, वे इस बात की ओर इशारा करते तो फिर भी ठीक रहता, किन्तु जब हम सब क्लॉज़ (१) को मान लेते हैं जिसमें यह कहा गया है कि किन किन शर्तों पर जो जमीन कोलोनी में दी जायगी वह प्रेसक्राइब बाद में करेंगे । उसमें तो आप सरकार को मान लेते हैं, उसके बाद यह कहना कि इस क्लॉज़ (२) को डिलीट कर दिया जाय, उचित प्रतीत नहीं होता !

माननीय चेयरमेन, यह आशंका इस स्टेज पर पैदा करना वो कन्डीशन्स ऑफ क्लेम्स रखी जाय यह ठीक प्रतीत नहीं होता, इससे यह हो सकता है कि जमीन अलॉट करने के तरीकों में गडबड फैल सकती है । मेरे ख्याल से, जिस ट्रेन्ड के साथ यह सदन चल रहा है जैसा कि एक बहुत महत्वपूर्ण कानून हम कल पास कर चुके हैं, उसकी बेकग्राउन्ड को अगर हम ध्यान में रखें तो

[श्री नाथूराम मिर्धा]

आपको पता चल जायगा कि सरकार के दिमाग में जमीन के सिलसिले में क्या पॉलिसी होनी चाहिये, जमीन किन किन को मिलनी चाहिये, किस तरीके से मिलनी चाहिये, किस तरीके से उचित बंटवारा हो, इन सब के बारे में राजस्थान सरकार के दिमाग में नीति साफ है। इसलिये हम इस बात की आशंका करें कि वे कन्डीशन्स बिलकुल साफ साफ कर लेनी चाहिये और जिस तरह से यह रखा गया है नहीं रखा जाना चाहिये, इसलिये इस क्लॉज़ को डिलीट करने का जो शोधन आया है वह वाजिब प्रतीत नहीं होता, जब कि क्लॉज़ ८ के सब क्लॉज़ (१) को स्वीकार कर लेते हैं।

दूसरा संशोधन परबतसर से आने वाले माननीय सदस्य ने रखा है, उसके बारे में यह है कि "to tenants" शब्द है वह हटा दिया जाय। मेरे ख्याल से अगर इसको हटा दिया जायगा तो इसका अर्थ ये अर्थ हो जायगा इसमें "Issue of statement of conditions of tenncy'; जो इसका हेडिंग है अगर सब क्लॉज़ (२)में से टिनेन्ट शब्द को हटा दिया जायगा तो इसके मायने क्या होंगे यह मैं समझ नहीं पाता।

"The State Government may issue a statement or statements of the conditions on which it is willing to grant land in a colony to tenants." टू टिनेन्ट्स को हटा देने से इसका अर्थ रहेगा। मेरे ख्याल में टिनेन्ट के रहने से उनके दिमाग में क्या दिक्कत है? शायद वे यह सोच रहे हैं कि जैसा कि उन्होंने टिनेन्ट की परिभाषा को पढ़कर सुनाया उन लोगों को जमीन दी जायगी जैसा कि उन्होंने टिनेन्ट को माना है;

" Persons holding land in a colony and includes his predecessors and successors in interest and transferees."

तो यह शब्द जो ट्रान्सफरी है यह काफी लम्बा, चौड़ा शब्द है। यह जो उनका एप्रीहेन्शन है कि जमीन उन्हीं को मिलेगी जो कोलोनी में रह रहे हैं दूसरे लोगों को जमीन नहीं मिल सकती, यह एप्रीहेन्शन बिल्कुल गलत है। इन शब्दों के रहने से राजस्थान सरकार की जो पोलिसी है उसमें किसी प्रकार की दिक्कत आने वाली नहीं है। वे ही जमीन को ले सकेंगे जो टिनेन्ट की परिभाषा में आते हैं। मेरे ख्याल से इस शब्द को हटा देने से कोई विशेष फायदा होने वाला नहीं है। इसलिये ये जो दोनों संशोधन आये हैं मेरे ख्याल से जरूरी महसूस नहीं होते।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—माननीय चेयरमेन, जो इस सब क्लॉज़ के संबन्ध में एक डिलीट करने का और दूसरा 'टिनेन्ट' शब्द को हटा देने के जो संशोधन आये हैं उनके लिये मैं समझता हूं, जैसा कि अभी मेरे पूर्व वक्ता ने कहा, एप्रीहेन्शन के बारे में जैसा कहा वह तो पहले के सब क्लॉज़ में ज्यादा आता है, जिसको कि हम पास कर चुके हैं।

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

दूसरा यह दिया है :

"The State Government may issue a statement or statements of the conditions on which it is willing to grant land in a colony to tenants."

इसके अनुसार स्टेटमेन्ट सारे के सारे इश्यू करेंगे, वह सब प्रोसीजर के माफिक होगा, जब कि हम पहले क्लॉज़ के सब क्लॉज़ को स्वीकार कर चुके हैं।

"the state government may grant land in a colony to any person on such conditions as may be prescribed."

जब आप ज्यादा राइट की बात तय कर चुके हैं। और जब दूसरी बात यह आती है स्टेटमेन्ट के पब्लिश करने की बात उसके बारे में आप बहस कर रहे हैं। यह चीज़ ऐसी है कि जिसके द्वारा हम स्पीडिली कॉलोनी में लैन्ड अलोट करके लोगों को बसाने के लिये है, इसलिये यह जरूरी है कि यह अधिकार आपको गवर्नमेंट को देने होंगे। इसके लिये आपका यह कहना लैन्ड अलॉट करने का पहले ही प्रोसीजर ले डाउन कर दिया जाय यह ठीक प्रतीत नहीं होता। इसके संबन्ध में सिलेक्ट कमेटी में भी काफी बहस हो चुकी थी। इसलिये मेरा यह निवेदन है कि इस क्लॉज़ को इसी रूप में रखा जाय।

जहां 'टिनेन्ट' शब्द को हटा देने के लिये जो कहा गया वह भी मेरे ख्याल से आवश्यक नहीं है, जब कि हम इसका सब क्लॉज़(१) पास कर चुके हैं, जिसमें इसप्रकार के अख्त्यारात हैं। आम तौर पर वह टिनेन्ट को मिलेगा, टिनेन्ट के अलावा दूसरों को जमीन अलॉट करने का सवाल है वह सब क्लॉज़ (१) में कवर होजाता है। इसलिये मेरा यह निवेदन है कि जिस प्रकार की यह क्लॉज़ है उसे उसी प्रकार से स्वीकार करना चाहिये।

श्री चांदमल मेहता—माननीय चेयरमेन, माननीय मंत्री के जवाब देने के बाद तो यह और आवश्यक होजाता है कि 'टू टिनेन्ट' शब्द को डिलीट कर दिया जाय,जब कि हम क्लॉज़ १ में यह बात मान चुके हैं कि एनी पर्सन को जमीन अलॉट कर सकते हैं, तो फिर यहां टिनेन्ट शब्द के रखने से क्या फायदा है ? यह जो'टू टिनेन्ट'शब्द है क्लॉज़ एक की सब क्लॉज़ तीन के विपरीत जाता है,मैं यह मानता हूं कि हमें ऐसा कानून बनाना चाहिये कि कानून में एक दूसरे क्लॉज़ के विपरीत धारा रखना गलत होगा। इसलिये मैं एक मर्तबा फिर माननीय मंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि वे इस पर एकबार फिर विचार करें और 'टू टिनेन्ट' यह शब्द हटा दिये जांय। जब हम जमीन किसी भी व्यक्ति को दे सकते हैं तो टिनेन्ट शब्द के नहीं रखने से क्या नुकसान होने वाला है ? इससे सब क्लॉज़ तीन ज्यादा clear हो जाती है। अतः मेरा माननीय मन्त्री से एक बार फिर से निवेदन है कि वे इसको मन्जूर करें और 'टू टिनेन्ट' शब्द को डिलीट करें।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मैं एक बात फिर से स्पष्ट कर दूं, क्लॉज़ (१) और (३) दोनों के फंक्शन्स बिल्कुल भिन्न भिन्न हैं। क्लॉज़ (२) के पॉवर्स हैं वह कलेक्टर द्वारा एक्सरसाइज़ होंगे और पहले क्लॉज़ के पॉवर्स गवर्नमेंट एक्सरसाइज़ करेगी, इसलिये यह क्लॉज़ अलग से कर दिया गया है। आपकी बात मान ली जाय या सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य की बात मान ली जांय तो, टू टिनेन्ट' शब्द के हट जाने के बाद क्या रहेगा ?

श्री जवानसिंह—माननीय चेयरमेन, यह एक तरह से जबरदस्ती हो गई मैं अपने अमेन्डमेंट को मूव नहीं करना चाहता था। जब दूसरे माननीय सदस्य ने अपना अमेंडमेन्ट मूव कर दिया तो अपने आप मेरा भी अमेंडमेंट मूव हो चुका।

मैं इसमें यह निवेदन करना चाहता था कि, जो बात शायद माननीय राजस्व मन्त्री महोदय ने मेरे ठीक तरह से निवेदन न करने पर न समझे हों और वह यह है कि, मुझे तो धारा एक और दो में खास तौर से कोई फरक मालूम नहीं पड़ता। एक में कन्डीशन्स प्रेसक्राइब गवर्नमेन्ट करेगी और दूसरे में स्टेट गवर्नमेन्ट इश्यू करेगी कि स्टेटमेन्ट आफ कन्डीशन्स क्या हो ?

मुझे तो इन दोनों चीजों में कोई अन्तर नहीं मालूम हुआ कि एक में गवर्नमेन्ट स्टेटमेंट देगी इन कन्डीशन्स का और सब क्लाज़ एक में वह कन्डीशन्स प्रेस्क्राइब करेगी और वह प्रेस्क्राइब करने वाली औथोरिटी कौन है ? वह भी गवर्नमेन्ट और मैंने खास तौर से निवेदन किया था इसीलिए इस धारा को डिलीट करने के लिए। उस वक्त मेरे सामने खास बिल की क्लॉज़ ३१ ए मौजूद थी। मुझे मालूम था कि सरकार लेजिस्लेचर में इन शर्तों को और स्टेटमेन्ट को पहले पेश करेगी और इसके बाद में जाकर उनको पास करने पर जमीन का अलॉटमेन्ट होगा। यह चीज मेरे सामने थी पर मैं यह नहीं समझ पाया कि इन दोनों चीजों में एक जगह सरकार कन्डीशन्स प्रेस्क्राइब करती है और दूसरी जगह सरकार स्टेटमेन्ट ऑफ कन्डीशन्स इश्यू करती है, तो इन दोनों चीजों में कोई अन्तर नहीं है और इसलिये मैंने निवेदन किया था कि इन दोनों को रखने से क्या मतलब है ?

दूसरी चीज जो स्पष्ट न हो पाई, यह थी कि हम साधारण आदमी के लिए यह क्यों मानते हैं कि उनको अलॉट करने में कन्डीशन्स सरकार मुकर्रर करेगी और इसी माफिक उसको जमीन अलाट होगी और किसान के लिए दूसरी किस्म की कन्डीशन्स होंगी और इसी तरह क्लॉज़ २ में कुछ हेर-फेर है। वहां पर 'ग्रान्ट' शब्द है और दूसरे सब क्लॉज़ में 'अलॉट' शब्द है, अलॉट की जावेगी जमीन और वह उन्हीं शर्तों के माफिक जो कि शर्तें गवर्नमेन्ट अपने स्टेटमेन्ट के जरिये इश्यू करेगी।

तो इन दोनों चीजों में अगर कोई खास तरह की भिन्नता है तो मैं इस भिन्नता के लिए भी निवेदन करता हूँ कि क्यों आप साधारण आदमी के लिए और काश्तकार के लिए दोनों

[श्री जवानसिंह]

के लिए अलग अलग नियम रख रहे हैं, दोनों के लिए शर्तों में क्यों अन्तर रक्खा जावे ? अगर जमीन देनी है तो देने की शर्तें एक होनी चाहिये, चाहे वे काश्तकार हों चाहे दूसरे हों, जिसको जमीन की जरूरत है, चाहे वह लेबर हो, काश्तकारी के काम में मजदूरी का काम करता हो, कोई हो, आखिर जमीन लेते हैं खेती करने के लिए, काश्तकार भी उसको बोवेगा, जोतेगा और उसमें खेती करेगा और दूसरा भी यही करेगा, तो जब काम दोनों का एक है तो यह भिन्नता क्यों रखी जावे और अगर भिन्नता भी हो तो दोनों के बीच भिन्नता क्यों रखी जावे, एक को जो साधारण जन हैं उसको दूसरी शर्तों पर जमीन दी जावे और काश्तकार को दूसरी शर्तें पर जमीन दी जावे ऐसा क्यों हो ? इसलिए मेरा कहना तो यह है कि अगर मेरा संशोधन मन्जूर हो जाता तो सब आदमियों में काश्तकार भी शामिल हो जाता है। इसलिये किसी एक के लिए जो भी कन्डीशन्स प्रेस्क्राइब सरकार करती और जो भी लेजिस्लेचर पास करती, उसी माफिक जमीन सबको अलॉट हो सकती थी। पर ऐसा नहीं हुआ और ऐसा क्यों नहीं हुआ इसका कोई कारण मेरी समझ में नहीं आया। ऐसी स्थिति में मैं इसे बहतर समझता हूँ कि बजाय इसे वापिस लेने के अपना संशोधन पेश करूं।

श्री चांदमल मेहता—मैं अपना संशोधन वापिस लेने की सदन से अनुमति चाहता हूं।

श्री सभापति—क्या सदन की, वापिस लेने की, अनुमति है ?

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई।

श्री चांदमल मेहता—मैं अपना संशोधन वापिस लेता हूं।

श्री सभापति (श्री हिम्मतसिंह)— क्लॉज़ (८) के सब क्लॉज़ (२) पर श्री जवानसिंह का अमेन्डमेन्ट है। प्रश्न यह है कि उसको स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

अमेन्डमेन्ट गिर गया।

(विराम)

क्लॉज़ ८ के सब क्लॉज़ (२) को पास करने के बाबत मत लिये जाते हैं। क्या सदन को यह स्वीकार है ?

[श्री सभापति]

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ८ का सब क्लॉज़ (२) स्वीकार किया गया ।

(विराम)

क्लज़ ८ के सब क्लॉज़ (१) को पास करने बाबत मत लिये जाते हैं । क्या सदन को यह स्वीकार है ?

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ८ का सब क्लॉज़ (१) स्वीकार किया गया ।

(विराम)

सब क्लॉज़ (३) ऑफ क्लॉज़ ८, श्री जवानसिंह ।

श्री जवानसिंह—मैं अपना संशोधन वापिस मूव नहीं करना चाहता ।

श्री सभापति—क्या सब क्लॉज़ेज़ (३) और (४) स्वीकार किये जायं ।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ८ के सब क्लॉज़ेज़ (३) और (४) स्वीकार किये गये।

(विराम)

क्लॉज ८ को पास करने के बाबत मत लिये जाते हैं। प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ८ विधेयक का अंग बने ।

(स्वीकृत)

क्लॉज ८ विधेयक में अंगरूप से जोड़ा गया ।

(विराम)

क्लॉज ९, श्री चांदमल मेहता ।

Page No.52

श्री चांदमल मेहता—मैं अपना अमेन्डमेन्ट मूव नहीं करना चाहता।

श्री सभापति—क्लॉज़ेज़ ९, १०, ११, १२ और १३.

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ेज़ ९, १० ११, १२ व १३ विधेयक के अंग बनें।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ेज़ ९, १०, ११, १२ व १३ विधेयक में अंगरूप से जोड़े गये।

(विराम)

क्लॉज १५, श्री चांदमल मेहता।

श्री चांदमल मेहता—Mr. Chairman, Sir, I beg to move the following amendment to Clause 15 :-

"Delete the clause."

चेयरमेन महोदय, क्लॉज़ १५ इस प्रकार है :

"Transfer of rights.-(1) Except as provided in section 13, none of the rights or interests vested in a tenant by or under this Act shall, without the consent in writing of the Collector, be transferred or charged by any sale, exchange or girt will mortgage or other private contract, other than a sub-lease for not more than one year in the case of a tenant, who has not acquired Khatedari rights and five years in the case of a tenant who has acquired Khatedari rights.

(2) Any such transfer or charge made without such consent shall be void, and if the transferee has obtained possession, he shall be ejected under the order of the Collector."

माननीय चेयरमेन महोदय, इस क्लॉज़ १५ के मुआफिक कुछ अधिकार जो कि टिनेन्ट को दिये गये हैं वह टेनेन्सी बिल में दिये गये अधिकार के विपरीत इसमें व्यवस्था है और यह व्यवस्था की गई है कि सेल हो, मोर्गेज़ हो, बिल हो या और कोई दूसरी तरह से ट्रान्सफर की बात हो, सिवाय सबलीज़ के, तो यह ट्रान्सफर कलेक्टर से स्वीकृत कराना होगा।

चेयरमेन महोदय, मैं यह मानता हूँ कि जो कोलोनी में रहने वाले टिनेन्ट्स हैं उनके साथ में इस तरह का अलग व्यवहार करना, जिसे कहें कि सौतेला व्यवहार, नहीं किया जाना चाहिये। जहां दूसरे टेनेन्ट्स को इस तरह के अधिकार दिये हैं कुछ रेस्ट्रिक्शन्स के साथ में टेनेन्सी बिल में, वही

[श्री चांदमल मेहता]

अधिकार कोलोनी में रहने वाले किसानों को मिलने चाहिये। जहां तक मैं इस क्लॉज़ को समझा हूँ इसमें कहीं यह जिक्र नहीं किया गया है कि कलेक्टर बाद में इन्कार कर सकेगा या नहीं; इन्कार करेगा तो किन प्वाइन्ट्स पर।

दूसरी चीज़ देखने में आई है कि हम उन किसानों की कुछ कठिनाइयां बढ़ायें, खर्चा बढ़ायें, इस बात में कोई सार नहीं निकलता है कि एक आदमी चाहेगा कि अपनी जमीन का बेचान करना पड़ गया तो कलेक्टर के पास जाने में उसका पैसा बरबाद होगा परमीशन लेने में और बाद में बेच सकेगा। जिस आदमी से निश्चित किया है, तय किया है बेचान करने के संबन्ध में यदि इन टाइम परमीशन हासिल नहीं कर सका। यह मौका आ सकता है कि वह मौके के ऊपर उसको नहीं बेच सकेगा। इसके अलावा कई ऐसे मौके आ सकते हैं कि कोई टिनेन्ट बीमार है और अपनी बीमार के वक्त में वसीयत करना चाहता है, अपनी ज़मीन मरने के पश्चात् फलां आदमी को देना चाहता है, तो मेरे खयाल से, उसके लिये मौका नहीं रह सकता है कि वह कलेक्टर के पास जाकर परमीशन ले और वह बाद में किसी को अपनी जमीन दे। इन सारी परिस्थितियों के कारण मैं राजस्व मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि जो धारा १५ इसमें रखी है वह बेकार है। जो टिनेन्सी बिल की धाराएं हैं वह काफी होंगी। जहां तक सब-लीज़ का सम्बन्ध है, इसमें यह कहा गया है कि जो खातेदार टिनेन्ट्स नहीं हैं वह एक साल के लिए सबलेट कर सकता है और जो खातेदार टिनेन्ट्स हैं वह ५ साल के लिए सबलेट कर सकते हैं। यह चीज टिनेन्सी बिल में दे दी हैं। जहां राइट ट्रान्सफर करने का सवाल है, जो व्यवस्था टिनेन्सी में की गई है, दूसरे किसानों के वास्ते जो व्यवस्था की गई है, तो कोलोनी में रहने वाले जो टिनेन्ट्स हैं उनके लिए होना चाहिये। इसलिए मैं निवेदन करूंगा माननीय राजस्व मन्त्री जी से कि जो क्लॉज़ १५ इसमें दी गई है उसे डिलीट कर दिया जाय।

श्री **जवानसिंह**—माननीय चेयरमेन महोदय, अभी जो संशोधन प्रस्तुत किया गया है उसके सम्बन्ध में दो शब्द निवेदन करना चाहता हूँ।

मैं उस सदन का ध्यान आकर्षित करूंगा कि कल के काश्तकारी कानून पर, उधर बैठने वाले कुछ माननीय सदस्यों के उन मनोभावनाओं की तरफ, जिनके जरिये उन्होंने कहा था कि टिनेन्सी बिल में काफी अधिकार दिये हैं, हमने और दूसरे प्रान्तों के मुकाबले में काश्तकारों के हित में काफी प्रगतिशील बनाने का प्रयत्न किया है और काश्तकारों को अधिकार दिये हैं। एक दिन के पश्चात् ही इस प्रकार का अन्तर आ गया, एक दूसरे ही कानून में और उन काश्तकारों के हितों के सम्बन्ध में ही इस तरह का, यह मुझे स्वप्न में भी ख़याल नहीं था और न किसी दूसरे माननीय सदस्य को और किसी प्रकार का विचार हो सकता है। पता नहीं यह किस प्रकार इस वक्त मन्जूर हो रहा है, कल उन्हीं काश्तकारों के लिए दुहाई दी जा रही थी कि ज्यादा-से-ज्यादा अधिकार होना चाहिए, ज्यादा-से-ज्यादा प्रोग्रेसिव कानून बनाना चाहिए और पुराने वक्त के मुकाबले में जब काश्तकारों को हम नये अधिकार दें। जमीनों के ऊपर पूरी तौर से उनको मालिकाना अधिकार दें,

[श्री जवानसिंह]

चाहे वह अधिकार उन अधिकारों के मुकाबले में नहीं हों जो कि शहरों में जायदाद पर रखे हैं, लेकिन फिर भी काफी अधिकार होना चाहिए अपनी जमीन पर। इस तरह की कल बातें इसी सदन में व्यक्त की गई थीं, क्या उन्हीं बातों को केवल २४ घण्टों के अन्दर इस तरह से भुला दिया और यहां पर हम उन कोलोनी में बसने वाले काश्तकारों के लिए अब इस तरह का इसमें प्रोवीजन रखने जा रहे हैं, कि जिसके जरिये उनको ट्रान्सफर करने आदि के तमाम अधिकार जो और जगह दूसरे काश्तकारों के लिए मौजूद हैं वह उस कोलोनी में नहीं दिये जायं। इसके उत्तर में यह कहा जा सकता है कि चूंकि हम कोलोनी में नये सिरे से काश्तकारों को बसाना चाहते हैं, उनके पास जमीन निश्चित रूप से हम कायम रखना चाहते हैं कि जिससे वह अपनी रोजी कमा सकते हैं। उनके पास से जमीन छीनी नहीं जायगी। उनके ऊपर इस तरह का प्रतिबन्ध रखते हैं जिसके जरिये हमेशा के लिए अपनी जमीन को रख सकते हैं और अपनी रोजी अपने आप उत्पन्न कर सकें, लेकिन कम-से-कम हम उनको इस कदर जंजीरों से बांध रखना चाहते हैं, चाहे जो काम करवाये न्यायोचित हो अथवा नहीं। एक निश्चित मात्रा में जमीन दे दी कि उस जमीन पर खेती कर सकते हैं। जिस तरह से सरकार चाहे उस तरह से काश्तकारों को दे, अन्यथा उसमें काश्तकारों को कोई अधिकार नहीं रहता उस जमीन के ऊपर खेती करने का। गवर्नमेंट चाहे उतनी जमीन पर खेती कर सकेगा चाहे उसके पास में कितने ही साधन उपलब्ध हों, ज्यादा-से-ज्यादा जमीन रख सकता है यानी एक निश्चित मात्रा में दूसरे के अधिकारों पर कुठाराघात नहीं करते हुए अपने पास में जमीन रख सकता है और ज्यादा-से ज्यादा फायदा उठा सकता है। इस तरह के साधन उसके पास उपलब्ध होते हुए भी अगर हम प्रतिबन्ध लगायेंगे तो वह ज्यादा फायदा नहीं उठा सकता है। इस तरह से वह तरक्की नहीं कर सकेगा, इस तरह से आगे नहीं बढ़ सकता है। अपने बच्चों के शिक्षण के लिए इतना ज्यादा कर सकता है, ज्यादा-से-ज्यादा साधन जुटा सकता है कि जिसकी वजह से वह इस सदन में आ सकें।

(श्री लालसिंह शक्तावत, उपाध्यक्ष पदासीन)

इस प्रकार से उन पर प्रतिबन्ध लगायेंगे, इस प्रकार का प्रोवीज़न इसमें रखेंगे उनकी तरक्की को रोकने का, तो मैं यह निवेदन करूंगा कि यह चीज ठीक नहीं है। २४ घन्टे पहले जिस मनोभावना से कल उन्होंने अधिकार दिये थे वह अधिकार आज इस कानून के अन्दर लुप्त करेंगे और कोई अधिकार लैन्ड होल्डर या काश्तकारों के हाथ में रहेंगे तो यह चीज बिल्कुल गलत है। इस सदन ने कल माना था तो आज मानने में किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होनी चाहिए। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि परबतसर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो संशोधन रखा है कि काश्तकारों को जो अधिकार टिनन्सी बिल दिये हुए हैं उसी के मुताबिक उन अधिकारों को आवश्यक रूप से इन काश्तकारों को भी दिया जाय, इस बात का मैं समर्थन करता हूँ। और माननीय सदस्यों से माननीय उपाध्यक्ष, आपके द्वारा अपील करता हूँ कि इस संशोधन को मन्जूर किया जाय।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मन्त्री)—माननीय उपाध्यक्ष, जो अभी संशोधन रखा गया है उसके सम्बन्ध में मेरे पूर्व वक्ता ने बहुत ही जोरदार तरीके से, लेकिन शायद दिल में

Page No.55

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

समझते हों कि किस चीज का प्रतिपादन कर रहे हैं, अपनी बात को रखा है। इस क्लॉज़ को रखने का कारण यह है कोलोनी में हम उन आदमियों को बसाना चाहते हैं कि जिनको जमीन रियायत पर दी जायगी। वे लेन्ड लेसटिनेन्ट्स होंगे या और ऐसे व्यक्ति होंगे कि जिनके पास जमीन नहीं है और उनको बसाने की बात आती है। जब एक कीमती जमीन को इन शर्तों पर दिया जाय और वह जिसको चाहे उसको सेल करने का राइट हाथ में दिया जाय तो वह सारे कन्सेशन देने की मन्शा के विपरीत में पड़ता है।

दूसरी चीज, माननीय उपाध्यक्ष जी, हम राजस्थान के हित में यह पसन्द नहीं करते कि, खास तौर से सवाल भाखरा कोलोनी का कह सकते हैं, वहां की जमीन बिक कर ऐसे व्यक्तियों के हाथ में जाय कि जिनके हाथ में जाना उचित नहीं होगा। मैं ज्यादा विस्तार से उस दलील में नहीं पड़ना चाहूँगा कि किनके हाथ में जाने से क्या नुकसान हो सकता है, लेकिन यह निश्चित बात है कि ऐसे व्यक्तियों के पास जा सकती है जिससे कुछ व्यक्तियों का नहीं बल्कि राजस्थान राज्य की दृष्टि से भी नुकसान हो सकता है। इस तरह से यह प्रतिबन्ध रखना आवश्यक हो जाता है। मैं आशा करूंगा कि माननीय सदस्यों से इस बात की ज्यादा दलील के अन्दर जाने के लिए, जिसमें कि मैं नहीं जा रहा हूं, क्षमा करेंगे। लेकिन जिस भावना से वह इसमें रखी गई है उस दलील को मानते हुए इस क्लॉज़ को इसमें रहने दें।

श्री चांदमल मेहता—माननीय राजस्व मन्त्री जी ने जो जवाब दिया है अगर वही विचारधारा होती तो इस बिल के अन्दर इस बात की व्यवस्था होती कि किन सूरतों में, किन परिस्थितियों में कलेक्टर अपनी तरफ से जमीनों की बेचान के बारे में किन स्थितियों की वजह से वह इजाजत दे सकता है और किन स्थितियों में नहीं दे सकता है। अगर इस तरह की व्यवस्था होती तो यह बात मानने के काबिल थी कि उन्हें इस तरह के अधिकार नहीं होने चाहिएं, लेकिन इस तरह कोई चीज नहीं है। इसलिए चाहे जो यह मानेगा कि यह दलील मात्र है जो कुछ संशोधन मैंने रखा है उसके जवाब में।

दूसरी चीज जो मैंने इस संबन्ध में निवेदन की थी कि 'sarle' छोड दिया जाय, मान लीजिये थोड़ी देर के लिये सेल की ऐसी बात है, लेकिन यदि कोई आदमी आखिरी दम पर मर रहा है और वह चाहता है कि मैं किसी को अपनी जमीन का अधिकारी बना दूं, किसी को बख्शीश कर दूं और जब उसके लिये मौका नहीं है कि कलेक्टर से वह इजाजत हांसिल करले, तो क्या मन्त्रीजी यह भी पसन्द नहीं करेंगे? कोई मरते दम अपनी इच्छा पूरी करना चाहता है तो उस पर कलेक्टर के इजाजत की रेस्ट्रिक्शन लगाना ठीक नहीं है, क्यों कि मौत कलेक्टर की इजाजत का इन्तजार नहीं कर सकती। इसलिये मैं फिर राजस्व मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि यदि आप का इस तरह का विचार है कि सेल्स पर इस तरह का रेस्ट्रिक्शन रहना चाहिये तो, मैं निवेदन करूंगा कि यदि मरते समय गिफ्ट करने का कोई मौका आवे तो उस समय उदारता करने का प्रोवीज़न जरूर रखेंगे।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया---मैं स्पष्ट करदूं कि जो बातें कही गई हैं उनको यदि साफ किया जाता तो मैं पसन्द करता, लेकिन लीगल कॉम्प्लीकेशन्स भी होते हैं जिनके अनुसार कॉस्टीट्यूशन इजाजत नहीं देता। आखिरी वख्त मौका दिया जाय ऐसा कहा गया, लेकिन आखिरी वख्त कब आयगा इसका प्रोवीज़न करना मुश्किल होगा, जिसे आखिरी वख्त माना जाता है वह आखिरी वख्त नहीं रहे। यदि आखिरी वख्त बख्शीश का प्रोविजन रखें तो गिफ्ट सेल बन सकता है। और सेल गिफ्ट बन सकता है इसलिये लीगल पर्पज़ के लिये इसका कोई हल नहीं है। मैं दलील देने के लिये ही दलील नहीं दे रहा हूँ आप कृपया समझ कर चलें तो अच्छा हो।

श्री चांदमल मेहता—मैं अपना अमेंडमेंट वापिस लेने की इजाजत चाहता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष—क्या सदन की अनुमति है कि इनको अपना अमेन्डमेन्ट वापस लेने की इजाजत दी जाय?

(स्वीकृत)

अमेन्डमेन्ट वापस लेने की इजाजत दी गई।

श्री चांदमल मेहता—मैं अपना अमेंडमेंट वापिस लेता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १५ विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ १५ विधेयक में अंगरूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉज़ १७

श्री चांदमल मेहता—Mr. Deputy speaker sir. I beg to move the following amnndment to Clause 17:-

" i) Substitute the word 'one' for the word 'five' in sub-clause (1).

(ii) Add a fresh sub-clause as under:-

"Any body aggrieved with the decision of the Collector may file an appeal with the Commissioner whose order here on shall be final."

उपाध्यक्ष महोदय, क्लॉज़ १७ इस प्रकार है:

[श्री चांदमल मेहता]

"When the Collector is satisfied that a tenant in possession of land in a colony has Committed a breach of the conditions of his tenancy, he may, after giving the tenant an opportunity to appear and state his objection,

(1) impose on the tenant a penalty not exceeding five hundred rupees, or.

(2) order the resumption of the tenancy:

provided that, if the breach is capable of rectification, the Collector shall not impose any penalty or order the resumption of the tenancy unless he has issued a written notice requiring the tenant to rectify the breach within a reasonable time not being less than one month, to be stated in the notice, and the tenant has failed to comply with such notice."

उपाध्यक्ष महोदय, इस क्लॉज़ पर मेरे दो अमेंडमेन्ट्स हैं। पहला अमेंडमेंट तो यह है कि जहां कंडीशन को ब्रीच करने पर पेनल्टी लगाई गई हैं उसमें जहां ५००) रु० की लिमिट रखी गई है उसके बजाय १००) रु० की लिमिट ही रखी जानी चाहिये और दूसरा मेरा अमेंडमेंट यह है कि इस क्लॉज़ के संबंध में अपील का प्रोविज़न करना है।

उपाध्यक्ष महोदय, जब कोई कानून हमारे सामने आता है सरकार की तरफ से तो हमारा एक लक्ष्य रहता है कि हम ऊंची से ऊंची पेनल्टी जो लगा सकते हों लगावें। लेकिन वह पेनल्टी उन लोगों के लिए किस हद तक कष्टदायक होती है यह कल्पना हमारे सामने नहीं रहती है। ओरिजिनल बिल में जहां १०० रु० की लिमिट रखी गई थी वहां सिलेक्ट कमेटी ने देखा कि इस लिमिट को ५०० रु० कर दिया जाय। वह कंडीशन्स कौनसी होंगी जिनका ब्रीच करने पर हम ५००) रु० करने जा रहे हैं? इस बारे में और क्लॉज़ेज़ हैं जिनमें बताया है कि फलां चीज का ब्रीच करने पर ५००) रू० तक का जुर्माना हो सकता है। वह क्लॉज़ है इस बिल का २६ वां जिसमें खास खास बातों की चर्चा की गई है कि यदि इन इन चीजों की पाबन्दी नहीं की गई तो इतना जुर्माना हो सकता है। तो जो बड़ी बड़ी बातें हो सकती है जिनमें पनिशमेंट मिलना चाहिये उन बातों को क्लॉज़ेज़ २६ और २७ में रखा गया है। क्लॉज़े २६ और २७ में जो बातें नहीं हैं और जो साधारण बातें हैं जिनमें कंडीशन्स का बीच होता है उनके लिए हम ५०० रु० नहीं रख सकते। ५०० रु० के जुर्माने के लिए क्लॉज़ २६ और क्लॉज़२७ में प्रोविज़न है, ऐसी हालत में यदि हम साधारण ब्रीच के लिए ५०० रु० रखते हैं तो साधारण लोगों के साथ बहुत बडा अन्याय होगा। कंडीशन्स क्या होंगी यह हमारे सामने नहीं है। धारा ८ में कहा गया था कि वे कंडीशन्स पब्लिश की जायेंगी। साधारण बातें होती हैं, यदि उनके लिए यह मौका दिया जा सके कि कलेक्टर ५०० रु० फाइन कर

[श्री चांदमल मेहता]

सकता है तो यह ठीक नहीं है। धारा २६ में हमने मोटी कमियों के बारे में प्रोविजन कर दिया है तो वेसी स्थिति में जो बातें क्लॉज़ २६ और २७ के अंतर्गत नहीं आती है उनके बारे में ५०० रु० के बजाय १०० रु० का जो प्रोविज़न ओरिजिनल क्लॉज़ में था वही रहना चाहिये। मैं मन्त्रीजी से प्रार्थना करूंगा कि इस बारे में गम्भीरता से सोच कर निर्णय करेंगे।

दूसरा मेरा अमेंडमेंट है इस क्लॉज़ के सम्बन्ध में अपील का प्रोविज़न करना।यह एक महत्वपूर्ण क्लॉज़ है जिसमें हम कलेक्टर को अधिकार देने जा रहे हैं कि वह ५०० रु० तक का जुर्माना कर सकता है और उस जमीन पर कब्जा भी कर सकता है, तो ऐसी महत्वपूर्ण क्लॉज़ के लिए यह आवश्यक है कि कलेक्टर का वह ऑर्डर फाइनल नहीं हो। उसके लिये अपील का प्रोविज़न होना जरूरी है। कोई कलेक्टर किसान से प्रेज्युडिस होकर उसकी जमीन उससे छुड़ाना चाहे या उसके लिये उद्यत हो जाय और किसान को काफी परेशानी उठानी पड़े और उसका कोप भाजन होना पडे तो राजस्व मंत्रीजी ने जिसे महत्वपूर्ण बिल बताया है और यह भी बताया है कि हम किसानों को राहत देना चाहते हैं, तो हो सकता है कि कलेक्टर की उक्त किसान से नाराजगी की स्थिति में वह ऐसा ऑर्डर दे सकता है कि उस किसान से जमिन छीनली जाय। इसलिये यह आवश्यक है कि हम इसमें अपील की गुंजायश रखें, तो मैं विश्वास करता हूँ कि क्लॉज़ १७ पर मेरे दोनों अमेन्डमेन्ट जरूरी हैं, उन पर गंभीरता से सोचेंगे और उन्हें स्वीकार करने की कृपा करेंगे।

श्री **तनसिंह**—उपाध्यक्ष महोदय, जो संशोधन परबतसर से आने वाले माननीय सदस्य ने रखा है उसका मैं समर्थन करता हूँ। मेरे समर्थन करने का आधार यह है कि पहले इस बिल में १००) रु० का प्रोविज़न दिया गया था उसको सिलेक्ट कमेटी ने बढाकर ५००) रु० कर दिया। मैं ५०० रु० के प्रोविज़न को ठीक नहीं मानता दूसरी बात यह है कि कलेक्टर एक एग्ज़िक्यूटिव ओफिसर है उसको जुर्माना करने का अधिकार देना संशयात्मक है, आम तौर से जुर्माना करने का अधिकार मेजिस्ट्रेट को होता है यह बात दूसरी है कि कलेक्टर ही आम तौर से डस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है लेकिन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की हैसियत से जुर्माना करना दूसरी बात है, यदि यह अधिकार कलेक्टर को दिया भी जाता है तो अपील का प्रोविजन वहां रखना पडेगा। इस प्रकार अपील का प्रोविजन रखना बहुत ही आवश्यक है। मैं इतना ही कहूंगा।

श्री **मोहनलाल सुखाड़िया**—माननीय उपाध्यक्ष, मैं पहले अपील के प्रोविज़न के बारे में बताऊं, ५ वीं धारा इसकी पास कर चुके हैं जिसके अन्दर हमने कहा है कि दूसरे रेवेन्यू लाज़ लगे हुये हैं और उनके मुताबिक कोलोनीज़ के अन्दर यह कार्यवाही होगी। इसमें हमने यह नहीं लिखा कलेक्टर का डिसिज़न फाइनल होगा, तो अपीलेबिल तो है। इसके लिए बार कहां हैं कि

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

अपील नहीं कर सकता ? तो इसके लिये प्रोविज़न करना कतई आवश्यक नहीं । अपील के लिये प्रोविज़न है, रेवेन्यू कोड के मुताबिक कर सकते हैं ।

५००) रुपये जुर्माने की बात कही कि यह ज्यादा होगा । ५००) का फाइन इसलिये रखा गया है कि पंजाब के एक्ट के अन्दर जो कई साल पहले बना था, १००) रुपये उसमें था, वही इसमें आ गया । इसके बाद आज की करेंसी का और उस वक्त की करेंसी का रेशो अगर हम देखें तो काफी अन्तर पड़ जाता है । इसलिए आज की स्थिति को कन्सीडर करते हुए ५००) रु० रखे हैं । यह कहा गया कि छोटे कामों के लिए इस प्रकार का जुर्माना रखना ठीक नहीं । मैं इस सम्बन्ध में यह निवेदन करना चाहता हूँ कि छोटे काम हैं तो उसके लिए कलेक्टर उसके लिए नोटिस देगा कि ठीक करा दो, ठीक करा देने के बाद में पेनल्टी का सवाल ही पैदा नहीं होता, पर ऐसा नहीं किया जाता है तो फिर पेनल्टी होना जरूरी है ।

जब हम नई कोलोनी बनाने जा रहे हैं तो ऐसी सूरत में ठीक तरह से अमल नहीं करेंगे तो ठीक कोलोनी नहीं बन सकेगी । इसलिए जैसा कि मैंने अभी अर्ज किया मैं इस अमेंडमेंट को स्वीकार करने में असमर्थ हूँ । मूल क्लॉज़ जैसा है उसे उसी रूप में स्वीकार किया जाय ।

श्री चांदमल मेहता—जो जवाब माननीय रेवेन्यू मंत्रीजी ने दिया है उससे मुझे रत्तीभर भी संतोष नहीं होने वाला है । जिस पंचवीं क्लॉज़ की अपील के बारे में स्वीकार किया गया है वह रेवेन्यू कोर्ट के जूरिस्डिक्शन में नहीं है । यह प्रोविज़न ब्रीच ऑफ कन्डीशन्स का है । माननीय मन्त्री महोदय अपने लीगल एड्वाइज़र से इस बारे में सलाह ले लें । यदि माननीय मन्त्री महोदय सेटिस्फाई हो जाते हैं कि टिनेन्सी का क्लॉज़ है ही नहीं और उस क्लॉज़ के खिलाफ अपील का प्रोवीज़न है तो वह कैसे हो सकता है ? पहले माननीय रेवेन्यू मन्त्रीजी इस बारे में इत्मीनान कर लें । जो क्लॉज़ पेनल्टी में है ही नहीं तो उसके सम्मन की अपील कैसे हो सकता है, जो क्लॉज़ है ही नहीं, उसके लिए अपील का प्रोविज़न रखते हैं तो मैं इसे मानने को तैयार नहीं हूँ ।

हो सकता है कि माननीय रेवेन्यू मन्त्री इसके बारे में अधिक समझते है तो मेरी शंका के मुताबिक एक बार और राय ले लें कि जो टिनेन्सी में है ही नहीं तो फिर उसकी अपील कैसे हो सकती है ।

दूसरी बात फाइन के बारे में कही गई हैं, मैं नम्रता पूर्वक निवेदन करूंगा कि हमारे सामने वह कन्डीशन नहीं है जिनको ब्रीच करने के बारे में सजा हो सकती है, कुछ कन्डीशन्स ऐसी हो सकती हैं कि कम से कम रेक्टीफाई नहीं हो सकती, ऐसी कन्डीशन हो सकती हैं जो रेक्टीफाई न हो सकती हों, जिस पर वह पूर्ण न हो सकती हो, उस पर ५००) रुपये का फाइन का अधिकार देना बड़ी भूल होगी । और हम क्लॉज़ २६ और २७ में अधिकार दे चुके हैं तो उन महत्वपूर्ण चीजों को छोड़ कर जो चीज रेक्टिफाई न हो सके उनके लिए ५००) रुपये का जुर्माना रखा है वह ठीक नहीं है ।

Page No.60

[श्री चांदमल मेहता]

अन्त में मैं माननीय रेवेन्यू मन्त्रीजी से नम्रता पूर्वक निवेदन करूंगा कि जो अमेंडमेंट मैंने रखा है उस पर सहानुभूति पूर्वक विचार करें और इसे स्वीकार करें।

श्री जवानसिंह—सहानुभूति नहीं है।

श्री भैरोंसिंह (दांता रामगढ़)—मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूँ कि अभी आपने फरमाया कि पंजाब में इसके लिए १०० रुपये जुर्माना है और करेंसी का रेशियो उस समय से अब के मुकाबले में देखा जाय तो काफी फर्क है, तो क्या पंजाब में कीमतें बढ़ी हैं उसी तरह राजस्थान में भी कीमतें बढ़ गई हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—पंजाब और राजस्थान में ही नहीं, सारे हिन्दुस्तान में बढ़ गई हैं।

श्री भैरोंसिंह—तो क्या माननीय मन्त्री महोदय बतायेंगे कि पंजाब में भी १०० रुपयों की जगह ५००) रु० कर दिये गये हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—पंजाब में लेटेस्ट क्या है, यह तो मुझे अभी मालूम नहीं है, पुराने बिल में १०० रुपया है उसी के आधार पर यहां किया गया है।

श्री जवानसिंह—अगर पंजाब के बिल में अभी तक १००) के स्थान पर ५००) रुपया नहीं किया गया है, तो क्या माननीय मन्त्री महोदय यहां पर राजस्थान में भी ५००) रुपयों के स्थान पर १००) रुपये करने को तैयार हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—नहीं, यह आवश्यक नहीं कि पंजाब में है वह यहां भी किया जाय।

मैं स्पष्ट कर दूं, अपील हो सकती है। मैंने यह जानकारी करके ही कहा है। इसमें शक रखने की कोई गुंजायश नहीं।

श्री चांदमल मेहता—मैं सेटिस्फाइड तो नहीं हूँ फिर भी मैं अपना अमेंडमेंट वापिस लेने की इजाजत चाहता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष—क्या सदन की अनुमति है ?

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई।

श्री चांदमल मेहता—मैं अपना अमेंडमेंट वापिस लेता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १७ विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ १७ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉज़ १८

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १८ विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ १८ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉज़ १९, श्री चांदमल मेहता।

श्री चांदमल मेहता—Mr. Speaker Sir, I beg to move the following amendment to clause 19:-

"Delet the words 'or direct him to remove' occurring in line two of the proviso.

माननीय उपाध्यक्ष, जो प्रोविज़ो है वह इस प्रकार है :

"Provided that the collector shall fix and pay to the said tenant reasonable compensation for, or direct him to remove, any buildings or improvements made by him on such site."

माननीय उपाध्यक्ष, इस प्रोविज़ो में यह व्यवस्था की गई है कि यदि कोई मकान, बिल्डिंग होगी तो उसको मुआवजा दिया जायगा। जो उसकी बिल्डिंग है वहां से हटाने के लिये आदेश दिया जायगा। उसे मुआवजा देने का आदेश होना चाहिये, बिल्डिंग हटाने का आदेश नहीं दिया जाना चाहिये। इसका कारण यह है कि किसी साइट के ऊपर कब्जा किया जाता है और आदेश दे दिया जाता है कि जो बिल्डिंग बनाई है उसको हटा दें, तो ऐसी सूरत में जो उसने मेहनत की है, श्रम किया है वह बेकार जायगा और इस प्रकार इसे बहुत बड़ा नुकसान होगा। इस दृष्टिकोण से जो कुछ भी उसने उस बिल्डिंग पर खर्च किया हो या मेटीरियल लगाया हो उसका पूरा मुआवजा उसको

[श्री चांदमल मेहता]

कानूनन मिलना चाहिये और इसी दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए मैंने यह अमेंडमेंट रखा है। मैं आशा करता हूं कि सरकार इसको स्वीकार करेगी, टिनेन्सी में भी हमने इस प्रकार की व्यवस्था रखी है कि उसको मुआवजा दिया जावेगा। इसलिये अगर कोलोनाइज़ेशन में यह रहेगा तो लोगों के साथ अन्याय होगा। इसलिये कुछ शब्द हटाने के लिये मैं निवेदन करूंगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि माननीय मंत्रीजी इसे स्वीकार करेंगे।

(सहानुभति की आवाज)

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—माननीय उपाध्यक्ष, सहानुभूति नहीं ऐसी बात नहीं है। मैं उनके दृष्टिकोण को समझने का प्रयत्न कर रहा हूं। सहानुभूति तो बहुत है, लेकिन कई बार टिनेन्ट खुद अपने मेटीरियल को हटाने के लिये मांग करते हैं और हटा कर ले जाते हैं।

श्री चांदमल मेहता—क्या फरमाया, सुना नहीं गया।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—कई बार टिनेन्ट खुद अपने इन्ट्रेस्ट के लिये मेटीरियल को रीमूव करना चाहते हैं तो वैसी हालत में मैं समझता हूँ कि "डाइरेक्ट" के बजाय "एलाउ" कर दिया जावे तो उसमें इस प्रकार की गुंजाइश हो सकती है।

श्री भैंरू सिंह—यह और जोड़ दिया जावे।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मैं समझता हूं कि "डाइरेक्ट" के बजाय "एलाउ' कर दिया जावे तो अमेंडमेंट की मंशा पूरी हो सकती है।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि श्री चांदमलजी ने क्लॉज़ १६ पर जो संशोधन प्रस्तुत किया है और उसमें 'डाइरेक्ट' शब्द के बजाय 'एलाउ' शब्द का संशोधन करके माननीय मंत्रीजी ने स्वीकार किया है इसे स्वीकार किया जाए।

(स्वीकृत)

संशोधन संशोधित रूप में स्वीकार किया गया, वह स्वीकार किया जावे।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १६ एज़ अमेन्डेड विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ १९, संशोधनानुसार विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

[श्री उपाध्यक्ष]

खण्ड २० से २४

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ेज़ २०,२१,२२,२३ और २४ विधेयक के अंग बनें।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ेज़ २०,२१,२२,२३ और २४ विधेयक में अंग रूप से जोड़े गये।

(विराम)

क्लॉज़ २५, श्री चांदमल मेहता।

श्री चांदमल मेहता—मैं अपना संशोधन मूव करना नहीं चाहता।

श्री उपाध्यक्ष—खण्ड २६ से ३२ तक कोई संशोधन नहीं है, इसलिये भी साथ ही लिये जाते है।

प्रश्न यह है कि खण्ड २५,२६,२७,२८,२६,३०,३१, ३१ ए और ३२ विधेयक अंग बने।

(स्वीकृत)

खण्ड २५ से ३२ विधेयक में अंग रूप से जोड़े गये।

(विराम)

परिशिष्ट, श्री जवानसिंह।

श्री जवानसिंह—माननीय उपाध्यक्ष, शेड्यूल में आर्टीकल ३ में मेरा यह संशोधन है कि जहां शब्द 'मे' है वहां 'शेल' प्रस्तुत कर या जावे। मैं इस संशोधन को आवश्यक मानता हूं और साथ में इस बात का निवेदन करना चाहता हूं कि जहां तक काश्तकारों को मुआवजा देने का प्रश्न है उनको आवश्यक रूप से मुआवजा दिया जावे। वैसे भी हम जहां दूसरे कानून में जहां मुआवजे का प्रश्न है, मुआवजा देते हैं, इसमें भी हम क्लॉज़ ४ के सब-कलॉज़ ३ में जिसकी जमीन लेते हैं मुआवजा देते हैं, लेकिन हम यहां पर उन काश्तकारों की जमीन लेने जा रहे हैं जिनका जीवन उसी जमीन पर निर्भर होता है और ऐसे व्यक्तियों को मुआवजा आवश्यक रूप से दिया जाना चाहिये। अगर हम इस सिद्धान्त को मानते हैं कि कोई चीज़ लेते हैं तो उसका मुआवजा देना चाहिये तो काश्तकारों के लिये यह बात क्यों रखी जाती है कि जिसको हम चाहेंगे मुआवजा देंगे और जिसको

[श्री जवानसिंह]

नहीं चाहेंगे नहीं देंगे। अगर हमारी सरकार जागीरदारों को मुआवजा दे सकती है, अगर हमारी सरकार दूसरों को मुआवजा दे सकती हैं, तो फिर क्या वजह है, कि काश्तकारों को उनकी जमीन से अलग किया जावे और उनको मुआवजा अगर चाहें तो दिया जावे नहीं चाहे सरकार देना तो नहीं, ऐसी बात क्यों रखी जाती है ! साधारणतः उन आदमियों को जिनकी जमीन पर अधिकार करते हैं या उनको जमीन से अलग किया जाता है तो उनको मुआवजा दिया जाता है, तो फिर क्या वजह है कि किसानों को जिस जमीन पर उनका जीवन निर्भर है उसके लिये कोई मुआवजा नहीं दिया जावे। उनको तो ज्यादा से ज्यादा मुआवजा दिया जाना चाहिये। उनको जब जमीन से आप अलग करते हैं तो कुछ कारणों में और कुछ परिस्थितियों में ही उनको मुआवजा दें और जिनमें सरकार न चाहे उनको मुआवजा नहीं दे, यह बात क्यों होनी चाहिये ? मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जहां तक हमारा संविधान से संबन्ध हैं, हम इस चीज़ को मानते हैं कि अगर किसी की जायदाद लेते हैं तो उसकी जमीन पर नुकसान करते हैं तो ऐसी हालत में उसको मुआवजा देना चाहिये, इस सिद्धान्त को मानते हैं और कार्य रूप में भी हमने इसको देखा है। जब हम इसको कार्य रूप में देखते हैं तो हमें मालूम होता है कि इस संबन्ध में सरकार ने यह अधिकार अपने हाथ में रखे हैं। इसलिये मैं यह चाहता हूं कि शेडयूल के आर्टीकल ३ में यह होना चाहिये कि जिसकी जायदाद हम लेंगे या लेने जावेंगे या उसका कोई भी नुकसान करेंगे, चाहे वह किसी जायदाद से ताल्लुक रखते हैं तो हमें निशिचत रूप से इनें कानून में यह प्रोविज़न रखना चाहिये कि उनको मुआवजा दें। मुआवजा चाहे कम हो या ज्यादा, चाहे आप मार्केट वेल्यू से दें। इसके लिये कोई प्रोविज़न नहीं है। फिर भी जब उनको जमीन से अलग होना पड़ता है तो उनको मुआवजा तो अवश्य ही दिया जाना चाहिये। वह मुआवजा चाहे मार्केट रेट से ही दिया जावे मगर मुआवजा अवश्य दिया जाना चाहिये और हमें इसको मानने में कोई संकोच नहीं करना चाहिये। मैं निवेदन करूंगा कि माननीय मंत्री इसको अवश्य स्वीकार करेंगे।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—माननीय उपाध्यक्ष, जो संशोधन अभी श्री जवानसिंहजी ने रखा है वह मुझे स्वीकार है।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री जवानसिंहजी ने शिड्यूल पर रखा है और उसको मंत्री महोदय ने स्वीकार किया, वह स्वीकार किया जावे।

(स्वीकृत)

श्री जवानसिंह का संशोधन स्वीकार किया गया।

(विराम)

[श्री उपाध्यक्ष]

प्रश्न यह है कि परिशिष्ट एज़ अमेन्डमेन्ट विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

परिशिष्ट, एज़ अमेन्डेड, विधेयक में अंग रूप सें जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉज़ १

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १ विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ १ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

प्रीएम्बल एवं टाइटल।

(विराम)

प्रश्न यह है कि प्रिएम्बल व टाइटल विधेयक के अंग बने।

(स्वीकृत)

प्रीएम्बल व टाइटल विधेयक में अंग रूप से जोड़े गये।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मंत्री)—माननीय उपाध्यक्ष, मैं यह प्रस्तुत करता हूं कि इस विधेयक को पारित किया जावे।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि राजस्थान कोलोनाइज़ेशन विधेयक, १९५४ पास किया जावे।

(स्वीकृत)

विधेयक पारित हुआ।

(करतल ध्वनि)

राजस्थान गौशाला विधेयक, १६५४

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मन्त्री)—Sir, I beg to move that the Bill to providef or better management, control and development of Gaushalas in the State of Rajasthn be taken into consideration.

श्री उपाध्यक्ष—Motion moved. प्रिन्सिपल्स डिस्कशन हो चुके हैं। अमेंडमेंट्स हैं।

(विराम)

श्री तनसिंह आपका अमेन्डमेन्ट है कि "The Bill be referred to a Select committee."

श्री जवानसिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने भी एक संशोधन रखा था कि यह सर्कुलेशन में भेजा जाय। इसलिए मैं निवेदन करूं कि मुझे बोलने का पहले मौका दिया जाय ताकि यदि वह संशोधन पास हो जाता है तो फिर सिलेक्ट कमेटी में रेफर करने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।

श्री भैरोंसिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सर्कुलेशन का मेरा भी अमेन्डमेन्ट है, जो इसमें आया है।

श्री उपाध्यक्ष—(श्री जवानसिंह से) After this has been moved, your amendment will be taken.

श्री तनसिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा संशोधन यह है कि यह बिल सिलेक्ट कमेटी को रेफर कर दिया जाय। मुझे इस बात के लिए खुशी है कि आज हमारे सामने एक ऐसा बिल आया है जिसकी हमें आवश्यकता थी, लेकिन साथ ही साथ मुझे यह भी निवेदन करना है कि जो बातें हमें इस बिल के द्वारा राजस्थान में स्थापित करना है, वे इसमें नहीं हैं। यह निस्संदेह ठीक है कि हमें गौशालाओं में सुधार करना है और उनका प्रबन्ध करना है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—माननीय उपाध्यक्षजी, इस पर शायद चर्चा की आवश्यकता अनुभव नहीं होती है जब कि यह कहा गया है कि इसको सिलेक्ट कमेटी में रेफर कर दिया जाय। मुझे इसके लिए कोई एतराज़ नहीं है।

श्री भैरोंसिंह—सर्कुलेशन के लिये भी इसमें अमेंडमेंट है।

श्री तनसिंह—क्या हुआ, क्या नहीं हुआ साहब, कुछ भी समझ में नहीं आया।

श्री उपाध्यक्ष—सिलेक्ट कमेटी को रेफर करने के बारे में कहा था।

('पब्लिक ओपिनियन के लिए भी है' ऐसी आवाज)

श्री तनसिंह—यदि पब्लिक ओपिनियन के लिए हो तो मेरा यह प्रस्ताव है कि इसको पहले सिलेक्ट कमेटी में भेज दिया जाय और मैं उनके उस प्रस्ताव का विरोध करता हूं। सिलेक्ट कमेटी में रेफर करने से ज्यादा फायदा है, बनिस्पत इसके कि इसको पब्लिक ओपीनियन के लिए सर्कुलेट किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—Then you will have a right to reply. So let him move first. So you have moved (To Shri Tansingh) that the Bill be referred to a Select Committee.

भाषण छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी।

(हंसी)

श्री तनसिंह— मेरा निवेदन यह है कि मेरे इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाय कि इस बिल को प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय, तो मैं अपना भाषण उस समय करूं।

श्री उपाध्यक्ष—यह शर्त करने की बात नहीं है। आपको अपने निश्चित विचार रखने हों तो रख दीजिये।

श्री कपिलदेव अग्रवाल—भाषण स्थगित कर दिया जाय, यदि विचार रखने हों तो रख दीजिये।

(हंसी)

श्री तनसिंह—क्या मुझे इजाजत है कि मैं अपना भाषण शुरू करूं?

श्री उपाध्यक्ष—इजाजत है। सिलेक्ट कमेटी में रेफर करने के लिये कहते हैं, तो वैसी कोई बात नहीं है।

श्री तनसिंह—माननीय उपाध्यक्ष, मैं बोल रहा हूँ आप लोग (श्री भैरोंसिंह एवं श्री कपिलदेव की ओर इशारा करते हुए) क्यों परेशान हैं!

श्री कपिलदेव अग्रवाल—मुख्तसर बोलें।

श्री भैरोंसिंह—मुझे यह डर है कि आपके बोलने पर पाबन्दी नहीं है, इसलिये न मालूम क्या बोल जाय।

श्री तनसिंह—मैं निवेदन करूं कि जो गौशाला बिल, जो हमारे सामने प्रस्तुत हुआ है उसमें जिस फेडरेशन की स्थापना का क्लॉज़ ३ में निर्देशन आया है उसके लिए कई ड्यूटीज़ स्पेसिफाई की गई हैं और ऐसी हालत में एक और रजिस्ट्रार की नियुक्ति करके हम उसके अधिकार में बहुत सी बातें दे देते हैं और दूसरी ओर फेडरेशन की नियुक्ति से ऐसी बातें बनती हैं कि जिससे पब्लिक ओपीनियन के लिए सर्कुलेट करके पब्लिक कोई राय दे सके, ऐसी बात मेरे ख्याल में नहीं आती। सिलेक्ट कमेटी में जा पर उनको कैसे क्या पॉवर्स होने चाहिये, वह समिति ज्यादा निश्चय कर सकती है। इसलिए मेरी राय है कि फेडरेशन को क्या करना चाहिये, यह सिलेक्ट कमेटी में जाने पर निश्चित तौर पर निर्णित हो सकता है।

दूसरा प्रवर समिति को सुपुर्द करने का जो मेरा कारण है उसकी ओर यदि दृष्टिपात किया जाय तो मालूम होगा कि इसको सिलेक्ट कमेटी में रेफर किया जाय, बनिस्पत इसके कि इसको पब्लिक ओपीनियन के लिये सर्कुलेट किया जाय। पहला कारण तो यह है कि जितने गो-शालाओं के अधिकारी हैं उन सब की सेलेरीज़, इमाल्युमेंट्स और अलाउन्सेज़ गौ-शालाओं से २५ प्रतिशत कलेक्ट होकर आवेंगी उनमें से दिया जायगा। मेरा यह निवेदन है कि इस बात पर विचार कर लिया जाना चाहिए कि यदि राजस्थान सरकार चाहती है कि गौ-शालाओं में सुधार किया जाय तो जो आफिसर्स वहां नियुक्त होंगे उन सब की सेलेरीज़, अलाउन्सेज़ वगैरा सब राजस्थान सरकार को अपने ऊपर लेना चाहिए, क्योंकि गौओं का जो सुधार होगा और जो व्यवस्था होगी वह सब राजस्थान सरकार के द्वारा और राजस्थान सरकार के अधिकारियों द्वारा होगी, यह उनको ड्यूटीज़ के अन्तर्गत होगा, अन्यथा गौ-शालाओं के ऊपर एक प्रकार से एडीशनल बर्डन होगा। इस सम्बन्ध में दूसरा और कोई क्लॉज़ ऐसा नहीं है जिसमें यह निर्दिष्ट किया गया हो और मालूम हो सके कि गौ-शालाओं का इतना चन्दा होगा, इतनी आमदनी होगी? तो उसके लिए एक प्रकार से निश्चित जरिया न करके दूसरा बर्डन यह डाल देना कि आफिसर्स की सेलेरीज़, अलाउन्सेज़ उसमें से लेंगे, तो मेरा ख्याल है कि सुधार के बनिस्बत एक बर्डन उन पर डाला जा रहा है और इस प्रकार से उनकी स्थिति को और खराब बनाने के लिये तैयार हो जावेंगे। तो ऐसी सूरत में इस बिल के सिलेक्ट कमेटी में जाने पर ही विस्तार पूर्वक निश्चय हो सकता है। यहां यह आवश्यक है कि जितने आफिसर्स हैं उनकी सेलेरीज़ सरकार द्वारा दी जाय और साथ ही साथ यह निर्णय हो सकता है कि गौशाला की आमदनी उन लोगों से वसूल हो जो कि गौ ट्रेडर्स हैं और जिनके पास सुरक्षित राशि है। कोई आदमी देना चाहे तो उससे भी वसूल हो।

कई स्थानों पर इस प्रकार भी है कि म्युनिसिपल टेक्स के साथ गौशाला के नाम से भी टेक्स वसूल होता है। कई स्थानों पर इस प्रकार से भी है कि ट्रेडर्स के पास में पेटियां रखी हुई रहती हैं और वे उनमें धर्मादे के नाम से कुछ रकम उस पेटी में डाला करते हैं। इस तरह से भिन्न २

[श्री तनसिंह]

स्थानों पर भिन्न २ प्रकार की चीज़ें हैं, कहीं पर भी एक सी चीज़ नहीं है। इसलिये इन सारी चीज़ों को सामने रख कर तभी विचार हो सकता है जब कि यह बिल प्रवर समिति को सुपुर्द किया जाय। इन सब चीज़ों के अलावा हम और क्या सोर्सेज़ कर सकते हैं इस पर भी कोई निश्चित चीज़ तय हो सकती है तो वह सिलेक्ट कमेटी में ही हो सकती है। इसलिये मेरा यह निवेदन है कि इसको पब्लिक ओपीनियन के लिये सर्कुलेट न कर सिलेक्ट कमेटी द्वारा ही निश्चित निर्णय होना चाहिए।

इसके अलावा इसके कई क्लॉज़ेज़ में लीगल डिफीकल्टीज़ भी हैं, जैसे खण्ड १० व ११ में है किसी भी प्रकार के झंझट होने पर मामला रजिस्ट्रार के सुपुर्द करने। इन सब पहलू पर इन सब बातों पर निर्णय पब्लिक ओपीनियन द्वारा न होकर प्रवर समिति द्वारा ही ज्यादा अच्छा निर्णय दिया जा सकता है। इसी प्रकार जो झंझट खण्ड १०, ११ व १२ में है उसको भी प्रवर समिति ही ठीक कर सकती है। इसलिए मेरा यह निवेदन है कि इसको बजाय पब्लिक ओपीनियन के भेजने के इसको प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय।

श्री चांदमल मेहता—माननीय चेयरमैन, राजस्थान गौशाला बिल इस समय सदन के समक्ष आया है उसके लिये मैं माननीय राजस्व मंत्री को धन्यवाद देता हूँ। यह बहुत ही आवश्यक बिल था जिसेबहुत पहले ही आना चाहिये, लेकिन आखिर आयाभी। परन्तु बिल की धाराओं को देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि इस प्रकार का बिल सदन के सामने आना नहीं आने के बराबर है। यह कहा जा सकता है कि हम जो गौशालाओं में इम्प्रूवमेंटस करना चाहते हैं इनको देखने से यह पता चलता है कि इससे उलटे ही परिणाम निकल सकते हैं।

जहां तक हम गौशालाओं को अच्छी व्यवस्था की बात सोचते हैं तो सबसे पहले हमारे लिये यह आवश्यक हो जाता है कि हम उसके लिये ऐसे फंड को व्यवस्था करें जिसके जरिये कभी कोई कठिनाई न आ सके। गौशालाओं के संचालन में। लेकिन यहां ऐसे फंड की व्यवस्था करने के बजाय जो कुछ भी मौजूदा फन्ड इसके लिये उपलब्ध हैं उसमें से छीनने की कोशिश की गई है। जैसे कि गौशालाओं की व्यवस्थाको देखने के लिये जो रजिस्ट्रार आदि का दफ्तर होगा उसके कर्मचारियों के वेतन आदि का जो खर्चा होगा वह इसी फंड में से लिया जायगा। इससे क्या होगा कि गौशालाओं के फंड की स्थिति अच्छी होने के बजाय उसकी स्थिति कमजोर होती जायगी।

(११ बजकर १३ मिनिट पर श्री अध्यक्ष, पुनः पदासीन)

इस बिल में एक क्लॉज़ इस प्रकार का भी है कि जिसमें यह व्यवस्था की गई है कि ट्रेडर्स के द्वारा गौशाला के नाम से जो रकम ली जाती है वह भी उनसे वसूल की जायगी और यह भी व्यवस्था है कि दूसरे नाम से यानी धर्मादा या ऐसे ही किसी काम के लिये रकम रखी होगी, उसमें से

[श्री चांदमल मेहता]

२५ प्रतिशत रकम, इसके अलावा यह भी व्यवस्था की गई है कि ट्रेडर्स के इस संबन्ध में जो कुछ हिसाबात हों उसको भी रजिस्ट्रार तलब कर सकता है। इसके अलावा उन पर जुर्माना तक किया जा सकता है और उनसे पेनेल्टी आदि भी वसूल की जा सकती है। इन सारी व्यवस्थाओं का परिणाम यह हो जायगा कि लाजिमी तौर पर किसी भी व्यापारी के दिमाग में यह चीज़ आ जायगी कि धर्मादे की जो रकम वसल करने जा रहे हैं उस रकम पर इतनी रेस्ट्रिक्शन्स हैं इतनी कठिनाइयां हैं जिसके जरिये जब चाहे तब रजिस्ट्रार परेशान कर सकता है, उसके लिये व्यापारियों पर जुरमाना हो सकता है तो उनकी यह स्वाभाविक नीति हो जायगी और वे यह सोचने लगे कि इसतरह की धर्मादे की रकम को वसूल नहीं करना ही अच्छा है। कम से कम सरकार की ओर से परेशान होने से तो बच जायेंगे। हमें तो सोचना चाहिये यह था कि हम गौशालाओं के फंड को किस प्रकार मजबूत बना सकते हैं इसकी ओर हमें ध्यान देना चाहिये था। इसके लिये लाजमी तौर पर हम यह तय करें कि इस तरह की रकम इतनी व्यापारी लोगों से वसूल करेंगे। उन लोगों से इतना प्रतिशत गौशालाओं के लिए लेंगे। इससे यह हो सकता था कि व्यापारी लोग परेशानी से बच सकते थे, उन लोगों से ऐसे पैसा लेना शुरू करते इस तरह कानून मे प्रोविज़न रखते, इस तरह की पाबन्दी रखते तो व्यापारियों को परेशानी का मौका नहीं आता। इससे हम गोशालाओं के लिये एक ऐसा फन्ड बना सकते जिसके जरिये जिस फन्ड के जरिये उन गौशालाओं का काम सुचारू रूप से चल सकता, लेकिन दुःख है कि हमने इस बिल में इस प्रकार की व्यवस्था नहीं का है।

दूसरी इस कानून में बहुत बड़ी खामी यह है कि हमने गौशालाओं में जो लोग ट्रस्टीज़ के रूप में कार्य करते हैं उन पर बहुत बडी बन्दिश लगा दी है, उनको प्रोसीक्यूट किया जा सकता है, उन पर केस चलाया जा सकता है। आज जितनी भी गौशालायें हमको देखने में मिलती हैं उन सब गौशालाओं में जो व्यक्ति ट्रस्टीज के रूप में काम करते हैं वे सब ओनरेरी काम करने वाले हैं, अगर उन पर इस तरह की पाबन्दी लगा देते हैं तो आज जो ट्रस्टीज़ के पद पर ओनिरेरी कार्य करते हैं वे कदापि ट्रस्टीज़ नहीं रहेंगे। उन ओनरेरी सेवा करने वालों पर यह रेस्ट्रिक्शन होना उचित नहीं है। यह सब अधिकार रजिस्ट्रार को देना वह उनके सम्बन्ध में विचार कर सकता है, निर्णय कर सकता है, तो क्या होगा कि इस तरह के जो ट्रस्टीज़ हैं उनको अपना पद छोडना पड़ेगा। आज यदि ट्रस्टीज़ अपने काम को छोड देते हैं तो क्या उनकी व्यवस्था सरकार करेगी? यह एक खास खामी है इस बिल की जो बहुत बडी दिक्कत पैदा करने वाली है और हो सकती है।

तीसरी बात जो महत्वपूर्ण है वह यह है फेडेरेशन की। हमने इस बिल के अन्दर यह व्यवस्था की है कि हम सारी गौशालाओं का एक फेडेरेशन कायम करेंगे लेकिन फेडेरेशन के क्या अधिकार, क्या कर्तव्य होंगे, इसके बारे में यह बिल बिल्कुल मौन है। इस बिल के द्वारा आप

[श्री चांदमलमेहता]

फेड्रेशन तो जरूर कायम करना चाहते हैं लेकिन उसको अधिकार हीन ही रखना चाहते हैं। अधिकार केवल देना चाहते हैं रजिस्ट्रार को, डाइरेक्टर को। उनके द्वारा यदि मनोनीत फेड्रेशन होता है तो उससे कोई प्रयोजन सिद्ध होने वाला नहीं। इसलिए यह आवश्यक हो जाता है कि फेड्रेशन के अधिकार, कर्तव्य आदि सब निश्चित कर दिए जाने चाहिये, ताकि यह चीज ज्यादा उपयोगी हो सके। ये तीन महत्वपूर्ण बातें हैं इस बिल में। पहला सवाल तो यह है कि अगर ट्रस्टिज़ जो वर्तमान में हैं, अगर वे अपने पद को छोड़ देते हैं तो आखिरकार गौशालाओं की व्यवस्था कैसे हो? दूसरा फेड्रेशन के अधिकार और कर्तव्य क्या क्या होने चाहिये? ये तीनों ऐसी महत्वपूर्ण बातें हैं जिन पर सदन इस समय विचार करके किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकता। इन बातों पर सिलेक्ट कमेटी में ही ठीक प्रकार से विचार हो सकता है। जैसा कि राजस्व मन्त्री ने स्वयं कहा, उनको इस बारे में कोई एतराज नहीं है कि इसको सिलेक्ट कमेटी में भेज दिया जाय। अभी यह प्रश्न तो सामने नहीं कि पब्लिक ओपीनियन के लिये प्रसारित किया जाय। किन्तु इस सम्बन्धी एक प्रस्ताव एक माननीय सदस्य अभी रखने वाले हैं। प्रस्ताव रखने के पहले बोलना गलत होगा फिर भी मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि जो कुछ इस बिल में खामियां हैं उन खामियों को हमें जल्दी से जल्दी दूर करना चाहिये, क्यों कि यह कानून एक ऐसा कानून है जिसको पास करने में हमें बहुत देरी नहीं करनी चाहिये। लेकिन अब तक यह कानून हम से पास नहीं हो सका इसका पश्चाताप करना चाहिये। आज गौशालाओं की जो स्थिति है, वह बहुत दयनीय है, इसलिये यह हमारे लिए आवश्यक होजाता है कि इसको पास करने में लम्बा वक्त न दिया जाय। यह एक आवश्यक कानून है, जिसके द्वारा हम गौशालाओं की बहुत सेवा कर सकते हैं, इसलिए इस महत्वपूर्ण कानून को पास करने में ज्यादा वक्त नहीं लगाना चाहिये। इस दृष्टि से मैं यह निवेदन करूंगा कि यह बिल सिलेक्ट कमेटी को सुपुर्द हो। सिलेक्ट कमेटी के लिए समय की मर्यादा हो कि वह जल्दी से जल्दी इस बिल को ठीक करके सदन के सम्मुख प्रस्तुत करे। इन शब्दों के साथ मैं सिलेक्ट कमेटी में भेजने के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री भैरूंसिंह (दांता रामगढ़)—माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बिल के सम्बन्ध में मेरा यह प्रस्ताव है कि इस बिल को जनता की राय जानने के हेतु प्रसारित किया जाय। और राजस्थान विधान सभा के अगले अधिवेशन के पहले दिन तक इस पर जनता की राय प्राप्त कर ली जाय।

इस सम्बन्ध में अभी दो माननीय सदस्यों ने इस बिल को प्रवर समिति के सुपुर्द करने के बारे में अपनी राय व्यक्त की थी और उनसे पूर्व माननीय राजस्व मन्त्री ने भी जिन्होंने इस बिल को प्रस्तुत किया है उन्होंने भी इसके उद्देश्य पर प्रकाश डाला है। इन सारी बातों का मैं यह नतीजा निकाल सका हूँ कि माननीय राजस्व मन्त्री महोदय और अन्य दो महानुभाव जिन्होंने

[श्री भैरोसिंह]

क इस सम्बन्ध में विचार प्रगट किये हैं, उनके दिमाग में यह एक प्रकार की कल्पना घुसी हुई है कि राजस्थान की जितनी भी गौशालायें हैं उनके अन्दर ठीक प्रबंध न होने के कारण, राजस्थान में गौशालाओं के लिए जितना फंड है उसका उपयोग ठीक प्रकार से न होने के कारण, यह बिल जल्दी से जल्दी पास किया जाना चाहिये, ताकि फंड का दुरुपयोग न हो सके और जितनी गौशालाओं की सेवा होनी चाहिये उतनी नहीं होती। लेकिन यदि इस बात के आंकड़े जानने की कोशिश की होती, इसकी गहराई में जाने का प्रयत्न किया होता कि वास्तव में गौशालाओं की हालत दयनीय इस कारण से है कि जितना भी फंड है उनका दुरुपयोग होता है या इस कारण से है कि फंड वाकई में कम है और वह कम इसलिये नहीं कि जो इस फंड में दान देने के एक मात्र कारण हैं वे दान नहीं देते बल्कि दान देने के बावजूद भी इतना वह पर्याप्त नहीं कि गौशालाओं की हालत उससे ठीक की जा सके। अतः गौशाला बिल की आवश्यकता महत्वपूर्ण समझी जावे तो इस हालत में ही यह महत्वपूर्ण हो सकता है कि जिनकी आर्थिक विषमता के कारण हालत दयनीय है उनकी हालत किस प्रकार से सुधारी जावे; यदि इस दृष्टि से उनको सुधारने का कोई भी माध्यम इस बिल में देखने को मिलता तो मुझे भी लाजिमी तौर से कहना पड़ता कि यह महत्वपूर्ण है और इसे पास करने के लिए समर्थन करना पड़ता; लेकिन प्रारम्भ से लेकर अन्त तक इस बिल की सारी धाराओं पर प्रकाश डाला जावे तो सिवाय इसके कि आज की हालत को भी बिगाड़ा जावे और कुछ भी नहीं है। मैं आज विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जितने भी व्यापारी या जितने भी धार्मिक प्रवृति या वृतियों से ओतप्रोत होकर धर्म वृति से गौशालाओं के लिए दान एकत्रित करने वाले लोग हैं उनके हाथ में जो आज इन का संचालन है, उनके हाथ में इस दान के रुपये के दुरुपयोग का डर बहुत कम है, इनमें आज उस पैसे के दुरुपयोग करने की भावना उतनी ज्यादा नहीं है, जितनी ज्यादा इन सरकारी अधिकारियों के हाथ में इन गौशालाओं के संचालन के चले जाने से है। सरकारी अधिकारियों के काले कारनामे आज सब जगह हमें देखने को मिलते हैं कि अगर उनके हाथ में थोड़ा सी भी अर्थ व्यवस्था के संचालन का भार दिया जाता है तो वे कितने करप्ट साबित हुए हैं। आज यदि देखा जावे तो जितनी भी लोकल बोडीज़ में सरकारी अधिकारी हैं, डिस्ट्रिक्ट बोर्डों में हैं, या जिस किसी जगह भी सरकार द्वारा मनोनीत कोई जनता का आदमी या सरकार का अधिकारी इस प्रकार के कामों का संचालन कर रहे हैं उनके कारनामों के यदि आंकडे देखे जावें, उनके करप्शन के आंकड़े अगर देखे जावें और इनके मुकाबले में प्राइवेट जो संस्थाएं ऐसी चलती हैं उनके संचालकों के कार्य के आंकड़े देखे जावें तो चित्र हमारे सामने बिलकुल स्पष्ट जावेगा। सरकारी लोगों ने रुपयों का ज्यादा गबन किया है, उन्होंने कहीं उन प्राइवेट लोगों से ज्यादा पैसे का दुरुपयोग किया है, जनता के पैसे का ज्यादा नाश किया है, बनिस्बत उन लोगों के जो अपनी धार्मिक भावनाओं से प्रेरित होकर और धार्मिक वृत्ति से ओतप्रोत होकर इस प्रकार के कामों का संचालन करते हैं। आज हमारे लिए यह भी सोचने की बात है कि ऐसी संस्थाओं में लोग धन देते हैं अपनी धार्मिक भावनाओं से प्रेरित होकर और वे लोग किसी एक ट्रस्ट को यह रुपया सौंप देते हैं तो इनमें से बहुत कम लोगों

[श्री भैरूं सिंह]

द्वारा इस पैसे के दुरुपयोग की बात आप सुन पावेंगे। कोई एक ट्रस्टी ऐसा निकल सकता है कि जिसने उस पैसे का गबन किया। पर अगर ऐसे भी कई केसों में यह गबन किया हुआ धन वापिस भी आ जाता है। ऐसे कई मामलों में कार्यकर्ताओं और संचालक ट्रस्टियों में कई ऐसे प्रभावशाली व्यक्तित्व के व्यक्ति भी मौजूद हैं कि यह मालूम पड़ने पर कि इसने या फलां ने रुपये का गबन किया है तो वे अपने व्यक्तिगत प्रभाव से उस गबन किये हुए पैसे को भी वापिस उससे निकलवा लेते हैं और ऐसे गबन करने वाले आदमियों को उन्होंने अपने व्यक्तिगत प्रभाव से हटाया है। जब कि दूसरी तरफ स्थिति यह है कि जिन राज्य कर्मचारियों के द्वारा ऐसे काम कराये गये हैं और जिनमें अधिकांश में गबन की शिकायतें आई हैं, पहले तो उनके गबन के मामलों को ऊपर का ऊपर निपटाना ही मुश्किल होता है, अगर कोई केस अदालत में जोर जबर्दस्ती से दे भी दिया गया तो पूरे सबूतों के अभाव में और पूरी तौर से साबित न कर सकने की स्थिति में मुकद्दमे खारिज हो जाते हैं और गबन करने वाले अधिकांश में बचकर निकल जाते हैं और अगर अच्छे सुबूत भी मिल गये तो दो-चार-छः या बारह महीने की सजा हो सकती है। पर जो रुपया डकार लिया गया है, वह तो किसी सूरत में वापिस आने वाला नहीं।

ऐसी सूरत में मैं निवेदन करूंगा कि इस तरह का बिल लेकर इन गौशालाओं का इन्तजाम अगर सरकार के हाथों में गया तो जो कुछ इन संस्थाओं के पैसे का दुरुपयोग अब तक थोड़ा बहुत होता था वह दुरुपयोग और बढ़ जावेगा और यह आशा करना कि इस प्रबन्ध से यह दुरुपयोग आकाश कुसुम के समान होगा।

आज उम्मीद तो यह थी कि राजस्थान सरकार इन गौशालाओं के प्रबन्ध के बारे में कोई एक विशेष धनराशि एकत्रित करती, अपनी तरफ से भी एक धनराशि की सहायता देने का निश्चय करती और उसे इस गौशालाओं के फंड में जोडकर फिर प्रबन्ध का अधिकार अगर सरकार अपने अधिकारियों के हाथ में देती तो एक बात भी थी। आवश्यकता तो फिर भी इस बात की नहीं थी कि गवर्नमेन्ट इनका प्रबन्ध अपने हाथों में ले। पर अगर सरकार अपने पैसे के लिए जनता के आदमियों पर विश्वास न करे तो इसका सूरत में सरकार अपने अधिकारी भी बिठा सकती है। लेकिन वह यह सोच हम एक पैसा देने के नाम पर न दें और फिर सारा का सारा संचालन इसका अपने हाथ में ले महज इस कल्पना के आधार पर कि गैरसरकारी प्रबन्ध के आधार के अन्दर पैसे का गबन होता है और फंड का दुरुपयोग होता है। तो इस तरह की सरकार नीति और इस प्रकार का सरकार का कार्य न्यायोचित नहीं होगा।

आज राजस्थान की जनता इस बात का गर्व कर सकती है कि गौहत्या यहां नहीं होती। पर आज गोपाष्टमी के दिन खास तौर एक इस प्रकार का बिल यहां लाना इस बात का द्योतक है कि आज हम यह गर्व भी करने योग्य नहीं रह सकेंगे। अंग्रेजों के राज्य के समय मैकाले ने हमारे लिए

[श्री भैरूंसिंह]

एक शिक्षा पद्धति अपनाई और इसके कारण लोगों के मस्तिष्क में एक विचार पैदा किया कि जो आज किसी तरह से निकाले निकल नहीं रहा है। इस शिक्षा पद्धति से छुटकारा पाने का, मुक्ति पाने का संग्राम चल रहा है, यह हमारे देश की दशा के विपरीत है। इसी तरह से देश के अन्य प्रांतों में गौवध बन्दी आंदोलन चल रहा है जो हमारी परम्परा और संस्कृति के अनुकूल है, पर इस शिक्षा ने जो विकार हमारे मस्तिष्कों में पैदा किया है उससे आज, ये लोग यहां तक कहने लग गये हैं कि यह गौवधबन्दी आन्दोलन देश के हित के विपरीत है और इसी प्रकार की भावना राजस्थान सरकार के भी किसी खास ढंग से मस्तिष्क में आई है। वह भी यह आज चाहती है कि ए क्लास स्टेट की नकल क्यों न करें। नहीं तो उन ए क्लास स्टेटों के मुकाबले में पीछे रह जावेंगे और गौहत्या करने को जो प्रगतिशीलता माने बैठे हैं उन प्रगतिशील ए क्लास स्टेटों के मुकाबले में हम प्रगतिशील नहीं कहला सकेंगे। इसलिए प्रगतिशील बनने के लिए उन ए क्लास स्टेटों की नकल करना जरूरी है।

श्री जयनारायण व्यास – ऐसा कौनसा कानून है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—ऐसा कौनसा कानून है, जो गोहत्या की इजाजत देता हो।

श्री कपिलदेव अग्रवाल—इसी तरह से ये चोपड़ पर भी बोलते हैं।

श्री भैंरूसिंह (१६) (जारी)—अब वह स्पिरिट जिसके लिए बार २ पूछा जा रहा है वह स्पिरिट यह है हम लोगों के दिल में इस बात की भावना पदा करें कि गौशाला क्या है, गाय क्या है, उसका महत्व क्या हैं उसके संरक्षण के लिए कौन २ से कार्य कर सकते हैं इस भावना को जागृत करने वाली कोई भी चीज का समावेश अगर इस कानून में होता तो वास्तव में यह कोई अच्छी बात होती, पर ऐसी कोई भावना का समावेश इस कानून में नहीं है और वह भावना जो गौहत्या की भावना से कम नहीं है हमने ट्रस्टीज़ पर इस कानून के अन्तर्गत पाबन्दी लगाई है. उन पर बन्धन डाला है कि यदि किसी ट्रस्टी ने गौशाला के नाम से कोई धनराशि पुण्य के खाते के नाम से ली है, उस धन राशि को अगर उसने जमा नहीं कराई है, यदि उसका हिसाब पेश नहीं किया है, और यदि वह ट्रस्टी किसी कारण से हिसाब पेश नहीं कर पाया है तो वह करप्शन गिना जावेगा, करप्शन, रुपयों का दुरुपयोग समझा जावेगा और इस पर इन्सपेक्टर जो इस काम के लिए नियत किये जावेंगे या किसी एग्ज़ीक्यूटिव अधिकारी को हक होगा कि वह जाकर उस ट्रस्टी के अकाउन्ट्स को देखे, उसकी बही खाते को देखे और जब्त करने की जरूरत वह समझे तो उसकी खाता बही, हिसाब की बहियों को जब्त भी कर सके। इससे व्यापारी वर्ग जो आज थोड़ा बहुत पैसा पुन्य के नाम से दान कर देता है वह भी नहीं करेगा, क्योंकि उमको इस अकाउन्ट्स के नाम से, इस जब्ती के नाम से, डर रहेगा कि अगर मेरी हिसाब की किताबें जब्त कर ली गई तो वह हमारा सारा हिसाब देखेगा और हमारे इन्कमटैक्स का मामला

[श्री भैरोंसिंह]

चलता है, सेल्स टैक्स का देना होता है, उसका हिसाब भी देख लेगा पुण्यखाते को देखने के नाम पर अगर सारा का सारा हिसाब का रिकार्ड उनके सामने प्रस्तुत कर दे तो दूसरे अकाउन्ट्स इन्कम टैक्स के अकाउन्ट का डर व्यापारो को रहेगा और इस प्रकार के डर के विद्यमान के होने के कारण वह इस गोशाला के दान में हिस्सा करना भी बन्द कर देगा। आपके इस कानून अनुसार धरमादा खाते की रकम का इन्दराज हिसाब के रिकार्डों में देखने के साथ साथ वह इन्कम टैक्स और दूसरे सेल्स टैक्स आदि के उसके हिसाब के भो देखे जाने का डर सदा विद्यमान रहेगा। वह इन्स्टीगेट करे या न करे तो उनको इस प्रकार की धमकी दी जा सकती है कि हमने तुम्हारा सारा हिसाब देखा है और इसमें इन्कम टैक्स की और दूसरे २ टैक्सों की भी यह गलती इसमें है। तो इसका खामियाजा उठाने के लिए वे उसके सारे के सारे बही खाते पकड़ेंगे। तो इस प्रकार से यह ठीक प्रकार का कानून नहीं हम पास कर रहे हैं। और इसका इन कारणों से नतीजा यह होगा कि आज जो किसी प्रकार से एक आदमी के व्यक्तिगत प्रभाव से धन एकत्रित करने का प्रयास होता है और जो कुछ थोड़ा बहुत धन गौशालाओं को आज मिल जाता है वह भी महज इस कारण से रुक जावेगा कि हमारे बही खाते पकड़े जावेंगे, उसमें सरकारी अधिकारियों की बन आवेगी, करप्शन होगा, सजा होगी, जुरमाना देना होगा। इस प्रकार की बातें उनके हृदय में डर पैदा करेंगी। । तो यह भावना गौहत्या की भावना से कम नहीं है जो इस कानून से लोगों के दिलों में पैदा होगी। और यदि आप की भावना इस बात की जाग्रति करनी हैं लोगों के हृदय में कि वे गौ से प्रेम करें, गौशालाओं को चलाएं तो यह सरकार खुले दिल से यह कहे कि राजस्थान का बजट भले ही डेफीसिट में चलता हो, इसकी आर्थिक हालत भले ही खराब पर गौशालाओं की हालत इससे भी अधिक दयनीय है, खराब है, उनकी आर्थिक हालत ठीक नहीं है। इसको देखते हुए गौशालाओं के लिए चलो हम दस लाख या बीस लाख रुपया सालाना और निर्धारित करते हैं। पर यहां तो निर्द्धारित करने का सवाल नहीं। उल्टा जो धरमादे का रकम इन गौशालाओं को प्राप्त हो रही है उसमें से ५ परसेन्ट और निकालेगी यह राजस्थान सरकार रजिस्ट्रार को देने के लिए धार्मिक खाते का पैसा खावेगी यह राजस्थान सरकार अब। और फिर यह कहती है कि हम गौशालाओं की उन्नति के कानून बना रहे है।

श्री अध्यक्ष—What is the relevancy of all this ?

श्री भैरोंसिंह (वि०स १६) (जारी)—पांच परसेन्ट इसमें से ले रही है यह राजस्थान सरकार। राजस्थान सरकार ने इस कानून द्वारा यह निश्चय किया है कि पांच परसेन्ट गोशाला के फण्ड में से रजिस्ट्रार का कार्य संचालन के नाम पर, रजिस्ट्रार के एस्टेब्लिशमेंट को चलाने के नाम पर लिया जावे। यह सरकारी अधिकारियों के जिम्मे की चीज होगी कि इस पैसे को किस तरह से खर्च किया जावे किन किन कर्मचारियों की आवश्यकता है उनको बरखास्त करने, रखने उनकी तनखा नियत करने देने आदि के सारे अधिकार रजिस्ट्रार ने पास रक्खे हैं।

मैं समझता हूं कि जब पैसे देने का सवाल आता है तो सरकार पीछे छुट जाती है और जब पैसे इकट्ठे किये जाते हैं धेनु के नाम पर और उन पैसों को खाने का सवाल आता है तो सरकार

[श्री भैरोंसिंह]

आगे आती है कि हमें गौशालाओं का संचालन करना है, गौशालाओं का इम्प्रूवमेंट करना है। इम्प्रूवमेंट के नाम पर गायों के प्रति सहानुभूति दिखाती है। गौओं के प्रति सहानुभूति दिखानी है तो पहला काम राजस्थान सरकार का यह होना चाहिये कि वह यह कहे कि हमने गौओं के लिए इतना रुपया निर्धारित किया है न कि कानून बहुमत के आधार पर पास कराये। दूसरा तरीका यह है गौशालाओं के संचालन करने का सरकार गौओं के नाम पर इकट्ठे हुए पैसों में से एक पैसा भी न ले। इस प्रकार न करके इस बात के लिए आरूढ़ हो कि इसके लिए कानून बनाना चाहिए तो किस हद तक ठीक हो सकता है। पैसा एक भी न दे और इन्तजाम सारा अपने हाथ में ले। उसी रुपये द्वारा इन्तजाम अपने हाथ में लेले, मैं समझता हूं, बिल्कुल न्यायोचित नहीं है। इस प्रकार से गायों के लिए खास तौर से कानून बनाना किसी हद तक ठीक नहीं होगा।

इसमें फेडरेशन का सवाल रखा है कि जितनी भी राजस्थान में गौओं की गौशालाएं हैं उनमें किस प्रकार से सुधार किया जाय और सुधार के नाते वे अपने प्रोपोजल्स रख सकते हैं, लेकिन उसमें सिवाय फेडरेशन के नाम होने के अलावा कुछ नहीं है कि अमुक व्यक्तियों का फेडरेशन होगा। उस फेडरेशन के बनने के बाद क्या क्या कर्तव्य होंगे, कहीं ऐसा कोई जिक्र नहीं है।

सरकार अपने यहां की सारी की सारी गौशालाओं का संचालन अपनी कल्पना के आधार पर यह मानती थी कि पैसे का दुरुपयोग होता है तो वह फेडरेशन को दे देती तो ऐसे भी पैसे का दुरुपयोग नहीं होता है। फेडरेशन को सारा काम दीजिये लेकिन फेडरेशन को अधिकार होना चाहिए। इस बिल में सिर्फ एक लाइन के अन्दर लिखा है कि फेडरेशन बनाने की आवश्यता है। फेडरेशन क्या करेगा, फेडरेशन के क्या अधिकार होंगे, फेडरेशन की क्या ड्यूटीज होंगी? फेडरेशन जब जब मिलेगा तो गौशालाओं के प्रबन्ध के बारे में, गौशालाओं को ठीक बनाने के बारे में क्या क्या निश्चित योजनाएं बनायेगा, इसके बारे में जिक्र नहीं है। ट्रस्टियों को खुश करने के लिए गौशालाओं का संघ बनाया गया। उसमें उनका रिप्रेजेन्टेशन नहीं हो सकता है। इस प्रकार का संघ बने लेकिन वह रिप्रेजेन्टेशन किसको करे? यह एक प्रकार की ऐसी कार्यवाही है जो लोगों को भूलभुलैया में डालने वाली है। ऐसी कार्यवाही में फेडरेशन का मतलब बिल्कुल बेकार सा होता है।

कुछ माननीय सदस्यों ने इस तरह की दलील दी थी कि इसको सिलेक्ट कमेटी में भेजा जाय तो इस प्रकार की खामी रहेगी तो वह खामी दूर हो जायगी; लेकिन मैं इसके सिद्धान्त का ही विरोध करने वाला आदमी हूं। मैं सिद्धान्तः विरोध में हूं। इस कानून में सब कुछ खामी हो सकती है और सिलेक्ट कमेटी के अन्दर प्रयत्न किया जा सकता है, लेकिन जिस भावना को ठेस पहुंचाने की कार्यवाही इस कानून के अन्दर हो रही है उस भावना में स्थिति यह है कि इस प्रकार के कानून को पास करा लेगी तो उसी प्रकार ठेस पहुंचेगी। जिस स्प्रिट से पब्लिक गौशालाओं में पैसा देने में कोऑपरेट करती है वह स्प्रिट वैसी बनी रहेगी, और यदि उस स्प्रिट में थोडी बहुत कमी महसूस

[श्री भैरोंसिंह]

होती है तो उसके पैसों की हमें आवश्कता नहीं है तो इसप्रकार के कानून को बनाना चाहिए। फि यदि आवश्यकता हो तो गौशाला बिल लाते जिसमें गौशालाओं के लिए सरकार एक निर्धारित रकम देती और फिर सरकार प्रबन्ध जिस प्रकार का करवाना चाहती है और वह नहीं करते तो राजस्थान सरकार सारा प्रबन्ध अपने हाथ में ले। राजस्थान सरकार से निवेदन करूंगा कि कानून बनाने से पहले वह फेडरेशन के क्या अधिकार होंगे आदि है उन विषयों पर बात करके तय करें, नहीं तो जो वास्तविक प्रश्न हैं उसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा।

जितनी भी राजस्थान में गौशालाऐं हैं उनके ट्रस्टीज़ से मैने बातचीत की है और उनके कार्यकर्त्ताओं से बातचीत की है। सीकर की गौशाला के संचालक मौजूद हैं, उन्होंने इसी किस्म की एक योजना बनाई थी, उनसे बातचीत की है। उन सब लोगों की राय के आधार पर यह कह सकता हूं कि उन्होंने यह कहा कि जितनी अच्छी गौशालाओं के संबन्ध में उनकी राय हो सकती है वह जितनी गौशालाऐं हैं उनके ट्रस्टीज की सिफारिशों के आधार पर कोई कानून बनाया जाय तो वह कानून ज्यादा उत्तम हो सकेगा। इसलिए उन लोगों को मौका दिया जाय कि गोशाला के जिस विधेयक को आज पारित कराने जा रहे हैं उस विधेयक पर अपनी राय भेज सकें। उन लोगों की राय के आधार पर, उन लोगों की सिफारिश के आधार पर बाद में आवश्यकता हो तो सिलेक्ट कमेटी के अन्दर उनकी राय को एडजस्ट किया जाय तो यह सबसे उत्तम हो सकेगा और गौशालाओं के नाम पर बनने वाला यह कानून वास्तव में गौशालाओं की सेवा कर सकेगा। इसके पहले न सिलेक्ट कमेटी में भेजने से मतलब सिद्ध हो सकेगा और न पास करने से मतलब सिद्ध होगा बल्कि जो आज गौशाला ऐं बनी हुई हैं वे पांच साल के बाद आधी हो जायगीं और दूसरे १० साल में उनकी संख्या बिल्कुल ही नाम मात्र को रह जायगी। आज लोग गौओं के नाम पर श्रद्धा रखते हैं, गौशालाओं का इन्तज़ाम सरकार के द्वारा होने से वह सारी की सारी श्रद्धा समाप्त हो जायगी। ऐसी सूरत में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस बिल को जनता की राय जानने के लिए प्रसारित किया जाय। हमारा नेक्स्ट सेशन फरवरी में होने वाला है। ३ महीने का अर्सा है। इस अर्से में गौशालाओं के जो एक्सपर्ट हैं उन लोगों की राय जान लेना आवश्यक है, इसलिए उन लोगों में इसको प्रसारित किया जाय।

श्री **मुक्तिलाल मोदी**—अध्यक्ष महोदय, यह भैरोंसिंहजी ने पब्लिक ओपीनियन के लिए गौशाला बिल के बारे में संशोधन रखा है, उसका मैं समर्थन करता हूँ।

यह गोशाला बिल करीब २७ वर्ष से पहले जयपुर गवर्नमेन्ट के वक्त में और फिर राजस्थान सरकार होने के बाद, अभी तक राजस्थान सरकार के विचार में ही रहा, परन्तु इन गौशालाओं की कैसी व्यवस्था है और इन गौशालाओं में किस तरह का इन्जाम हो रहा है, और गायों की चराई की जो जमीन है उसका किस तरह से इन्तजाम सरकार कर रही हैं; चराई की जमीन जो कई जागीरदारों ने और सरकार ने छोड़ रखी थी उनका भी किस किस तरह का इन्तजाम है और उसमें कौनसी गायें चर सकती है और कौनसी नहीं चर सकती हैं, कौनसी गौशालाओं के अन्दर की

Page No.78

[श्री मुक्तिलाल मोदी]

जमीन है, और आगे सरकार उनका क्या इन्तजाम करे, उस इन्तजाम के अलावा आज जो गौशालाएं चल रही हैं उनमें से १०० में से ४० चल सकती हैं और ६० के बन्द होने की सूरत है, क्योंकि सरकार ने और जिन लोगों ने पैसा दिया उस वक्त यह समझकर दिया था कि यह एक धर्म की चीज़ है। आज वह उसे धर्म चीज़ को इसलिए नहीं मानते कि ज्यादातर उस मामले में वह बहुत दिलचस्पी नहीं लेते हैं, क्योंकि अगर वह पैसा देते हैं और किसी को मालूम पड़ जाय कि यह पैसा इन्कमटैक्स में नहीं आया है, यह पैसा दूसरे टैक्स में अगर दिखाई नहीं देता है, किसी को मालूम पड़ जाय तो उनसे सरकार उन पर कितना इन्कमटैक्स लगाये, उनको कितना नुकसान उठाना पड़ता है। इसलिए इस बिल में यही होना चाहिए कि राजस्थान सरकार की तरफ से कि जो भी धनवान लोग इसमें पैसा दें उनका इनकमटैक्स सैन्ट्रल गवर्नमेंट को राजस्थान सरकार लिखकर माफ कराये कि उनसे इन्कमटैक्स उस रकम पर नहीं लिया जाय। परन्तु आज भी इस बिल के अन्दर यह अधिकार नहीं है जैसी कि दूसरी संस्थाएं हैं, सेन्टरवालों ने इन संस्थाओं का इन्कमटैक्स माफ कर दिया है और उनके आधार पर ये संस्थाएं चल रही हैं। लेकिन असल में राजस्थान सरकार की तरफ से इस बिल में ऐसा प्रोविजन होना चाहिये कि कोई दान देनेवाला इनमें पैसा लगावे तो इन्कमटैक्स नहीं लगेगा। तभी गौशालाओं की उन्नती हो सकती है, नहीं तो पहले जो गौशालाएं चल रहीं थी वे धीरे धीरे कम हो गई हैं और जो बच गई हैं उनकी व्यवस्था बिगड़ती जा रही है।

पहले म्युनिसिपेलिटियों की तरफ से भी कुछ इन्कम इन गौशालाओं को होती थी। पहले गौशाला वालों के पास जो खराब पशु आते थे उनका भी वे इन्तजाम कर दिया करते थे लेकिन आज गौशाला वाले सोचते हैं कि आज हमारे पास पैसा नहीं है. उन पशुओं को खिलाने के लिए और उनका इन्तजाम करने के लिए। पशु आज बेकार फिरते हैं उसी तरह जिस तरह को उनकी ओर कोई देखने वाला या सम्भालने वाला नहीं हो। उन म्युनिसिपेलिटियों को कहा जाता है, उनसे मिला जाता है, उनको लिखा जाता है कि आप इन पशुओं को राजस्थान सरकार की तरफ से जो सेन्टर खुले हुए हैं वहां भेज दो तो म्युनिसिपेलिटी वाले इसका कोई इन्तजाम करने के लिये तैयार नहीं होते हैं इतने से पशुओं का आज यदि म्युनिसिपेलिटी वाले या गौशाला वाले इन्तजाम करने के लिए खर्चा नहीं कर सकते तो आगे जाकर वे क्या इन्तज़ाम कर सकते हैं। जो अच्छी गायें होती हैं उनका तो दूध गौशाला वाले बेच देते हैं और जो खराब गायें हैं वे यों ही भूखी पड़ी रहती हैं। उनकी देख-रेख करने वाला या उनको पूछने वाला कोई नहीं है। तो कम-से-कम इस बिल में यह करना चाहिए था कि सरकार की तरफ से गौशालाओं को कितने पशु दिये जायेंगे और जो वहां पर गायें हैं, बैल हैं उनको दूसरी जगह भेजें और पशुओं की नस्ल अच्छी करें। सरकार को यह करना चाहिए था कि जितने पैसे सरकार की तरफ से जैसे एज्यूकेशन डिपार्टमेंट में प्राइवेट स्कूलों को ५० परसेन्ट या ७५ परसेन्ट दिये जाते हैं उसी तरह इन गौशालाओं के लिए भी प्रोविजन रख कर बिल लाती तो गौशालाओं का सुधार हो सकता था। उसके बजाय ५ परसेन्ट और लें, यह कैसी बात है। आदमी आगे ही भूखों मरते हैं इनको और मार दें, ऐसा बिल लाने की क्या जरूरत थी ? जो

Page No.79

[श्री मुक्तिलाल मोदी]

जैसा करता है करता है। जैसा होता है होता है। डाइरेक्टरों पर पाबन्दी लगा दी। वे तो वैसे ही घबराते हैं कि आगे आवेंगे तो पैसा देना पड़ेगा तो कौन ऐसे झगड़े में पड़ेगा। ऐसी हालत में राजस्थान सरकार को चाहिये कि यह बिल पब्लिक ओपिनियन के लिए भेजा जाय और उसके अलावा ऐसा बिल तैयार होना चाहिए जिसमें इस तरह की सहूलियतें गौशालाओं को दी जायंगी। इसमें इतने पशु होंगे तो उतना पैसा दिया जायगा या इतनी सहायता दी जायगी। खराब पशु हैं उनके लिए इस तरह की सहायता दी जायगी। जो कोई भी रुपये देंगे उनका इन्कमटैक्स माफ होगा तभी गौशालाओं की और आगे तरक्की हो सकती है, नहीं तो इस बिल से कोई उन्नति होने वाली नहीं है। जो थोड़ी बहुत गायें रहती हैं वे भी नहीं रहेंगी और कुछ गौशालाएं तो बन्द हो गई हैं और रही-सही और बन्द हो जावेंगी। इसलिये माननीय मन्त्री जी से मेरी प्रार्थना है कि गौशाला बिल को पब्लिक ओपिनियन के लिए भेजा जाय और गौशालाओं को जो २०, ४० या ५४ वर्षों से काम करते हैं उनकी ओपिनियन या राय आनी चाहिए, क्योंकि इसका न तो माननीय मन्त्री जी को इतना ज्ञान है और न मुझको इतना ज्ञान है कि हम गौशालाओं के बारे में इतने अधिक समझते हों। इसलिए इसे पब्लिक ओपिनियन के लिए भेजा जाय और बाद में पास किया जाय।

श्री अध्यक्ष—We now adjourn for tomorrow at 8. 30. Visitors may go and we will just meet after five minutes.

श्री जयनारायण व्यास—हिन्दी में भी कह दीजिये ताकि लोग समझ जाय।

श्री अध्यक्ष—दर्शक गण अब जा सकते हैं। ५ मिनट बाद हम अपना कुछ काम करेंगे।

(इसके पश्चात् सदन की कार्यवाही ११-५० मध्यान्ह पूर्व पर, दिनांक ५ नवम्बर, १९५४ के प्रात: ८-३० तक को स्थगित हुई।

विधान सभा भवन,
जयपुर।
दिनांक—४ नवम्बर, १९५४.

मनसाराम परोहित
सचिव,
राजस्थान विधान सभा।

परिशिष्ट १

(तारांकित प्रश्नोत्तर जो कि सम्बन्धित प्रश्नकर्त्ता की अनुपस्थिति के कारण सदन की मेज पर रखे गये तथा जिनके प्रकाशित कराने की सम्बन्धित मंत्री महोदय की अनुमति है)

प्रश्न

२१०६. (४११/एफ. एम.) श्री सुगनचन्द जैन, एम. एल. ए., डिविजन नम्बर १४७—क्या निर्माण मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) चित्तौड़ में नल (पाइप) लगाने की कोई योजना है ? यदि हां, तो अब तक उसमें कितना कार्य हुआ है, कौनसी ता० को काम शुरू हुआ था ?

(ख) अब कितना काम होना बाकी है ?

(ग) अब तक काम पूरा नहीं होने का क्या कारण है ?

(घ) अब कब तक काम पूरा हो जाने की सम्भावना है ?

उत्तर

(क) हां। सन् १९५१ में राजस्थान सरकार से ४१२५० रु० स्केलेटन वाटर सप्लाई के लिये मन्जूर हुए थे, उसमें से २७८२२ रु० खर्च हुए हैं और शहर में पाइप लाइन व स्टेन्ड पोस्ट लगाये गये हैं। यह कार्य १९५१ के आखिर में शुरू किया गया था।

(ख) शहर के कुवों में काफी पानी न होने की वजह से शहर से डेढ़ मील दूरी पर गंभीरी नदी में देह से पानी लेना निश्चित किया है। पाइप वगैहरा सामान आगया है उपरोक्त बनाये हुए देह के पास पम्प हांउस फिल्टर बैंड बनवाने हैं और वहां से पाइप लाइन शहर तक लगानी है शहर में टकियां लगानी हैं, जिनसे शहर के नलों में पानी दिया जावेगा।

(ग) (१) जिस वावडी में से पानी लेना पहिले निश्चित किया गया था वह वावडी सन् १९५२ में सूख गई व (२) दूसरा कार्य पूर्ण करने के लिये आवश्यक धन उपलब्ध न होने की वजह से इतने दिन लग गये हैं और समय पर कार्य पूर्ण न होसका।

(घ) इस साल के बजट में ७०००० रु० मंजूर हुआ है कुल ऐस्टीमेट ११२००० रु० का है, इस कार्य की सन् १९५५,५६ में सम्पूर्ण होने की आशा है।

परिशिष्ट २

(सदन की मेज पर रखे गये अतारांकित प्रश्नोत्तर)

१. (३६५ एफ. एम.) श्री चांदमल मेहता, एम. एल. ए., विभाजन संख्या ८७—क्या विधि मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने को कृपा करेंगे:—

[क] राजस्थान के निर्माण के बाद किस किस साल में कितने २ सिविल स्यूट्स कितने रुपयों के राजस्थान सरकार के खिलाफ दायर किये गये ?

[ख] उक्त मुकदमों में किस २ साल में कितने २ मुकदमें कितने २ रुपये की लागत के राजस्थान सरकार के खिलाफ फैसले किये गये ?

[ग] राजस्थान सरकार के खिलाफ फैसले होने वाले मुकदमों में रसद विभाग की सिक्योरिटीज़ के कितने मुकदमें कितने रुपयों के हैं ?

[घ] उक्त मुकदमों के लड़ने में सरकार को किस किस साल में कितने कितने रुपये खर्च करने पड़े ?

उत्तर

[क] राजस्थान सरकार के खिलाफ दायर किये गये सिविल स्यूट्स : नरे नकद व जायदाद की सूची निम्न प्रकार है :

	वर्ष	संख्या	तादाद मालियत
१.	१९४६	२७	२१३७४७—१२—६
२.	१९५०	८३	२३२१३३८— ५—३
३.	१९५१	११४	७६९६२५—१०—६
४.	१९५२	१२६	२२४४८९५—१४—६
५.	१९५३	१५६	३६०३७१३— ८—६
६.	१९५४	११६	२६७१५३२— २—७

परिशिष्ट

[ख] उक्त मुकदमों में से सरकार के खिलाफ निम्नलिखित संख्या में फैसले किये गये जिनकी तादाद मालियत सामने दर्ज की गई है :

	वर्ष	संख्या	तादाद मालियत
१.	१९४९	७	४६५४– ०–३
२.	१९५०	९	९२३५–१४–३
३.	१९५१	१९	५१८६६–१५–९
४.	१९५२	३२	३७३९६–१३–६
५.	१९५३	११	३२६१०–१४–९
६.	१९५४	१	१३५०– ०–०

[ग] राजस्थान सरकार के खिलाफ फैसले होने वाले मुकदमों में से रसद विभाग की सिक्योरिटीज़ के मुकदमे निम्न प्रकार हैं :

	वर्ष		संख्या	रकम
१.	१९४९	में	२	१०००–०–०
२.	१९५२	में	४	१९३६–६–६
३.	१९५३	में	३	३२२००–०–०
४.	१९५४	में	२	१०५०–०–०

[घ] उक्त मुकदमों के लड़ने में सरकार को वकीलों की फीस देने में निम्न प्रकार खर्चा करना पड़ा :

	वर्ष		रकम
१.	१९५०–५१	में	६९६–८–०
२.	१९५१–५२	में	२२८४१–२–३
३.	१९५२–५३	में	१६०८७–९–६
४.	१९५३–५४	में	५३७५६–११–६

प्रश्न

२. (३६८ एफ. एम.)श्री चांदमल मेहता, एम. एल. ए., विभाजन संख्या ८७—क्या निर्माण मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) राजस्थान के निर्माण के बाद सड़कों पर पेड़ लगाने के लिये किस किस साल में कितने कितने रुपये खर्च किये गये ?

(ख) उक्त सालों में किस २ सड़क पर कितने २ पेड़ लगाये गये और उनमें से कितने २ मौजूद हैं ?

(ग) चालू वर्ष में पेड़ लगाने के लिये कितने रुपये स्वीकृत किये गये हैं और किस किस सड़क पर पेड़ लगाने की योजना है ?

(उत्तर अनुपलब्ध)

प्रश्न

३. (३३१ आर० एम०) श्री सन्तोषसिंह कछवाहा, एम० एल० ए०, विभाजन संख्या (१३६)—क्या राजस्व मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

(क) बीकानेर डिविज़न में ठिकाना चारवास कौनसी तारीख को कोर्ट ऑफ वार्डस में आया ?

(ख) इस ठिकाने की वार्षिक आय सन् ५० से आज तक कितने २ रुपयों की हुई ?

(ग) कोर्ट ऑफ वार्डस में आने के पश्चात् इस ठिकाने के किन २ वारिसों को कितने रुपये वार्षिक सरकार ने उनके गुजारे के वास्ते देने के लिये तय किया ?

(घ) इस ठीकाने के किन २ वारिसों को कौन २ सी तारीख को कितने २ रुपये उनके वार्षिक गुजारे के वास्ते किन २ के मारफत सरकार ने उनको दिलवाये अथवा दिये ? अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

(ङ) ठाकुर साहब के समय में जो ठिकाने के कर्मचारी थे उनकी तनख्वाह वगैरा का हिसाब इस ठिकाने के कोर्ट ऑफ वार्डस में आने पर चुकता कर दिया गया या नहीं ? अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

(च) ठाकुर साहब व दादीसा के द्वादशे के खर्चे के सरकार ने कितने २ रुपये देने, किस किस तारीख को मंजूर किये और किस २ तारीख को दिये गये अथवा नहीं, तो क्यों नहीं?

उत्तर

(क) ठिकाना चारवास १२–११–५२ कोर्ट ऑफ वार्डस के इन्तज़ाम में आया।

(ख) इस ठिकाने की वार्षिक आय ६६४६ रुपये है। कुल आमदनी इस हिसाब से १६६४७ रुपये की होनी चाहिये, परन्तु आज तक कुल १०४०५ रुपये की आमदनी वसूल हुई है। बाकी करीब ६५४२ रुपये बकाया वसूल होना बाकी है।

(ग) खर्च के लिए वार्षिक इस प्रकार देना तय हुआ:

गुजारा माजी साहब,	३५० रु०

इसके अतिरिक्त गंह खर्चा भी देना तय हुआ।

पेटिया..	२००) रु०
पशुखर्च	४८०) रु०
श्राद्ध	८०) रु०
त्योहार	५०) रु०
	११६० रु०

(घ) संम्वत २००६ में ३४५ रु० और ५०० रु० माजी साहब को दिये। सम्वत् २०११ में १००० रुपये माजी को सम्वत् २०१० के पेटे दिये गये।

(ङ) ठाकुर साहब के समय में जो ठिकाने के कर्मचारी थे, उनमें से किसी ने भी अपनी बकाया तन्ख्वाह के पेमेन्ट की दरख्वास्त पेश नहीं की है।

(च) दादीजी के द्वादशी के लिए १०० रु० २०–४–५३ को दिये गये। ठाकुर साहब के द्वादशे के लिए १०२१रु० १०आने ६–८–५४ को दिये गये।

प्रश्न

(४) (४१७ आर. एम.) श्री चांदमल मेहता, एम. एल. ए., विभाजन सख्या ८७—या राजस्व मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

(क) अरांई ग्राम के चारागाह घोषित करने में हरिजनों की कितनी काश्त की भूमि छीनने के लिये अरांई तहसीलदार ने सिफारिश की है?

(ख) उक्त जमीन को हरिजन लोग कितने वर्षों से काश्त करते है ? किस २ हरिजन की कितनी २ भूमि है ?

(ग) जो जमीन हरिजनों से छीनी गई है उनमें से किस २ के पास इस जमीन के अलावा कितनी २ भूमि है ?

(घ) क्या यह सही है कि हरिजनों पर अपनी जमीन में काश्त करने पर जुरमाना भी किया गया है ? यदि हां, तो किस२ पर कितना २ ?

(ङ) क्या उन्हें जमीन से बेदखल नहीं करने के बाबत तहसीलदार अरांई को हिदायत दी गई थी ?

(च) यदि हां, तो क्या उस हिदायत के बावजूद भी हरिजनों को बेदखल किया गया है ?

(छ) क्या यह सही है कि अभी तक हरिजनों की भूमि को चरागाह घोषित करने की स्वीकृति नहीं हुई है ?

(उत्तर अनुपलब्ध)